सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - सोनभद्र

अनुक्रमणिका

क0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जिले की पृष्ठभूमि	
2	शैक्षिक परिदृश्य	
3	नियोजन प्रकिया	
4	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	
5	समस्याएं एंव रणनीतियां	
6	शिक्षा की पहुंच का विस्तार I	
7	शिक्षा की पहुंच का विस्तार II	
8	ठहराव में वृद्धि	
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	
10	परियोजना प्रबन्ध एंव अनुश्रवण	
11	परियोजना लागत	
12	वर्षिक कार्ययोजना एंव बजट	

अध्याय -1

जिले की पृष्ट भूमि – भौगोलिक स्थिति , क्षेत्रफल , प्रशासनिक इकाइयां

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित जनपद सोनभद्र की सीमायें तीन राज्यों को छूती है । इसके पूरव में विहार दक्षिण पूरब में झारखण्ड एवं दक्षिण में छत्तीसगढ़ की सीमायें मिलती है । जनपद सोनभद्र का नाम करण जनपद के मध्यसे प्रवाहित सोन नदी के आधार पर हुआ है । सोन नदी जनपद के तीन विकास खण्डो चोपन , रावर्ट्सगंज एवं नगवां से होकर गुंजरती है ।

इस जनपद के पश्चिमोत्तर में जनपद मीरजापुर एवं पूर्वोत्तर में जनपद चन्दौली अवस्थित है । इस जनपद को वर्ष 1989 में मीरजापुर से अलग कर दूसरे जनपद का रूप दिया गया । इस जनपद में दुरम्य पहाड़ियां एवं प्राकृतिक झरने कल–कल निनाद करती है । इसका 3/4 हिस्सा नदी नाले , पहाड़ियों एवं जंगलो से आच्छादित है । इसके उदर में अनेकों खनिज सम्पदायें जैसे कोयला एवं अनेकों विश्व स्तरीय हिन्डालको , सीमेंट उद्योग विकासित है । यहां ओबरा , अनपरा , शक्तिनगर ,रेनूसागर , पिपरी इत्यादि परियोजनायें अवस्थित है जहां से उत्तर प्रदेश ही नही अपितु भारत के अनेको भागों प्रदेशों में विद्युत आपूर्ति होती है । इस जनपद में कैमूर पर्वत श्रृंखलाये फैली हुई है । यहां पर शिवद्वार , विरला मन्दिर ज्वालादेवी मन्दिर , गुरूद्वारा , विजयगढ़ दुर्ग , लोरिक पत्थर इत्यादि अनेको धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलें विद्यमान है ।

इस जनपद में राजा चेतसिंह द्वारा बनवाया गया विजयगढ़ किला जिसका जिक देवकी नन्दनद्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास चन्द्रकांता में किया गया है । सोननदी के पावन तट पर प्राचीन अघोरी किले का भग्नावशेष लोरिक पत्थर आज भी दर्शनीय है इस जनपद में बेलन नदी पूरव से पश्चिम बहती है ।

क्षेत्रफल – इस जनपद का क्षेत्रफल 67000 वर्ग किमी० हैं पूरे क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भागों में जंगल एवं पर्वत श्रृंखलायें फेली हुई है ।

प्रशासनीक इकाइयां– इस जनपद में तीन तहसीलें रावर्ट्सगंज , दुद्धी एवं घोरावल है रावर्ट्सगंज तहसील में चार विकास खण्ड रावर्ट्सगंज , चोपन , चतरा एवं नगवां है । घोरावल तहसील में एक मात्र विकास खण्ड घोरावल है । दुद्धी तहसील में तीन विकास खण्ड दुद्धी , म्योरपुर एवं बभनी है इस प्रकार जनपद में कुल आठ विकास खण्ड है । जनपद में कुल 66 न्याय पंचायतें तथा 489 ग्राम सभायें है । जनपद में कुल 1426 राजस्व ग्राम एंव वस्तियों की संख्या 2043 हैं।

इस जनपद में एक नगर पालिका रावर्ट्सगंज तथा सात टाउन एरिया घोरावल चोपन , दुद्धी , रेनूकोट , गुरमा चुर्क , हिण्डालको एवं पिपरी तथा दो नोटिफायड एरिया ओबरा एवं कनोडिया है कुल वार्डो की संख्या है ।

जनपद की प्रशासनीक इकाइयां–

तहसील	–	03
विकास खण्ड	–	08
न्याय पंचायत	–	66
ग्राम सभायें	–	489
राजस्व ग्राम	–	1426
वस्तियां	–	2043
नगरीय क्षेत्र	–	09
नगर निगम	–	–
नगर महापालिका	–	–
नगर पालिका	–	01
टाउन एरिया	–	06
नोटिफायड एरिया	–	02

जनपद की जनसंख्या तहसीलवार 2001

ग्रामीण

क०सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड की सं०	तहसील की कुल जनसंख्या		
			पुरुष	महिला	योग
1	रावर्ट्सगंज	4	304332	276374	580706
2	घोरावल	1	114523	105008	219531
3	दुद्धी	3	200251	184420	384671
	योग	8	667401	605823	1273224

नगरीय

क०सं०	नगर क्षेत्र	नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1	नगर पालिका रावर्ट्सगंज	17150	15059	32209
2	टा०ए० घोरावल	3527	2951	6478
3	टा०ए० चुर्कगुरमा	4580	4105	8685
4	टा०ए०चोपन	6678	5453	12131
5	टा०ए० दुद्धी	6224	5382	11606
6	टा०ए०रेनुकुट	9140	6476	15616
7	टा०ए०हिन्डालको	18579	14907	33486
8	टा०ए०पिपरी	7280	5933	13213
9	नो०ए०ओबरा	28662	23736	52398
10	नो०ए०कनोडिया	2596	1826	4422
	योग	104416	85828	190244

जनपद की कुल जनसंख्या –

	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण	667401	605823	1273224
नगरीय	104416	85828	190244
योग	771817	691651	1463468

विकास खण्डवार जनसंख्या(1991) ग्रामीण–

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	रावर्ट्सगंज	72784	65105	137889
2	घोरावल	82359	73604	155963
3	म्योरपुर	105623	87096	192719
4	चोपन	88609	78084	166693
5	बभनी	30102	27516	57618
6	दुद्धी	50826	45707	96533
7	चतरा	35404	32037	67441
8	नगवां	28637	25881	54518
	योगु	495199	435479	930958

जनपद की जनसंख्या –

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
1991	577403	479638	1075041
2001	771817	691651	1463468

जनपद की अनुसूचित जाति की जनसंख्या –

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
1991	240955	215917	456872

जनसंख्या –

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद सोनभद्र की कुल जनसंख्या 1463468 है जिसमें पुरूष संख्या 771817 एवं महिला जनसंख्या 691651 है । सोनभद्र में कुल नौ नगरीय क्षेत्र है । जिसकी कुल जनसंख्या 190244 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 104416 एवं महिला जनसंख्या 85828 है । ग्रामीण जनसंख्या 1273224 है । जिसमें पुरूष जनसंख्या 667401 एवं महिला जनसंख्या 605823 है । अभी अनुसूचित जाति की जनसख्या एवं विकास खण्डवार जनसंख्या के आकड़े प्राप्त नही हो पाये है ।

जनपद में सभी धर्मो के लोग निवास करतें है । सबसे अधिक जनसंख्या क्रमशः हिन्दू , मुश्लिम , इसाई एवं सिक्ख की है ।

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य –

सोनभद्र जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति तथा साक्षरता की स्थिति बहुत ही न्यून होने के कारण वर्ष 1997 में यहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम ।। (डी०पी०ई०पी० ।।) सुरू की गयी । इस कार्यकम द्वारा जोशो –खरोस से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास प्रारम्भ हुआ । इस कार्यकम द्वारा बच्चों का शत –प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणात्मक सुधार का लक्ष्य रखा गया । जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है । डी०पी०इ०पी० परियोजना से पूर्व 6-11 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन (सितम्बर 97) 121406 था एवं G.E.R. 55.01 था । जो वर्ष 2001 तक नामांकन 174908 तथा G.E.R. 83.39 हो गया है । वर्ष 97 में डी०पी०ई०पी० प्रारम्भ होने के पूर्व जनपद की बालिकाओं का नामांकन 44857 जो वर्ष 2001-02 में बढ़कर 75249 हो गया है ।

इन उपलब्धियों के बावजूद भी अभी तक कुछ बच्चे स्कूल से बाहर हैं । जिन्हे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय में लाया जायेगा।

वर्ष 2001 में जनपद की साक्षरता का विवरण निम्न हैं–

कुल साक्षरता	39.96
ग्रामिण साक्षरता	35.2
नगरीय साक्षरता	50.7
कुल पुरुष साक्षरता	63.79
कुल महिला साक्षरता	34.26

ग्रामिण साक्षरता–

पुरुष	महिला	योग
37.9	21.80	35.2

नगरीय साक्षरता–

पुरुष	महिला	योग
67.02	42.16	50.7

विकास खण्डवार समान्य साक्षरता दर(प्रतिशत में) सोनभद्र सन् 1991

क०सं०	विकास खण्ड	कुलसाक्षरता	पुरूष	महिला	अनुसुचित जाति पुरूष	अनु०महिला
1-	म्योरपुर	41.3	54.07	25.01	17.26	1.29
2-	चोपन	20.7	31.47	08.07	17.91	1.47
3-	घोरावल	25.4	38.7	10.29	23.25	3.47
4-	रावर्ट्सगंज	30.3	45.4	13.09	18.45	1.31
5-	दुद्धी	22.9	36.06	8.02	28.71	5.47
6-	चतरा	31.0	47.99	22.08	21.56	1.90
7-	बभनी	19.3	31.66	5.42	25.14	3.19
8-	नगवां	18.3	29.55	5.56	27.60	1.59
	योग	34.4	47.56	18.7	21.47	

जनपद में वर्तमान में कुल 1021 प्राथमिक विद्यालय हैं। इस प्रकार 1561.86 जनसंख्या पर एक विद्यालय हैं।

प्राथमिक नामांकन – परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का G.E.R. आगणन निम्न है–

वर्ष	6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत कुल छात्र संख्या			G.E.R.
	बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग	
2000-01	114250	82034	196284	97650	71124	168774	85.79
2001-02	120986	88756	209742	99659	75249	174908	83.39

स्रोत EMIS वर्ष 2000-01 एंव विभागीय आकंडे 2001-02

क०सं०	वर्ष	११–१४ वय वर्ग की कुल संख्या	कुल नामांकन	N.E.R
1	2001-02	90735	51132	56

वर्ष २००१ में इस जनपद की कुल साक्षरता दर 39.96 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 35.2 एवं नगरीय साक्षरता 50.7 है । जनपद की कुल पुरूष साक्षरता 63.79 एवं महिला साक्षरता 34.26 है । ग्रामीण पुरूष साक्षरता 37.90 एवं महिला साक्षरता 21.80 है । नगरीय पुरूष साक्षरता 67.02 एवं नगरीय महिला साक्षरता 32.16 है । अनुसूचित जाति एवं विकास खण्डवार साक्षरता दर उपलब्ध नही है ।

सोनभद्र जनपद में कुल 1021 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है । कुल 146 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है । जिसमें 96 ग्रामीण एवं 50 नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित है ।

जनपद में कुल 278 परिषदीय एवं 31 मान्यता प्राप्त उच्चप्राथमिक विद्यालय है जिसमें 167 ग्रामीण एवं 12 नगरीय क्षेत्रों में स्थित है । जनपद में 7 राजकीय एवं 22 मान्यता प्राप्त हाई स्कूल है । यहां 5 राजकीय एवं 19 मान्यता प्राप्त इण्टरकालेज है 1 शासकीयएवं 1 मान्यता प्राप्त डिग्री कालेज है, 1 शासकीय स्नातकोत्तर तथा 1 मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर कालेज जनपद मे कार्य कर रहे है । जनपद में आई०टी०आई० का एक कालेज विकास खण्ड दुद्धी में है । इस जिले में तीन संस्कृत पाठशालायें है ।

सोनभद्र में शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति निम्न हैं –

क० सं०	संस्थाये	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल		
		ग्रा०	नागरी०	योग	ग्रा०	नागरी०	योग	ग्रा०	नागरी०	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1021	--	1021	98	60	158	1119	60	1179
2	मध्यमिक से संवद्ध प्रा०वि०	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	उच्च प्रा०वि०	278	--	278	19	17	36	297	17	314
4	माध्यमिक से संवद्ध उ०प्रा०वि०	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	केन्द्रीय विद्यालय	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	नवोदय विद्यालय	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	हाई स्कूल	4	3	7	13	9	22	17	12	29
8	इन्टरमीडियट	2	3	5	12	7	19	14	10	24
9	डिग्री कालेज	--	1	1	1	-	1	1	1	2
10	स्नातकोत्तर	--	1	1	--	1	1	--	2	2
11	विश्वविद्यालय	--	--	--	---	--	--	--	--	--
12	तकनीकी संस्थान (I.T.I.)	--	1	1	--	--	--	--	1	1
13	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान	--	--	---	--	--	--	--	--	--
14	आगनवाड़ी केन्द्र	--	---	---	---	---	---	---	---	606
15	मकतब/मदरसे	--	---	---	-----	---	---	---	---	--
16	संस्कृत विद्यालय	--	--	--	2	1	3	2	1	3
17	विकलांग बच्चोंकीशिक्षा.संस्थाएं	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	बाल श्रमिक बिद्यालय	--	--	--	--	-	--	-	--	--
19	B.R.C.	8	--	8	--	--	--	8	--	8
20	N.P.R.C.	66	--	66	--	--	--	66	--	66
21	D.I.E.T.	--	1	1	--	--	--	--	1	1

स्रोत – विभागीय आकड़े

जनपद में कुल 1021 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु सृजित प्रधान अध्यापक का पद १०२१ है जिसमें 282 कार्यरत एवं ७३६ रिक्त है । कुल सहायक अध्यापक सृजित पद 1155 है । जिसमें 840 कार्यरत एवं 315 पद रिक्त है । प्राथमिक विद्यालयों हेतु इस जनपद के लिये 1352 शिक्षा मित्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं । जिसमे ६०० कार्यरत हैं ।

जनपद के कुल 278 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रधानअध्यापक का सृजित पद 278 है जिसमें 44 कार्यरत तथा 234 रिक्त है । सहायक अध्यापक के सृजित पद 1112 है जिसमें 189 कार्यरत एवं 911 रिक्त है यहां परिचारकों (पूर्व माध्यमिक विद्यालय) हेतु 80 पद सृजित है । जिसमें 35 कार्यरत एवं 45 पद रिक्त है ।

शिक्षकों की उपलब्धता – जनपद सोनभद्र में शिक्षकों की संख्या विद्यालय के सापेक्ष में बहुत ही कम है । जनपद में बर्तमान समय में कुल **1021** परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कुल **1122** अध्यापक नियुक्त है । उच्च प्राथमिक विद्यालय की कुल संख्या **278** है जिसमें कुल **233** अध्यापक नियुक्त है । सर्व शिक्षा अभियान द्वारा **303** शिक्षा मित्र नियुक्त करने का प्रस्ताव है । जो नियुक्त किये जा रहे है जनपद के अध्यापको का स्वीकृत पद एवं रिक्त पद निम्न सारिणी मे दर्शित है ।

	सृजित पद		कार्यरत		रिक्त		शिक्षामित्र	
	प्र०अ०	स०अ०	प्र०अ०	स०अ०	प्र०अ०	स०अ०	सृजित	कार्यरत
प्राथमिक विद्यालय	**1021**	**1155**	**282**	**840**	**739**	**315**	**1352**	**900**
उच्च प्रा० वि०	**278**	**1112**	**44**	**179**	**234**	**911**	--	--

स्रोत – विभागीय आकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता – दूरी के सापेक्ष जनपदमें विद्यालयों की उपलब्धता को निम्न आकडो से दर्शायी जा सकती है –

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	वस्ती से 1 KM से कम दूरी पर प्रा० विद्यालय की उपलब्धता	वस्ती से 1KM से 1.5 KM तक दूरी पर प्रा० विद्यालय की उपलब्धता	वस्ती से 1.5 KM से अधिक दूरी पर प्रा०वि० की उपलब्धता	EGS	AIE
ऐसे ग्रामों एवं बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300से अधिक है	**1037**	**468**	--	--	--
३०० से कम	**205**	**333**	--	**126**	**90**

स्रोत– विभागीय आकड़े

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्चप्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	वस्ती से 3 KM से कम दूरी पर उच्च प्रा० विद्यालय की उपलब्धता	वस्ती से 3KM तक दूरी पर उच्चप्रा० विद्यालय की उपलब्धता	AIE
ऐसे ग्रामों एवं बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800से अधिक है	**425**	**271**	--
८०० कम आबादी	**1190**	**157**	**40**

स्रोत– विभागीय आकड़े

असेवित वस्तियों को सेवित करने हेतु खोले जाने वाले विद्यालय –

प्राथमिक स्तर

कुल वस्तियां – **2043**

कुल प्राथमिक विद्यालय – **1021** परिषदीय + **158** (मा०प्राप्त)

योग – **1179**

कुल सेवित वस्तियां – **2043**

असेवित वस्तियां – शून्य

खोले जाने वाले नविन प्रा०वि०– शून्य

उच्च प्राथमिक स्तर

कुल वस्तियां – 2043

कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय – 278 परिषदीय + 36 (मा०प्राप्त)

योग – 314

कुल सेवित वस्तियां – 2043

असेवित वस्तियां – शून्य

खोले जाने वाले नविन उच्च प्रा०वि० – शून्य

प्राथमिक विद्यालय हेतु 84 असेवित बस्तीयो की पहचान की गयी है जिसमे से 20 प्राथमिक विद्यालय 2002 तक डी०पी०ई०पी० से खोले गये एवं शेष 64 प्राथमिक विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष २००३–०४ में खोला गया है। विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 130 असेवित क्षेत्रों का चयन किया गया है जिसका निर्माण सर्व शिक्षा के अभियान के अर्न्तगत वर्ष २००३–०४ खोला गया है।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें –

प्राथमिक स्तर

1 .प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 1021

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 16

दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 612

तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 347

चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 24

पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 7

छःकक्षीय विद्यालयों की संख्या – 6

भवनहीन विद्यालयों की संख्या – 9

मरम्मत योग्य –

लघु मरम्मत – 309

वृहत मरम्मत – 221

शौचालय – 1021 (शौचालय युक्त विद्यालय)

हैण्डपम्प – 1021 (हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय)

चहारदीवारी – 63 (चहारदीवारी युक्त विद्यालय)

उच्च प्राथमिक स्तर –

1 – उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 278

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 1

दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या – ०

तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या –11

चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या – 125

पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या –3

भवनहीन विद्यालयों की संख्या – 8

मरम्मत योग्य –

लघु मरम्मत – 32
वृहत मरम्मत – 25
शौचालय – 271 (शौचालय युक्त विद्यालय वर्ष २००३–०४)
हैण्डपम्प – 278 (हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय)
चहारदीवारी – 32 (चहारदीवारी युक्त विद्यालय)

जनपद सोनभद्र में प्राथमिक विद्यालयों एवं छात्रों का अनुपात 1:186.66 एवं उच्च प्राथमिक छात्रों का अनुपात 1:241.78 है । अतः हमें अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यता होगी । विद्यालयों के मरम्मत , शौचालय, हैण्डपम्प एवं चहारदीवारी निर्माण की नितांत आवश्यकता है । बर्ष 2003 तक डी०पी०ई०पी० द्वारा प्राथमिक स्तर के अधिकांश भौतिक सुविधायें उपलब्ध करा दिये जायेगे एवं शेष तथा उच्च प्राथमिक स्तर की भौतिक सुविधायें सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूरी की जायेगी ।इसे निचे लिखे आकड़ो द्वारा समझा जा सकता है ।

भौतिक सुविधाओं की मांग –

कमसंख्या	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	सर्व शिक्षा अभियान द्वारा २००३–०४ में स्वीकृत	अवशेष मांग	कमी	सर्व शिक्षा अभियान द्वारा २००३–०४ में स्वीकृत	अवशेष मांग
1.	नवीन विद्यालय	64	64	--	130	130	--
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	35	3	32	18	3	15
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	615 (1:3)	10	605	321 (1:5)	8	313
4.	हैण्डपम्प	--	--	--	--	--	--
5.	शौचालय	--	--	--	52	32	20
6.	चहारदीवारी	--	--	--	--	--	--

स्रोत– विभागीय आकड़े

जनपद सोनभद्र में बर्ष 97 से डी०पी०ई०पी०।। संचालित है एवं E.M.I.S. इकाई शासकीय रूप से कार्य कर रही है । प्रति वर्ष सांख्यिकी प्रपत्र एवं परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जा रहे है इन रिपोर्टो का प्रयोग वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण मे किया जाता है डी०पी०ई०पी० के सभी कार्यो की सफलता एवं आगे की रणनीति का गठन इन्ही रिपोर्ट के माध्यम से किये जाते है ।

E.M.I.S. से प्राप्त नामांकन के आकड़े –

कक्षा	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04 July (विभागीय)
1	38603	40440	44293	43119	40087	58471	42754
2	29032	32279	38613	39717	39368	45459	55202
3	24594	26999	32692	34559	36674	40398	38728
4	15697	21568	26838	28120	31322	36349	33071
5	13480	15502	22194	23259	27957	31311	30824
योग	121406	136788	164630	168774	174908	211988	199579

G.E.R.

	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	2001-02	2002-03
कुल	55.01	60.60	71.32	85.98	83.39	94.59
बलिका	43.42	49.74	61.15	85.47	82.37	96.21
बालक	65.21	70.16	80.26	86.70	84.78	93.36

N.E.R.

	97-98	98-99	99-2000
कुल	52.21	58.15	68.06
बलिका	41.16	47.73	58.30
बालक	61.94	67.32	76.64

उपरोक्त E.M.I.S. से प्राप्त आकड़ों से परिलक्षित होता है कि नामांकन में उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है । जनपद के नामांकन की चार वर्षो की औसत बृद्धि दर 9.79% है ।

बर्ष 2004तक 6-11 बय वर्ग के 239179 बच्चे हो जायेगे । और हमारा लक्ष्य इन सभी बच्चो को 2004 तक विद्यालय में प्रवेश दिला देना होगा । वर्ष 97 से G.E.R. एवं N.E.R. मे काफी बृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है । बालिकाओ का G.E.R. एवं N.E.R. बालकों की अपेक्षा कम है लेकिन प्रतिवर्ष बालिकाओ की G.E.R. एवं N.E.R. में भी बृद्धि दिखाई दे रही है । वर्ष 2007 तक G.E.R. को बढ़ाकर 120% एवं N.E.R. को 100% तक ले जाना है ।

प्राथमिक विद्यालयों में बृद्धि –

	97-98	2003-2004	प्रतिशत बृद्धि
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	750	1021	36.13
प्राथमिक अध्यापक	1547	1130	-26.95

स्रोत बिभागीय आकड़े

डी०पी०ई०पी० के पिछले चार वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 24.93% बृद्धि हुई है । अध्यापकों की कमी को पूरा करने का कार्य शिक्षा मित्र एवं नये अध्यापको की नियुक्ति से किया जा रहा है । सर्वशिक्षा अभियान द्वारा भी अध्यापकों की कमी को शिक्षा मित्र एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति कर पूरी की जायेगी ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है । जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त, सी०पी०एड० एवं बी०पी०एड० प्रशिक्षित आवेदको को जिले के चयन समिति द्वारा जांचोपरान्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

रिपीटीशन दर–

वर्ष	रिपीटीशन दर
97-98	4.11
98-99	5.27
99-2001	1.07

स्रोत E.M.I.S. Data-

वर्ष 97 में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों का रिपीटीशन दर 4.11% था । डी०पी०ई०पी०।। अभियान के बाद हमारा रिपीटीशन दर 99-2000 में घटकर 1.07% रह गया है । रिपीटीशन दर कोशून्य प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है । जनपद में उच्चप्राथमिक स्तर के बच्चो का रिपीटीशन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है ।

अध्यापक + शिक्षा मित्र छात्र अनुपात –

वर्ष 2002-03 1:104.43

1130 परषदीय अध्यापक + 900 शिक्षा मित्र

एकल अध्यापकीये विद्यालयों का 2001-02 68.83%

छात्र कक्षा कक्ष अनुपात २००२–०३ 1:86.60

कक्षा कक्ष जुलाई २००३–०४ 2448

जनपद की विशेष परिस्थितियों यथा सेवानिवृति एंव अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप अध्यापकों की समस्या बनी हुई हैं। अध्यापकों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिये जनपद में 900 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी है । प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है । और आगे भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु प्रकिया चल रही है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 40:1 के मानक के आधार पर अध्यापकों (प्रशिक्षित + शिक्षा मित्र) की नियुक्ति की जायेगी । जनपद में डी०पी०ई०पी के अन्तर्गत 187 प्राथमिक विद्यालय एंव 222 अतरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया हैं । अभी भी भगौलिक प्ररिस्थितियों और छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता हैं जिसे सर्व शिक्षा अभियान से पूर्ण किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक स्तर

अध्यापक छात्र अनुपात –

वर्ष 2002-03 1:189.09

छात्र कक्षा कक्ष अनुपात 2002-03 1:41.22

कुल कक्षा कक्ष जुलाई 2003-04 1069

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचांक

जनपद–सोनभद्र

2001 से अगस्त 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन सोनभद्र

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2001-02	11603	5432	17035	68	32	100
2002-03	13242	7723	20965	63.16	36.84	100
2003-04 July	14007	7595	21602	64.81	35.19	100

स्त्रोत विभागीय आंकड़े

जनपद सोनभद्र वर्ष 1997 से डी0पी0ई0पी0 परियोजना से आच्छादित हैं। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 2001 से 2003 के बीच वृद्धि हुई हैं।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एंव वृद्धि जनपद – सोनभद्र

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
2001-02	6733	5823	4479	17035	–
2002-03	8622	6452	5891	20965	23.07
2003-04 July	7581	8139	5882	21602	3.03

स्त्रोत विभागीय आंकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया हैं जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ हैं कि 2001–02 व 2002–03 में कमशः 23.07 प्रतिशत एंव 3.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	टांजिसन दर
2001-02	27957	6733	24.08
2002-03	31311	8622	27.53
2003-04 July	30824	7581	–

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यकम में यह अतिआवश्यक हैं कि कितने बच्चें एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं । अतः जनपद सोनभद्र का परिषदीय विद्यालयों का टांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया हैं । सारणी से स्पष्ट हैं कि 2001 से 2002 के बीच 3.45 प्रतिशत की टांजिसन दर में वृद्धि हैं । सारणी से यह भी स्पष्ट हैं कि मात्र प्राथमिक स्तर के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते हैं।

अध्याय -3
नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को सम्मिलित कर प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुचाने का ऐतिहासिक प्रयास हैं । इसके अन्तर्गत वर्ष 2007 तक छः से चौदह वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराना है ।

सर्व शिक्षा अभियान में प्रारम्भिक शिक्षा को एक आन्दोलन के रूप में सामुदायिक सहयोग से प्राप्त कर स्त्री–पुरूष असमानता एंव सामाजिक विषमता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया हैं । इसको विकेन्द्रीकृत तरीके से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक फैलाना हैं ।ग्राम पंचायतों ,नगरपालिकाओं , जिला परिषद एंव राज्यों को प्रोत्साहित कर स्वयं सेवी संगठनों सरकारी एजेन्सियों महिला एंव शिक्षक प्रतिनिधियों को इस अभियान में सम्मिलित कर इनकी जबाब देही सुनिश्चित की जायेगी।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना–

जनपद में पूर्व से संचालित डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सूक्ष्म नियोजन किया गया था और इससे प्राथमिक शिक्षा की पहुंच में आशातीत उपलब्धि हुई । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत प्रभारी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों उत्साही युवाओं स्वयं सेवी संगठनों तथा सरकारी विभागों से गांवो व बस्तियों की सूची तैयार कर 6 से 14 वय वर्ग के बालक एंव बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया गया ।

नवीन एंव पूर्व एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया

1- ग्राम मे 6 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या

2- परिषदीय मान्यता प्राप्त तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चों की संख्या।

3- बाल गणना के आधार पर विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या एंव कारण मानक के अनुसार विद्यालयों की कमी एंव नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता

4- गांवों में स्थित प्राथमिक व पूर्व माध्यामिक विद्यालय के भवन एंव उपलब्ध भौतिक सेसाधन की कमी एंव आवश्यकता ।

5- विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या तथा छात्र अध्यापक अनुपात के मानक से कमी।

6- अध्यापकों की उपस्थिति एंव अवकाशों की गणना ।

7- विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता एंव इसके अभिवृद्धि हेतु ग्रामवासियों एंव अध्यापको का विचार।

8- छात्र की उपस्थिति एंव ठहराव में कमी के कारण।

9- जातिवार बालक एंव बालिकाओं का नामांकन एंव ठहराव।

इसके अतिरिक्त गांव वासियों एंव ग्रम शिक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से परिवार सर्वेक्षण , स्कूल का मानचित्रण ,ग्रम शिक्षा योजना का निर्माण एंव अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एकत्रित की गयी।

शैक्षिक मानचित्रण विश्लेषण व ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी–

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समितियों , प्रबुद्ध नागरिको एंव उत्साही कर्मठ युवाओं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठक बुला कर शैक्षिक समस्यायों एंव आवश्यकताओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आपसी सहयोग ये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी। सभी गांव में पढने व न पढने वाले बच्चों की संख्या बालश्रमिकों के विषय में जानकारी , विकलांग बच्चों की संख्या एंव बालिका शिक्षा सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित कर कमशः ग्राम पंचायत स्तर से न्याय पंचायत स्तर पर

ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं को न्याय पंचायत प्रभारी द्वारा संकलित किया गया। विकास खण्ड के ब्लाक समन्वयक , प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा न्याय पंचायत की सूचनाओं का संकलन किया गया। 9 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रस्तावित नवीन विद्यालयों एंव जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों एंव बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए खोले जाने वाले वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों (AIE) चिन्हित किया गया । जनपद के जाति विशेष , श्रमिक संगठन एंव आदिवासी क्षेत्रों की सूक्ष्म नियोजन द्वारा चिन्हित कर वहां वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के प्लान के संरचना में सामुदायिक सहभागिता एंव विकेन्द्रीकरण को प्रमुखता दी गयी हैं । वर्ष 1997 से जनपद में डी०पी०ई०पी० II योजना संचालित हैं । जिसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु कार्य किये गये हैं और आगामी 2003 तक करते रहेगे। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भिक वार्षिक बजट में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुखता से कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

हाउस होल्ड सर्वे 2003-04

	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चें				स्कूल न जाने वाले बच्चें					
	बालक		बालिका		बालक		बालिक		बालक			बालिका		
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5 से 6 +	7 से 10 +	11 से 14	5 से 6 +	7 से 10 +	11 से 1[illegible]
[illegible]य	10145	5344	8539	4524	9504	4887	7904	4113	1122	381	457	808	264	411
[illegible]जाति	57485	25753	46695	18878	49141	20350	36954	12250	1335	5663	5403	6624	5965	6628
[illegible]जाति	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[illegible]ड़ी जाति	37385	16610	32133	13512	32882	14577	27129	10786	4478	2366	2033	4038	2503	2726
[illegible] संख्यक	5822	2424	4810	2200	5156	2234	4210	1769	608	335	190	433	317	431
[illegible]	110837	50131	92177	39114	96683	42048	76197	28918	13543	8745	8083	11903	9049	10196

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+ से 6+		6 से 10+		11 सें 14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
१–अपने धर के कामों में लगे रहना	**4048**	**3564**	3489	3682	3730	4187
२–मजदूरी में लगे रहना	**501**	**753**	787	688	1299	813
३–भाई–बहनों की देखभाल	2930	3413	2280	2670	1538	2061
४–विद्यालय दूर होने के कारण	2081	1432	1087	1110	1257	741
५–अन्य	3983	2741	1102	899	259	2394

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2003-04

क०सं०	विकास खण्ड	6-11			11-14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	चोपन	6659	5918	12577	3184	3435	6619
2	घोरावल	3331	2900	6231	1035	1268	2303
3	म्योरपुर	4452	4555	9007	1815	2218	4033
4	दुद्धी	3244	3160	6404	1148	1307	2455
5	रावर्ट्सगंज	2091	2012	4103	497	669	1166
6	बभनी	454	553	1007	283	348	631
7	चतरा	475	398	833	85	177	262
8	नगवां	1582	1456	3038	376	434	810
	योग	22288	20952	43240	8423	9856	18279

परिवार सर्वेक्षण

जून 2003 में स्कूल न जाने वाले 6-11 वय वर्ग के 43240 एंव 11-14 वय वर्ग के 18279 बच्चों को परिवार सर्वेक्षण द्वारा चिन्हांकित किया गया हैं । जिसमें से १६०३६ बच्चों को अनौपचारिक केन्द्रों (ई०जी०एस०, ए०आई०ई०, समरकैम्प, बृजकोर्श एवं ई०सी०सी०ई०) में नामांकित कराया जा चुका है। शेष ४५४८३ बच्चों को परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया गया है।

नामांकित बच्चों का विवरण निम्न प्रकार है–

१. विद्यालय दूर होने के कारण २००३–०४

ई०जी०एस०

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
126	4208	150	4800	160	5120	160	5120

२. घरेलू कार्य–ए०आई०ई० (प्राथमिक)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
90	2880	120	3840	140	4480	140	4480

३. घरेलू कार्य–ए०आई०ई० (उच्च प्राथमिक)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
40	1000	80	2000	120	3000	120	3000

४. घरेलू कार्य–समर कैम्प (प्राथमिक)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
25	1000	25	1000	25	1000	25	1000

५. मजदूरी–ब्रिजकोर्स (प्राथमिक)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
2	120	2	120	2	120	2	120

६. मजदूरी–ब्रिजकोर्स (प्राथमिक)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
66	2640	30	1200	20	800	10	400

७. छोटे भाई–बहनों की देखभाल–ई०सी०सी०ई०

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
200	4188	250	5000	300	6000	350	7000

योजना निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठक

जनपद स्तर /ब्लाक स्तर /ग्राम स्तर	तिथि	प्रतिभागियों का विवरण एंव संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो विन्दु उभरें उनका संक्षिप्त विवरण
जनपद स्तर	1-10-2001	उच्च प्राथमिक अध्यापक	१.नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की माग जिससे पूरा क्षेत्र

		38,अधिकारी 8	सेवित हो जाये २.जीर्ण –शीर्ण एवं जर्जर विद्यालय हेतु नवीन भवन वनवायी जाय । ३.उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों कों कम से कम १५ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाय एवं पाठयकम अद्यतन हो । ४.अध्यापको की नितांत कमी को पूरा किया जाय । ५.पहाडी एवं जंगलों से आच्छादित विषम स्थलों में जगह–जगह वैकल्पिक केन्द्र खोलें जायें ताकि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड सके ।
जनपद स्तर	3-10-2001	समस्त स०बे०शि०अ० / प्रति उ०वि०नि० / ब्लाक सम० / न्याय पंचा०प्रभा० / जि०स० / शि० संघ के प्रतिनिधि / प्रार्चाय डायट / प्रवक्त्ता / वि०बे०शि०अधि०	सभी से सर्व शिक्षा अभियान हेतु सूचनायें एकत्र की गयी एंव उनसे इस अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान हेतु आवश्यक सुझाव प्राप्त किये गये। १.नये अध्यापक व शिक्षा मित्रों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति की जाय । २.असेवित वस्तियों में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाये ताकि सभी बच्चे कक्षा ८ तक की शिक्षा प्राप्त कर सके । ३.ग्राम शिक्षा समितियों का अपेक्षित सहयोग नही मिल पाता हैं । ४.अध्यापकों से अन्य विभागों का कार्य कराना । ५.निरीक्षक वर्ग का अन्य विभागीय कार्य एंव सूचनाओं में व्यस्त होना । ६.अभिभावकों में अपने बच्चों को स्कूल भजने के प्रति उदासीन रहना।
जनपद स्तर	6-10-2001	डायट प्राचार्य एंव समस्त डायट मेन्टर्स	१.अध्यापको के सेवारत प्रशिक्षण में अधिकाधिक कक्षा शिक्षण पर बल २.विद्यालय परिसर को पेड पौधों व फूल पत्तियों से आर्कषक बनाना । ३.बच्चो को वर्ष में दो बार शैक्षिक स्थलों का भ्रमण कराया जाय। ४.प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक महिला अध्यापिका या स्थानीय महिला शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जाय। ५.अधिकांश कक्षाओं में बालिका का मानीटर बनाया जाय ६.ग्राम शिक्षा समिति में दो महिला विशेष आमंत्रित सदस्य हो। ७.किसी वस्ती में स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या मानक से कम हो तो भी वहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था हो। ८.उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापाको को भी सेवारत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना । ९.उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सामान्य कक्ष का निर्माण ।

			१०.उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष हं जिसमे आधुनिक उपकरण सहित आवश्यक व्यवस्था हो।
ग्राम स्तर पर कुरहुल रावर्टसगंज	7-10-2001	ग्रम शिक्षा समिति के सदस्य , बी०डी०सी० सदस्य , अध्यापक , अधिकारी	१.इस ग्रम पंचायत मे उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण बच्चों को आठ कि०मी० दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है । २.उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाये। जब तक इसकी व्यवस्था नही हो जाती प्राथमिक विद्यालय में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। ३.विद्यालय में शिक्षको की नितांत कमी हैं । ४.अध्यापक शिक्षण कार्य मे रुचि नही लेते हैं ५.विद्यालय का फर्श ,खिडकी , दरवाजा बनवाया जाये। ६.पिछले एक वर्षो से बच्चों का पोषाहार नही मिल पा रहा हैं । ७.अध्यापक विभागीय सूचनाओं एंव अन्य विभागीय कार्य में व्यवस्त रहते हैं जिससे पठन–पाठ्न में प्रतिरोध उत्पन्न।
विकास खण्ड स्तर (म्योरपुर)	12-10-2001	ग्राम प्रधान 20 बी०डी०सी० 15 ब्लाक प्रमुख व अधिकारी 6	१.जनपद के अधिकतर प्राथमिक विद्यालय एकल है अथव अध्यापक विहीन हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भी एकल है । जिससे शिक्षण कार्य ठीक से नही हो पाता है २.सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षक की व्यवस्था की जाये। ३.अभिभावक एंव अध्यापक द्वारा बालिका शिक्षा के प्रति भेद भाव रहित दृष्टिकोण अपनाया जाय । जंगली व मलिन बस्ती के बच्चों मे शिक्षा के प्रति रूचि पैदा किया जाय । ४.अध्यापकों का विद्यालय में कम ठहराव । ५. निरीक्षण पर्यवेक्षण में कमी ।
जनपद स्तर	12.10.2001	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी– 12, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, 2, जिलासमन्वयक गण, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि।	१. प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने केबाद उच्चप्राथमिक विद्यालय दूर होने तथा विखरी विखरी बस्तियां व जंगल एवं नदी नालों से घिरे होने के कारण खास तौरसे बालिकाओं के प्रति असुरक्षा की भावना से ग्रसित होने से उच्चाप्राथमिक शिक्षा ग्रहण नही कर पा रही है । इन बालिकाओं को उसी पाथमिक विद्यालय में उच्चाप्राथमिक स्तर की शिक्षा की कोई बैकल्पिक ब्यवस्था की जाय । 2. जनपदमें अध्यापको की कमी एवं निर्माण की तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण भवन निर्माण कराने में अत्यधिक परेशानियो का सामना करना पड़ता है। अतः किसी निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्य करवाया जाय ।

न्याय पंचायत स्तर (खलियारी नगवां)	16.10.2001	ग्राम प्रधान 5 अध्यापक 15,जिला पंचायत सदस्य १,ब्लाक प्रमुख 1,क्षेत्रपंचायत सदस्य 4, न्यायपंचायत प्रभारी 3,ब्लाक समन्वयक २,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी१,	१. इस न्यायपंचायत में प्राथमिक उच्चप्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है । २. विकास खण्ड में उच्चप्राथमिक विद्यालयों का अभाव है । ३. पहाड़ी एवंजंगली क्षेत्रों के विद्यालय अक्सर बन्द रहा है ।एक अध्यापकीयविद्याालय ही है कुछ अध्यापक विद्यालय विहिन है । ४. पूरे विकास खण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में जंगल एवं पहाड़ जिसके कारण बालिकाओ की शिक्षा सुरक्षाका भय बना रहता है । इस स्थिति में वे दूर तक विद्यालय नही जा पाती । अतः निकट में ही उनको प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकविद्यालयों पर ही उच्च प्राथमिक शिक्षा के बैकल्पिक केन्द्र खोले जाये जिससे बालिकाये अपने पहुचं के अनुकूल प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सके
जनपद स्तर पर नगरपालिक परिसदमें जिला नगरिय विकास अभिकरण द्वारा आयोजित चौपाल	16-10-2001	डूडा के अधिकारी कर्मचारी नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी प्राचार्य डायट अन्य विभागो के अधिकारी व नगरिय जनता	जनपद के आठ नगर निकाओं के 57 वार्डो में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की 66 बस्तियां हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 75000 हैं ।यह के बच्चें अभी भी शिक्षा की मुख्यधारा से नही जुड़ पाये हैं । अतः उनके लिये उन्ही बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता हैं । नगर निकाय वार मलिन बस्तियों की संख्या निम्नलिखित हैं – रावर्ट्सगंज –14 नगरपंचायत चुर्क गुरमा –8 नगरपंचायत चोपन–7 नगरपंचायत ओबरा–6 नगरपंचायत पिपरी–6 नगरपचायत दुद्धी–८ नगरपंचायत धोरावल–4
जनपद स्तर जिला शिक्षा परियोजना समिति के समस्त सदस्य	18-10-2001	जिलाधिकारी , प्राचार्य डायट , वि०बे०शि०अधि० एंव अन्य विभागों के अधिकारी गण तथा पत्रकार बन्धु ,नेहरू युवा के सदस्य	१.ग्रम स्तर पर बैठके आयोजित कर प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों को चिन्हित विद्यालय की स्थापना की जाय। २.शिक्षा के उन्नयन हेतु सामुदायीक सहभागिता को विकसीत किया जायेगा। ३.बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। पढने वाली बालिकाओं को विद्यालय मे प्रवेश दिलाने जाय ४.शिक्षा के उन्नयन के लिये समस्त विभागों में समन्व स्थापित किया जायेगा। ५.छात्र संख्या के आधार ५८ सभी विद्यालयों में अध्या एंव शिक्षा मित्र नियुक्ति किया जायेगा।

१०	जिला स्तर	20-10-01	जिला पंचायत अंध्यक्ष , जिला पंचायत सदस्य 4 डायट प्राचार्य , वि०बे०शि० अधि० , पत्रकार	1.जनपद के पहाड़ी व जंगलीय क्षेत्रों में नये विद्यालयो की स्थापना शिक्षक की व्यवहार कुशलता एंव कार्यक्षम में कमी 2.केशर मजदूरों एंव कालीन उद्यमियों वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाय । 3.शिक्षा के साथ–साथ हस्त कला एंव रोजगार परक शिक्षा भी उपलब्ध करायी जाय। 4.सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था हो ए समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाये।
११	ग्राम स्तर पर	23-10-2001	शिवद्वार वि०ख० धोरावल अध्यापक सं० 16 पूर्व ब्लाक प्रमुख , वर्तमान ब्लाक प्रमुख अधिकारी 8 ग्राम पंचायत अध्यक्ष 4 एंव सदस्य 5 एंव ग्राम वासी	१.शिवद्वार के दोनो प्राथमिक विद्यालय में छात्रो की सं बहुत अधिक हैं । लेकिन अध्यापकों के कमी के कारण, शिक्षण कार्य नही हो पाता हैं ।विद्यालय में 340 बच्चे ।और एक अध्यापक हैं । २.अध्यापक अक्सर मिटिंग एंव सरकारी कार्यो में व्यस्त रहतें हैं जिससे विद्यालय बन्द रहने की स्थिति रहती ३.लगभग एक वर्ष से बच्चों को पोषाहार नही बट रह । ४.छात्रवृति व पोषाहार न देकर बच्चो को पस्तकें एंव गणवेश उपलब्ध कराये जाये।
१२	ग्राम स्तर पर	27-10-2001	ग्राम मझौली दुद्धी ग्राम प्रधान 1 , अध्यापक 10 गाव वाले 25 अधिकारी 4	१.तेन्दु के पत्तों के व्यसाय में लगे लोगों के बच्चों क कर बालिकाओं हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्थ हो। २.बिखरी हुई बस्तीयों की वजह से बच्चें विद्यालय में आ पाते हैं । ३.गरीबी के कारण ग्रामिण अपने बच्चों को अपने सा लेकर काम पर चले जाते है । अतः समाज को जाग करना होगा ।
१३	ग्रामीण स्तर पर	30-10-2001	डाला चोपन केशर मजदूरों की वस्ती में अध्यापक 13 केशर मालिक चार–4 गजदूर वर्ग 26 अधिकारी चार जनपद के गणमान्य शिक्षा विद	१.गरीबी एंव दूर स्थित विद्यालय होने के कारण बच्चे विद्यालय नही जातें हैं।इन बच्चों के लिये बस्ती में ह भिन्न प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाये। २.मजदूरी में लगी किशोरीयों के लिये कैम्प व ब्रिज क कराया जाय । ३. यहां के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तके एंव ग उपलब्ध कराया जाये।
१४	जिला स्तर विकास खण्ड सभागार रावर्टसगज	17-11-2001	जिलाधिकारी ,मुख्य विकास अधिकारी , खण्ड विकास अधिकारी आठ, प्रार्चय डायट , जिला विद्यालय निरीक्षक , विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी , ब्लाक प्रमुख आठ , ग्राम प्रधानएंव क्षेत्र पंचायत सदस्य।	१.जनपद में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा स्तर हैं। अतः पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाये एंव – टीचर की व्यवस्था की जाए। २.बाल श्रमिकों एंव विद्यालय से बाहर रहने वाले ब को चिन्हीकरण कर नामांकन का अभियान चलाया ३.असेवेत बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की ज ताकि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुट सकें

			४.बालिकाओं की साक्षरता दर में अभिवृद्धि के लियें विशेष पैकेज बनाये जायें। ५.सघान निरीक्षण द्वारा अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायें।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं /सरकारी विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने एंव जनपद स्तर के शैक्षिक उन्नयन हेतु समय समय पर विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एंव विभिन्न सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त होता रहा हैं ।

१. जिला ग्राम विकास अधिकरण– डी०प०ई०पी० से पिछले चार वर्षो में 187 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गयी हैं जिसमे इस विभाग से 60% धनराशि उपलब्ध हुई हैं । आगे डी०पी०ई०पी० एंव सर्व शिक्षा अभियान से असेवित बस्तियों में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेगे

२. समाज कल्याण विभाग– इस विभाग से अनु०जाति के सभी बच्चों की 300 तक की धनराशि तथा उच्च प्राथमिक स्तर के अनु०जाति के बच्चों को चार सौ रू प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्रि दी जाती हैं । छात्रवृति के कारण नामांकन एंव ठहराव में वृद्धि होती हैं ।

३. पिछड़ा वर्ग , कल्याण , अल्प संख्यक कल्याण विभागसे सहयोग–पिछड़ी जाति एंव अल्पसंख्यक जाति के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर रू०300 प्रति छात्र एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर रू 480 प्रति छात्र की दर से छात्रवृति वितरित की जाती हैं। आगे भी इस विभाग से सहयोग प्राप्त होत रेहेगा।

४. उत्तर प्रदेश जल निगम /यू०पी०एग्रो से समन्वय – दोनों विभागों द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथिमिक विद्यालयों मे हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाती है। आगे भी सर्व शिक्षा अभियान केअन्तर्गत निर्मित विद्यालयों में पेयजल की सुविधा इस विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

५. युवा कल्याण विभाग से सहयोग– इस विभाग द्वारा बच्चों में खेल ऐव शारीरिक विकास सम्बन्धी प्रतियोगतिओं का विकास किया जाता हैं । नेहरू यूवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल द्वारा छात्रों के नामांकन सम्बन्धी विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जाते हैं एंव समाज को अभिप्रेरित कर विद्यालय से बाहर के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाता हैं । इनका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।

६. स्वास्थ्य विभाग से समन्वय – स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों द्वारा प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती हैं । विकालांग बच्चों के चिन्हिकरण शिविर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाते हैं जिसमें विकालांग बच्चों का परीक्षण एंव सर्टीफिकेशन किया जाता हैं ।

७. आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय – जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा , स्वास्थ्य कर्मी ,एन०जी०ओ० आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता हैं और निम्नवत आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय स्थापित किया गया हैं ।

- आगनवाडी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता हैं ।
- आगंनवाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती हैं ।
- आगंनवाडी केन्द्रों को सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाती हैं ।
- केन्द्रों की सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता विकास के लिये दिया जाता हैं।
- केन्द्रों के साज सज्जा हेतु अतिरिक्त धनराशि डी०पी०ई०पी० के ओर से उपलब्ध करायी जाती हैं ।

- केन्द्रों के अतिरिक्त संचालन हेतु कार्यकत्री एवं सहायिका को डी०पी०ई०पी० की ओर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता हैं ।

८. खाद्य एंव आपूर्ति विभाग से समन्वय – इस विभाग से प्राथमिक स्तर के 80% मासिक उपस्थिति वाले समस्त बच्चों का प्रतिमाह तीन किलों की दर से पोषाहार का वितरण किया जाता हैं । इसके फलस्वरूप बच्चों के नामांकन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई हैं । आगे भी इस विभाग का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

९. जिला पंचायत राज विभाग से सहयोग – ग्राम पंचायत द्वारा असेवित बस्तिगों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम समाज की निःशुल्क भूमि प्राप्त होती हैं. । समय समय पर इनके द्वारा शैक्षिक सुधार एंव आर्थिक सहयोग भी विद्यालय विकास के प्रति दिया जाता हैं ।

१०. डूडा से समन्वय – इस विभाग द्वारा नगरीय मलिन बस्तियों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न किये जातें हैं । जिसमें सफाई शिक्षा एंव स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाता हैं । मलिन बस्तियों के विद्यालय से बाहर के बच्चों का सर्वेक्षण कर उनकी शिक्षा के बारे में उचित माहौल तैयार किया जाता हैं । तथा बच्चों की शिक्षा के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जाती हैं ।

११. विकालांग कल्याण विभाग से सहयोग – समेकित शिक्षा एवम विकलांग शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु इस विभाग से सहयोग प्राप्त किया जाता है । विकलांग बच्चों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग लिया जाता है । इसके लिये विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण विकलांगता के प्रकार एवं प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है ।

१२. अर्थ एवं संख्या विभाग –इस विभाग द्वारा समस्त जनपद की जनसंख्या एंवं साक्षरता का प्रतिशत प्राप्त होता है ।इसके द्वारा प्राप्त विभिन्न आकडों द्वारा शैक्षिक किया–क्लाप सम्पादित किये जातें है ।

अध्याय– 4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य –

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की मंशा को ध्यान में रखतें हुए अनेको राज्यों मे सर्व शिक्षा अभियान की सुरूवात की गयी है । हमारे प्रदेश में भी सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भ की गयी है । इस अभियान में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र राज्य का हिस्सा 85:15 दसवीं पंचवर्षीययोजना में 75:25 एवं इसके बाद हिस्सा 50:50 निर्धारित है

इस अभियान द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को सार्वजनी करण करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लक्ष्य निर्धारित है

1- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों (कक्षा 1 से 8) का विद्यालय , शिक्षा गरांटी केन्द्र , वैकल्पिक विद्यालय , शिविर एंव कैम्प द्वारा शत प्रतिशत नामांकन।
2- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
3- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
4- गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना
5- लिंग भेद एवं सामाजिक विषमता को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्चप्राथमिक स्तर पर नामांकन , ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना ।
6- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव

इन सारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना गया है इसके बाद भी जनपद स्तर पर कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित है ।

क्षेत्रीय विषमता को दूर करना – जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विषम हैं । यहां के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 35% जंगलों से आच्छादित है कही उचें –उचे पठार हैं तो कही नदी नाले एवं गहरी खाईयां है । इन भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण आवागमन के संसाधनों का अभाव है । जिसके कारण नगवां ,बभनी, चोपन, म्योरपुर, एवं घोरावल विकास खण्डों का अधिकांश क्षेत्र आज भी विद्यालयीय सुविधाओं से बंचित है । मैदानी भागो के विकास के कारण सामाजिक जागरुकता विकासित हुई हैं । जिससे कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ एंव शैक्षिक स्तर भी काफी सुदृढ हुआ हैं किन्तु आज भी विषम स्थल शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रहा हैं । जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा उन विकट स्थलों को चिन्हकिंत कर संसाधनों (विद्यालय भवन शौचालय हैण्डपम्प) एंव सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से शैक्षिक उन्ययन का प्रयास किया गया हैं । और उसमे काफी हद तक सफलता भी पायी गयी । इसके बवजूद भी अभी बहुत सारे क्षेत्र इन विकास कार्यो से अछूते रह गये हैं । जिसके कारण अभी भी जनपद मे शैक्षिक विषमता हैं यानि पहाडों एंव जंगल वाले क्षेत्रों में साक्षरता दर कम हैं जिसे सर्व शिक्षा अभियान से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया हैं । जनपद की विषम भौगोलिक (जंगल नदी नाले पहाड़) स्थितियों वाले क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी मानक जैसें आठ सौ आवादी एंव तीन की०मी० की दूरी में लचीलापन लाने की आवश्यकता हैं । जैसे हैण्डपम्प शौचालय की व्यवस्था क्यो की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद बच्चों में विशेष कर बालिकायें (रूढवादी परम्परा एंव सुरक्षा) के कारण नदी और पहाड़ पार कर दूर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में नही जा पाती हैं । जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्रापआउट की दर अधिक होती हैं ।

नामांकन के लक्ष्य

हमारे संविधान के अनुछेद 95 के तहत सभी बच्चों (6-14) को प्राथमिक शिक्षा सुविधा मुहैया कराने का संकल्प लिया गया हैं । जब तक स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को आधार मान कर कोई नीति बनाई तबकत हम सर्व शिक्षा के सार्वजनिकरण लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करना तर्क संगत एंव अव्यवहारिक होगा । इस बुनियादी उद्देश्य को लेकर सर्व प्रथम जनपद को वर्ष 2001 की जनगणना की जनसंख्या के आकडें एंव बालगणना (6+11 तथा 11-18) के अनुपात को आधार मान कर दस वर्षो में जनपद के बच्चों की गणना आगणित की गयी हैं ।

जनगणना 1991 तथा 2001 की जनसंख्या के आकडें को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनसंख्या वृद्धि के कमपाउन्ड ग्रोथ रेट को निकाला गया हैं । इस प्रकार आगणित वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 3.12 प्रतिशत है वार्षिक वृद्धि दर से अगले 2002 से 2010 तक वर्षवार जनपद की कुल जनसंख्या निरूपित की गयी हैं । वर्ष 2001 की जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बाल गणना तथा 11-14 वर्ष की बाल गणना के अनुपात कमशः 14.9 व 6.2 प्रतिशत को आधार मानते हुये अगले वर्ष 2010 तक की बालसंख्या ज्ञात की गयी हैं ।

वर्तमान में कुल नामांकित बच्चों तथा बाल गणना से प्राप्त कुल बच्चों के अनुपात को आधार मानते हुए निपा नई दिल्ली द्वारा दिये गये नामांकन अनुपात वृद्धि से अगामि 2010 तक का सकल नामांकन अनुपात जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया हैं । प्रत्येक विशिष्ट वर्ष के लिये निरूपित जी०ई०आर० तथा आगणित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन लक्ष्य को प्रक्षेपित किया गया हैं । प्राथमिक स्तर पर (6-11) के लिये नामांकन में परिषदीय , मान्यताप्राप्त , गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों तथा विद्या केन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में नामांकित बच्चों को साम्मिलित किया गया है । प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2004 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) वर्ष के लिये वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन करने का उद्देश्य रखा गया हैं । सामान्यतया व्यवहारत नामांकन में लक्ष्य समूह से अधिक उम्र तथा कम उम्र के बच्चे भी नामांकित होने के कारण जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि जी०ई०आर० में गिरती हुई वृद्धि दर 100 प्रतिशत के बाद दर्शायी गयी हैं । इसका प्रमुख कारण हैं कि 6-11 वर्ष व 6-14 वर्ष के बच्चों के वृद्धि के अनुपात के लगभग बराबर नामांकन मे वृद्धि होगी ।

क्र०सं०	कुल जनसंख्या	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	नामांकन 6-11 वय वर्ग
1	1463468	209742	90735	174908
2	1509274	224887	93574	197157
3	1556514	231920	96503	219820
4	1605232	239179	99524	239179
5	1655475	246665	102639	258998
6	1707291	254386	105852	267528
7	1760729	262348	109165	293829
8	1815839	270560	112582	311144
9	1872674	279028	116105	329253
10	1931288	287761	119739	345313

11-14 नामांकन या	G.E.R 6-11	G.E.R 11-14	विद्यालय से बाहर 6-11	विद्यालय से बाहर 11-14
29738	83.39	32.77	34834	60997
39890	87.67	42.62	27724	33684
59120	94.78	61.26	12100	37383
71870	100.00	72.21	00	27654
82730	104.99	80.60	00	19909
92940	105.16	87.80	00	12912
109165	111.99	100	00	00
117800	115.0	104.63	00	00
128140	117.99	110.36	00	00
132390	119.99	110.56	00	00

स्त्रोत विभागीय आकडें

जनपद की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 3.13 प्रतिशत

6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या – जनसंख्या का 14.9 प्रतिशत

6-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या – जनसंख्या का 6.2 प्रतिशत

वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1463468 हैं और 6-11 वय वर्ग के 205742 बच्चे है जिनमे से 174908 का विद्यालयों में नामांकन हो गया हैं । अभी भी 6-11 वय वर्ग के 34834 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं । वर्ष 2007 तक लक्ष्य 6-11 वय वर्ग के सभी 239179 बच्चो को विद्यालय मे नामांकित कर देना हैं ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 11-14 वय वर्ग के 90735 बच्चें हैं जिनमे 29738 ही विद्यालयों में नामांकित हैं इस प्रकार 60997 बच्चें अभी विद्यालय से बाहर हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

हमारा लक्ष्य 2007 तक सभी 11-14 वय वर्ग के 109165 बच्चों को विद्यालयों में नामाकित कर देना होगा।

6-11 वय वर्ग की जी०ई०आर० वर्त्तमान में 83.39 प्रतिशत हैं जिसे 2004 तक 100 प्रतिशत एंव 2010 तक 120 प्रतिशत तक ले जाया जायेग । 11-14 वय वर्ग का वर्त्तमान में जी०ई०आर० 32.77 प्रतिशत हैं । अतः इसमे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बहुत से कार्य जैसे भवन निर्माण अतिरिक्त कक्षा कक्ष शौचालय हैण्डपम्प आदि पहुच एंव प्रशिक्षण दे कर वर्ष 2007 तक जा०ई०आर० को 120 प्रतिशत तक बढाया जायेगा।

ठहराव के लक्ष्य

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट

वर्ष	ड्राप आउट दर	ठहराव
2000-01	38	62
2001-02	33	67
2002-03	27	73
2003-04	20	80
2004-05	14	86
2005-06	8	92
2006-07	3	97
2007-08	0	100
2008-09	0	100
2009-10	0	100

कोहर्ट स्टडी आफ ड्राप आउट –वर्ष 2001 के 38 को आधार मानते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान में वर्ष 2008 तक प्राथमिक स्तर पर नामांकित सभी बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया हैं । अर्थात् शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया हैं । परियोजना के कियान्वयन काल में ड्राप आउट सुधार सम्बन्धी जानकारी के लिये प्रत्येक 3 वर्ष में प्राथमिक स्तर का तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट रेट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी।

अध्याय – 5

जनपद में शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु वर्ष 1997 से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम में महत्वपूर्ण कार्य किया हैं । 187 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण 222 अतिरिक्त कक्षा कक्ष 636 शौचालय ,हैण्डपम्प की स्थापना की गयी । जो बच्चे विद्यालय से बाहर थे उन्हे विद्यालय में लाने का प्रयास किया गया और कफी हद तक सफलतायें प्राप्त हुई । गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु न्याय पंचायत प्रभारी , ब्लाक समन्वयक माध्यम से तथा अध्यापकों को समय–समय पर गुणवत्ता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया ।

इन सारी उपलब्धियों के लिये सामुदायिक सहभागीता तथा नियोजन प्रकिया को विकेन्द्रीकृत किया गया । इनके बावजूद भी अभी जनपद की विशिष्ठ कठिनाईयों एंव प्रारम्भिक शिक्षा हेतु व्यापक परिचर्चा के आधार पर समस्यायें चिन्हित की गयी हैं ।

समस्यायें	रणनीति
1- विषम भौगोलिक स्थिति	जनपद में बडे पैमाने पर पहाड़ नदी नाले एंव जंगल फैले हुये हैं जिसके कारण 1KM की दूरी पर स्थित विद्यालयों में भी बच्चें नही जा पाते है। इसके लिये इस अभीयान के तहत नये नये प्राथमिक एंव पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे । हमारा लक्ष्य सभी को असानी से शिक्षा मुहैया कराना रहेगा । स्थान विषेश पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी खोला जायेगा।
2-गरीबी एंव सामाजिक पिछड़ापन	जनपद की लगभग आधी आवादी गरीबी रेखा से नीचे निवास करती हैं जिसके कारण बच्चे बाल मजदूरी में लगे रहते हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के द्वारा प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं । शासन द्वारा अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एंव पिछडी छात्रों की छात्रवृति 80 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों को पोषाहार वितरीत किये जाते हैं ।जिसके फलस्वरुप नामांकन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई हैं । इन सारी योजनाओं को चालू रखा जायेगा और प्रारम्भिक स्तर वाले छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरीत की जायेंगी और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 2003 एंव प्रारम्भिक स्तर पर 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन कर दिया जायेगा। इसके तहत सामुदायिक सहभागित ए कलाजत्था एंव उत्साही युवकों की सहायता ली जायेंगी ।
3- आकर्षक विद्यालय	डी०पी०ई०पी० द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को आकर्षक बनाने हेतु प्रति वर्ष रु०2000 दिया जाता हैं । जिससे छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था , भवन की रंगाई पुताई तथा सुन्दर स्पष्ट आदर्श वाक्य लिखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यक सामग्री कय करने हेतु सभी प्राथमिक विद्यालय को प्रति वर्ष रु० 5000 दिये जाते हैं । प्रारम्भिक स्तर पर भी इस तरह से धनराशि दे

	कर विद्यालयों को आकर्षक बनाया जायेगा ताकि बच्चों का ठहराव शत प्रतिशत हो और ड्रापउावट शून्य हो ।
4- अभिभावको एंव समाज की सोच संकीर्ण है	अभिभावक गोस्ठी एवं ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर अभिभावको एवं ग्रामिणो को संकीर्ण मानसिकता से उपर उठाया जायेगा । शिक्षा उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही नही बल्कि मानसिक एवं सामाजिक तथा नैतिक विकास है । इस कार्य हेतु समाज के प्रबुद्ध नागरिको का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।
5. अध्यापकों का अभाव	जनपद सोनभद्र की प्रमुख समस्या है । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों मे शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी तथा 40:1 की संख्या पर अध्यापको की व्यवस्था की जायेगी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विषय के आधार पर अध्यापको की नियुक्ति कर प्रत्येक विद्यालय मे एक प्रधान अध्यापक एवं चार सहायक रखे जायेगे ।
6- अध्यापक का अन्य कार्यो में व्यस्त रहना	शिक्षण कार्य के अलावे अध्यापक अन्य राष्ट्रीय एवं शासन के कार्यो में व्यस्त रहते है । बहुत सी सूचनाओं हेतु बार–बार विद्यालय से बाहर जाना पड़ता है विद्यालयों से एक बार सभी सूचनायें इकट्ठी कर ब्लाक स्तर पर संकलित रूप में रखी जायेगी ताकि बार– बार विद्यालयो से सूचनायें न मगानी पड़े । विभाग के अलावे अन्य कार्यो के दौरान भी ध्यान रखा जायेगा की विद्यालय बन्द न हो सके ।
7- शिक्षक की कार्य क्षमता एवं व्यक्तित्व का ह्रास	अध्यापकों को समय समय पर गुणवत्ता परक शिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है अध्यापकों का व्यवहार छात्रों के प्रति मृदु भाषी और मित्रवत होना चाहिये ताकि छात्र अपनी कठिनाइया बेझिझक प्रकट कर सके । प्रारम्भिक शिक्षा मे नये नये शोध हो रहे है । इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर अध्यापकों को दी जायेगी । विषय वार दिये जायेगे जिससे कार्य क्षमता में बृद्धि होगी ।
8- अध्यापक छात्रों एवं अभिभावकों का सामंजस्य नही	समय समय पर अध्यापक छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय मे बुलायेगें तथा छात्रो की शैक्षिक समस्याओ पर परिचर्चा करेगें । बच्चों सर्वागीण विकास में अध्यापक एवं अभिभावक का सामंजस्य बहुत जरूरी है । बच्चों को शिक्षण सामग्री एवं उपयोगी बस्तुएं सुलभ कराने के लिये अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
9- सतत् मूल्यांकन का अभाव	विद्यालयों मे त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक तथा आवश्यता पड़ने पर मासिक मूल्यांकन कराया जायेगा ।मूल्यांकन विषय वार एवं गुणवत्तापरक होगा । इस मूल्यांकन द्वारा अच्छे अंको से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत

किया जायेगा । निम्न शैक्षिक अस्तर वाले छात्रों के लिये विशेष पैकेज बनाये जायेगे ।

10- औचक एवं शैक्षिक निरीक्षण

समय समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण NPRC समन्वयक , BRC समन्वयक डायट द्वारा शैक्षिक सम्बर्घन हेतु निरीक्षण कर प्रभावी सुझाव दिया जायेगा ।

11- बिकलांग एवं समेकित शिक्षा

जनपदमें विकलांग बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा इन बच्चों के लिये विशेष पैकेज का निर्माण कर उन्हे प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी ।

12- ग्राम शिक्षा समिति का पूर्ण सहयोग न मिलना

विद्यालय एवं अध्यापकों को संशाधनो , शैक्षिक गुणवत्ता हेतु पूर्ण सहयोग एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु ब्लाक के अधिकारियो द्वारा समय समय पर गोस्ठी आयोजित की जायेगी । अच्छे कार्य करने वाले ग्राम शिक्षा समितियो को पुरस्कृत किया जायेगा । सामुदायिक सहभागिता द्वारा समिति को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा उनके सुझाओ को प्रमुखता दी जायेगी ।

इन सभी समस्याओ के अलावे अन्य सर्माजिक समस्याओ पर गम्भीरता से विचार कर निदान की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)

प्राथमिक विद्यालय–

जनपद सोनभद्र में वर्ष 1997 से संचालित डी०पी०ई०पी०II परियोजना से 187 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तीयो में खोले गये । जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी भी 84 नवीन असेवित वस्तिया चिन्हित की गयी है। डी०पी०ई०पी०II द्वारा वर्ष 2003 तक 20 नवीन प्राथमिक विद्यालय निर्मित किये गये तथा शेष 64 प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान से खोले गये हैं। अगले दस वर्षो में 6-11 आयु वर्ग के 287761 बच्चें हो जायेंगे जिन्हे प्राथमिक शिक्षा मुहैया करायी जायेगी । अतः इन बच्चों की संख्या और जनपद की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थतियों जैसे पहाड़, जंगल एंव नदी नालों के कारण नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पडेगी।

- डी०पी०ई०पी० योजना के पूर्व प्राथमिक विद्यालयो की संख्या – 750
- डी०पी०ई०पी० योजना द्वारा निर्मित प्राथमिक विद्यालयो की संख्या– 187
- डी०पी०ई०पी० योजना द्वारा 2003 तक खोले जाने वाले प्रा०वि० की संख्या–20
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2003-04 में खोले गये प्रा०वि० की संख्या–64, 05 - 2005 06 में

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा खोले जाने वाले विद्यालय की वर्षवार संख्या–

प्राथमिक विद्यालय–

वर्ष	संख्या	परियोजना का नाम
2001-2002	**20**	**डी०पी०ई०पी० द्वारा**
2002-2003	**---**	**.....**
2003-2004	**64**	**सर्व शिक्षा अभियान**
2004-2005	**--**	**....**
2005-2006	**--- 05**	**.... सर्व शिक्षा अभियान**

उच्च प्राथमिक विद्यालय –

वर्ष	संख्या	परियोजना का नाम
2001-2002	**---**	**.....**
2002-2003	**15**	**सर्व शिक्षा अभियान**
2003-2004	**130**	**सर्व शिक्षा अभियान**
2004-2005	**--**	**....**
2005-2006	**-- 05**	**.... सर्व शिक्षा अभियान**
2006-2007	**---**	**....**

उच्च प्राथमिक विद्यालय –

वर्तमान में जनपद में कुल 278 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें कुल 44059 (जुलाई 03) छात्र अध्ययन कर रहे हैं । अगले दस वर्षो में 11-14 आयु वर्ग के 119739 बच्चे हो जायेगे जिन्हे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाना होगा ।

वर्तमान उच्चप्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 278

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा २००२–०३ में खोले गये उच्चप्राथमिक विद्यालयों की संख्या –15

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा २००३–०४ में खोले गये उच्चप्राथमिक विद्यालयों की संख्या –130

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा २००५-०६ में खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयो की संख्या = 05

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003-04 में नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 150 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला गया है।

शिक्षक –

प्राथमिक विद्यालयों मे दो अध्यापक (1 परिषदीय अध्यापक + 1 शिक्षा मित्र)की व्यवस्था है । पूर्व में सृजित पद की कमी को राज्य सरकार पूरी करेगी । डी०पी०ई०पी०II द्वारा खोले गये प्राथमिक विद्यालयों मे शिक्षक की व्यवस्था डी०पी०ई०पी० द्वारा की जाती है सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 69 प्राथमिक विद्यालयों हेतु 69 परिषदीय अध्यापक (प्र०अ०)एवं 69 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी । 2010तक प्राथमिक विद्यालयों में 345313 छात्रों को नामांकित करने का लक्ष्य है । अतः 40:1 के मानक केअनुसार अतिरिक्त अध्यापकों एवं शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी.।

बर्तमान मे संचालित 133 उच्चप्राथमिक विद्यालय हेतु अध्यापक की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी । सर्वशिक्षा अभियान द्वारा 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयो हेतु प्रति विद्यालय 2 सहायक अध्यापक एवं 1 प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जायेगी । विषय विशेषज्ञ, महिलाशिक्षा, समेकित शिक्षा हेतु सहायक अध्यापको को नियुक्त किया जायेगा । इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्चप्राथमिक विद्यालयो में 450 शिक्षको की व्यवस्था होगी ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है।जिला शिक्षाएवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त, सी०पी०एड० आवेदको से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला चयन समिति द्वारा कर उन्हे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाती है । उच्चप्राथमिक विद्यालयों में सीधे नियेक्ति न कर इन्ही प्राथमिक विद्यालय के अध्यापको को पद्दोन्नत कर सहायक अध्यापक के रूप मे रखा जाता है ।

विद्यालय साज सज्जा –

वर्तमान में डी०पी०ई०पी०।। द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों को रू 5000 प्रति वर्ष साज सज्जा हेतु दिया जाता है । वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों को यह धनराशि डी०पी०ई०पी० द्वारा ही उपलब्ध करायी जाती रहेगी। 2003 के बाद सभी प्राथमिक विद्यालयों को यह धनराशि सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत दी जायेगी ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ऐसी कोई ब्यवस्था नही है । वर्ष वार जैसे जैसे उच्चप्राथमिक विद्यालयो की स्थापना होती रहेगी उनको भी साज सज्जा हेतु प्रति विद्यालय रू5000 की धनराशि सर्वशिक्षा अभियान द्वारा दी जायेगी । सर्व शिक्षा अभियान द्वारा खुलने वाले सभी नये प्राथमिक विद्यालयों में रू 10000 एवं उच्चा प्राथमिक विद्यालयों मे रू50000 काष्ठोपयोगी एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्रीयों को कय करने हेतु दिये जायेगे । यह धनराशि केवल एक बार ही दी जायेगी ।

विद्यालय सौन्दर्यीकरण– वर्तमान मे डी०प०ई०पी० द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों को सौन्दर्यीकरण द्वारा रु०2000 की धनराशि प्रति वर्ष दी जाती हैं । वर्ष 2003 के बाद सभी नये व पुराने प्राथमिक विद्यालयों को यह धनराशि सर्व शिक्षा अभियान से दी जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्त्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नही हैं लेकिन वर्ष 2001 से ही सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयो को भी 2000/ की धनराशि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । जिसे विद्यालयों की रंगाई पुताई, परिसर सफाई एंव आर्दश तथा विशेष उपयोगी लेखो पर व्यय किया जायेगा। वर्ष २००३–०४ से जनपद के सभी वित्त पोषित व राजकीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी रु० २००० की धनराशि विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु दी जायेगी।

वर्ष 2004-05 में विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित विद्यालयों की सूची

क०सं०	विद्यालय का प्रकार	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	परिषदीय	1021	278
2	राजकीय उ०मा०वि०	01	07
3	राजकीय इण्टर कालेज	..	05
4	वित्त पोषित विद्यालय	...	03
5	स्टेट का विद्यालय	19	...
6	अशासकीय हाई स्कूल	...	10
7	अशासकीय इण्टर कालेज	...	01

पेयजल , शौचालय एंव चाहारदीवारी–

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु 69 नवीन प्राथमिक तथा 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प इण्डिया मार्का II लगया जायेगा। बालक व बालिकाओं के 69 नवीन प्राथमिक विद्यालय व 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था –

प्राथमिक विद्यालयों एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण अध्यापक एंव ग्राम प्रधान के संयुक्त दायित्व में किया जाता है । डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण परिषदीय अध्यापक एंव चयनित विद्यालयों के ग्राम प्रधान के संयुक्त नाम से धनराशि आवंटित करयी गई हैं । निर्माण हेतु सामुदायिक सहभागिता द्वारा गुणवत्ता एंव मानक को ध्यान में रखा जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चयनित प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण भी उसी कार्यदायी संस्था को सौपी जायेगी । इसमें ग्राम शिक्षा समिति को भी उत्तरदायी बनाया जायेगा।

विद्यालय निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण –

विद्यालयों की चाहरदीवारी , विद्यालय भवन , शौचालय , हैण्डपम्प आदि का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामिण अभियंत्रण सेवा /लघु विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था हैं । जनपद के आठों विकास खण्डों से आये हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की बैठक दिनांक 1-10-2001 को डायट मे की गयी जिसमें सर्व शिक्षा के बारे में विस्तार से प्राचार्य डायट द्वारा बताया गया तथा विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था पर विचार किया गया। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात मे बनायी गयी है । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 145 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर मे ही किया जायेगा। जिससें प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि ,भवन ,हैण्डपम्प , शौचालय तथा चाहरदीवारी आदि संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके । जिससे नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मे शौचालय तथा हैण्डपम्प आदि मदों मर खर्च की जानी वाली धनराशि को बचाया जायेगा।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण –

सर्व प्रथम नये प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एंव दूरी को मानक मान कर किया जायेगा। बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता को ध्यान मे रख कर जनपद मे नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना की आवश्यकता हेतु विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष कराया जायेगा। इसी

सर्वेक्षण को आधार मान कर अगामी वर्ष के बजट एंव वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सामिल किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रु 2.5 लाख का वित्तिय प्रावधान प्रति वर्ष रखा गया है । सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़ों / सूचनाओं का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से ही किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेंतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कय किया जायेगा– मेज . कुर्सी . बाल्टी धण्टा . गिलास . टाटपट्टी . अलमारी . सन्दूक . श्यामपट्ट . कूड़ादान . म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढ़ोलक . मजीरा . हारमोनिया . रिंग . गेंद . कूदने की रस्सी . टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री ; गणित किट . विज्ञान किट मानचित्र . शैक्षिक चार्ट . ग्लोब . शब्दकोष . ज्ञान कोष . खिलौने . बौद्धिक खेलकुद के ब्लाक आदि) । उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी . किन्तु ग्रामीण अंचलों मे विज्ञान किट . गणित किट . सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं . इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय कम, समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कम किया जायेगा– मेज . कुर्सी . बाल्टी, लोटा . धण्टा . गिलास . टाटपट्टी . अलमारी . सन्दूक . श्यामपट्ट . कूड़ादान . म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढ़ोलक . मजीरा . हारमोनिया . बांसुरी) कीडा सामग्री (फुटबाल . बालीबाल . स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प . क्लास रुम टीचिंग मैटीरियल . गणित किट . विज्ञान किट . मानचित्र . शैक्षिक चार्ट . ग्लोब . ज्ञान कोष . टू इन वन . आदि –आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी) ।

अध्याय– 7

शिक्षा के पहुचं का विस्तार II

शिक्षा गरांटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा(EGS&AIE)

परिचय– सोनभद्र उ०प्र० का आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि कोण से अत्यधिक पिछड़ा जनपद हैं । यहां कुल 3 तहसीलें , 8 विकास खण्ड , तथा 66 न्याय पंचायतें हैं । कुल क्षेत्रफल का लगभग 35 प्रतिशत भू–भाग जंगलों से आच्छादित हैं । जनपद के पांच विकास खण्ड नगवां,चोपन,म्योरपुर,दुद्धी,व बभनी, विकट भौगोलिक परिस्थति जन्य भुभाग हैं । इन विकास खण्डों में नदी , नालों घन घोर जंगलों एंव पहाड़ों के कारण याता यात के साधनों तथा बाजार का भी विकास नही हो पाया हैं।इन दुर्गम क्षेत्रों में केवल पैदल ही आवा गमन हो सकता हैं।सडकों तथा सम्पर्क मार्गो के अभाव के कारण यहो के निवासियों का जीवन वर्तमान जीवन शैली से भिन्न हैं दैनिक जीवन के उपभोग वस्तुओं के लिये भी 40-40 किमी० तक पैदल चल कर बाजार आना पड़ता हैं । बरसात के समय वह भी सम्पर्क कट जाता है । इन क्षेत्रों में विखरी –विखरी वस्तियां पायी जाती हैं जिससे एक –एक ग्राम पन्चायत का विस्तार 10 से 35 की० मी० तक पाया जाता हैं । यहा निवास करने वाली जनसंख्या का कठोर जीवन हैण्ड टू माउथ तक सीमित हैं । उक्त कारणों से यहां की साक्षरता भी बहुत कम है । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल साक्षरता 34.4% तथा महिला साक्षरता 18.65% रही हैं। निम्न साक्षरता दर वाले विकास खण्डों का विवरण इस प्रकार हैं –

विकास खण्ड का नाम	साक्षरता प्रतिशत पुरूष	साक्षरता प्रतिशत महिला	अनु०जाति महिला साक्षरता	कुल जनसंख्या में अनु०जाति का प्रतिशत
चोपन	31.47	8.07	1.47	58.1
बभनी	31.66	5.42	3.19	65.3
म्योरपुर	54.07	25.01	1.29	43.1
दुद्धी	36.05	8.02	5.74	57.4
नगवां	29.55	5.56	1.59	53.5

स्रोत जनगणना 1991

वर्ष 2001 के जनसंख्या के सम्पूर्ण आकड़ें उपलब्ध नही हैं । केवल साक्षरता के आकड़े उपलब्ध हैं जिसके आधार पर 2001 की जनपद की कुल साक्षरता 39.96% तथा महिला साक्षरता 34.26% हैं। साक्षरता के आकडों से स्पष्ट हैं की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्रीय वृद्धि दर से बहुत कम हैं । जब कि महिला साक्षरता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि (8.44%) हुई हैं। जो जन सामन्य में महिला शिक्षा/बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक झुकाव का संकेत हैं । इससे स्पष्ट हैं की जनपद में दलित वर्ग के लोग अब बालिका शिक्षा के प्रति भावनात्मक दृष्टि से भी तैयार हो रहे हैं । डी०पी०ई०पी० के कियान्वयन से बालिका शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता वृद्धि के कारण भी महिला साक्षरता की वृद्धि हुई हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा –

प्राथमिक शिक्षा के सर्वजनीकरण क उद्देश्य को लेकर स्कूल से बाहर (6-11 वय वर्ग) के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सर्व सुलभ कराने के लिये सरकार ने कुछ विशेष प्रयास पूर्व से किया हैं । जिसकी अनौपचारिक शिक्षा एक कड़ी रही । इसके अन्तर्गत ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नही पहुच पाये है , या तो विद्यालयों के पहुचं के अभाव के कारण , या प्राकृतिक बाधाओं के कारण , या किन्ही कारणों से बीच में पढाई छोड़ दियें तथा कुछ सामाजिक मान्यताओं , आर्थिक प्ररिस्थितियों के कारण स्कूल न जा सकने वाले कामकाजी बच्चों को भी उनकी समयानुसार अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राथमिक समतुल्य शिक्षा उपलब्ध करायी गयी। यह शिक्षा जनपद के तीन विकास खण्डों नगवां,चतरा,बभनी में संचालितत रही हैं । अब केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 से बन्द कर दी गयी हैं। तथा सर्व शिक्षा

अभियान के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा के स्थान पर वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा तथा शिक्षा गारंटी योजना लागू की जा रही हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा की जनपद में यह उपलब्धि रही की विकट भौगोलिक क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित कुछ बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करायी गयी किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभाव के कारण से ये अधिकांश बच्चें शिक्षा के मुख्य धारा से नही जुट पायें । अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कुछ नियत सीमाओं के कारण बच्चों को उनकी मांग के अनरूप शिक्षा व्यवस्था कर पाना सम्भव नही रहा । इस कमी को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

वैकल्पिक शिक्षा–

जनपद सोनभद्र में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत शिक्षा के सर्वव्यापी करण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनौपचारिक शिक्षा से वंचित निम्न साक्षरता दर वाले तीन विकास खण्डों (चोपन , दुद्धी , धोरावल) वर्ष 1998-99 से 129 वैकल्पिक शिक्षा केन्द(30ऋषि वैली,65शिक्षाघर , 24बालशाला , 10प्रहर पाठशाला) खोले गयें। इन कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा देने की व्यवस्था हैं तथा बच्चों को किसी भी समय किसी कक्षा में मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता हैं । प्रारम्भ में 4734 बच्चों को नामांकित कराया गया । ये केन्द्र विषम , दुर्गम क्षेत्रो में स्थित असेवित बस्तियों में खोले गये हैं जहां अनुसूचित जातियों , पिछड़ी जातियों की बहुल्यता रही । जनपद के स्थिति के अनकूल चार प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा माडल संचालित किये गये हैं । शिक्षा घर बेसिक शिक्षा परियोजना पर आधारित माडल हैं जिसमें 6-11 वय वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के भांति शिक्षा दी जाती हैं । बालशाला माडल ऐसे क्षेत्रों में खोले गये हैं जहां पर बालिकायें विशेष रूप से अपने छोटे–भाई बहनों की देख रेख के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रही । इसमें 6 वर्ष की आयु के पूर्व बच्चों को भी शिक्षा देने का प्राविधान हैं । बालशाला केन्द्रों में अलग से एक सहायिका रखी गयी हैं । प्रहर पाठशाला माडल विशेष रूप से 9-14 वर्य वर्ग की बालिकाओं के लिये खोला गया हैं। अधिक उम्र तथा मनोवैज्ञानिक झेप के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया हैं। ऋषि वैली माडल आन्ध्र प्रदेश के ऋषि वैली संस्थान चितुर से लिया गया हैं । यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में खोला गया हैं जहां कामकाजी बच्चों की बहुल्यता हैं । इस माडल में पुस्तक विहीन प्रणाली का प्रयोग किया जाता हैं । इसमें बच्चों को बहुस्तरीय तथा बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली से शिक्षा दी जाती हैं ।

वैकल्पिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा की एक कड़ी का कार्य करती हैं । इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों , ड्रापआउट बच्चें , कामकाजी बच्चें , पेशेवर बच्चें , अधिक उम्र के बच्चों को उनके पहुचं के अनुकूल शिक्षा उपलब्ध करा कर शिक्षा के मुख्य धारा से जोडना हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत असेवित वस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के कारण 37 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ कर बन्द कर दिया गया हैं। वर्तमान में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन इस प्रकार हैं–

	पिछड़ी जाति			अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक			सम्पूर्ण योग			कुल नामांकन अनु०जा०का प्रतिशत		
ञ० योग	बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग	बा०	बालि	योग	बा०	बालि	योग	बा०	बालि	यो
104	477	357	834	1536	1023	2559	21	25	46	2076	1467	2543	73.98	69.7	72

डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत संचालित 126 विद्याकेन्द्र व 90 ए०आई०ई० केन्दों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003-04 से और आगे चलाया जायेगा।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल नामांकन में केवल अनुसूचित जाति का प्रतिशत 72.26 हैं जिसमें 73.98 प्रतिशत बालक 69.73 प्रतिशत बालिकायें हैं । नामांकन के आकड़ों से यह भी स्पष्ट हैं कि ये केन्द्र अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे ही खोले गये हैं । जनपद में बिखरी

बस्तियों तथा शिक्षकों के अभाव के कारण अभी भी बहुत बच्चें शिक्षा से वंचित हैं । डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों को सेवित करने का प्रयास वै०शि० द्वारा किया गया हैं। किन्तु नगरीय क्षेत्रों के मलीन वस्तियां वै०शि० से वंचित हैं । इसमें रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता हैं ।

शिक्षा गारण्टी योजना – वर्ष 2000-01 में शिक्षा गारण्टी योजना अन्तर्गत विद्या केन्द्रों की मांग ग्राम शिक्षा समितियों से की गयी । जिसमें कुल 480 असेवित वस्तियों में केन्द्र खोलने की प्रबल मांग आयी । किन्तु जनपद में मात्र 126 केन्द्र स्वीकृत हैं एंव संचालित हैं कुल नामांकन निम्नवत् हैं–

विकास खण्ड	केन्द्र – संख्या	बालक	बालिका	योग
घोरावल	08	158	94	252
बभनी	05	98	72	170
म्योरपुर	42	782	614	1386
चोपन	53	1152	650	1802
नगवां	15	298	182	480
रावर्ट्सगंज	03	68	50	118
योग	126	2556	1662	4208

शिक्षा गारण्टी योजना अन्तर्गत कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्राविधान हैं। यद्यपि शिक्षा गारण्टी योजना में उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार 1 कि०मी० की परिधि में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की अनुपलब्धता एंव 30 बच्चों की उपलब्धता पर विद्या केन्द्र खोलने का नियम प्राविधानित हैं परन्तु जनपद के विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण जो विद्या केन्द्र खोले गयें हैं वे न्यूनतम तीन कि०मी० की दूरी पर हैं ।

ऐसे में विद्या केन्द्र के बच्चों को कक्षा तीन में पहुच के अनुकूल प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराने की समस्या हैं । जिले की विकट परिस्थितियों (पहाड़ी जंगली नदी नालों) व आर्थिक सन्साधनों के अभाव के कारण विखरी वस्तियों का विकास अत्यधिक मात्रा में हुआ हैं । जिसके कारण विद्या केन्द्रों के बच्चों के नामांकन मांग से वै०शि०केन्द्रों की प्रतिपूरक मांग बढेगी ।

अध्यापकों की ठहराव की समस्या– विकास खण्ड चोपन , नगवां , दुद्धी ,म्योरपुर ,घोरावल तथा बभनी के जंगली पहाड़ भूभाग के कारण रिमोट एरिया वाले क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों की न्यूनता मैदानी भू–भाग अथवा शहरी क्षेत्रों से अध्यापको की नियुक्ति की जाती हैं और ये अध्यापक राजनैतिक , प्रशासनिक हस्ताक्षेप से नगरों के निकट स्थानांतरण करा लेते हैं । विकास खण्ड की समय–समय पर शैक्षिक समस्यों अध्ययन से यह बात उभर कर आयी हैं की वर्षा काल में विद्यालय प्रायः बन्द रहते हैं । आवागमन की सुविधाओं की अभाव होने के कारण अध्यापकों के ठहराव की प्रमूख समस्या हैं । अन्तर जनपदीय शिक्षको की वहुल्यता होने के कारण प्रति वर्ष ये अध्यापक अपने–अपने गृह जनपदों में स्थानांतरीत हो जाते हैं ।जिससे प्राय इन क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों की दशा अध्यावपक विहीन हो जाती है ।सबसे अधिक एकल अध्यापकीय व बन्द विद्यालयों की संख्या चोपन नगवां म्योरपुर बभनी दुद्धी विकास खण्डों में रही है। प्रत्येक साल की व्यवस्था एवं प्रबन्धन के बावजुद आज भी अध्यापकों की कमी की समस्या बनी हुयी है ।यह व्यवहारिक तथ्य जग जाहिर है कि विकट भौगौलिक क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति कम हो पाती है ।जिससे निर्धनता के कुचक की तरह इन क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी का दुष्चक हमेशा कियाशील रहता है ।अत इस क्षेत्र में बडी संख्या में स्थानीय शिक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था ज्यादा कारगर एव प्रभावी होगी ।इन क्षेत्रों में ही बडी मात्रा में शिक्षा गारण्टी, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की बडे पैमाने पर आवश्यकता होगी ।

शिक्षा गारण्टी/वैकल्पिक शिक्षा एंवं नवाचार शिक्षा केन्द्र– जनपद के दुद्धी तहसील के विकास खण्डों का फैलाव 100 कि०मी० के लम्बाई चौडाई में होने के कारण प्रशासनिक प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में अध्यापको के ठहराव की समस्या हैं । पांच विकास खण्डों नगवां , दुद्धी , चोपन , म्योरपुर , बभनी में बिखरी वस्तियों का प्रादुर्भाव हैं । एक एक दस–प्रन्द्रह घरो वाली वस्ति का विखराव 3-4 कि०मी० की परिद्धि तक होने के कारण मानक बाधता से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नही हो सकती हैं ऐसे में इन क्षेत्रों में वै०शि०केन्द्रों (प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर) की आवश्यकता हैं । नदीयों , नालों , जंगलों के दुसरे किनारे पर बसी जनसंख्या के बच्चों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु केन्द्र खोलने की आवश्यकता होगी । वर्षा काल में आवगमन बाधित हो जाता हैं ऐसे क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिस्थानी ब्रिज कोर्स संचालन की आवश्यकता महशूस की गयी हैं । इन क्षेत्रों मे बालिका एवं बालकों दोनों के लिये आवसीय शिविरों की आवश्यकता हैं विखरी वस्तियों के कारण मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोलना सम्भव नही हैं । बालिकाओं के लियें मानक के अनरूप विद्यालय के स्थापना के बावजूद भी जंगल , पहाड़ नदी , नालों , से चल कर तीन कि०मी० तक शिक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार होना समस्यात्मक एंव विचारणीयें पहलू हैं। चुंकि इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या विकट आर्थिक परिस्थितियों से जीवन संघर्ष करती रहती हैं इनका मुख्या धन्धा जंगलों से लकड़ी काटना ,बेचना, पत्थर तोडना , गिट्टी फेकना , सड़क निर्माण में मजदूरी करना हैं । कठोर कार्यो में मजदूरी कर के दो–जून की रोटी जुटातें हैं । जिससें बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय रोजी रोटी पर ध्यान देते हैं । ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की सोच बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक हैं जंगल से पर करना बालिकाओं के लियें सुरक्षा से भय से पढानें भजने को तैयार नही होते हैं । प्ररम्परावादी दृष्टि कोण कूट–कूट के भरे होने के कारण लोग पहले से ही बालिकाओं के शिक्षा के प्रति उदासिन हैं तथा सुरक्षात्मक पहलू के प्रति ग्रामिण रूढवादी लोग अत्यधीक संवेदनशील होते हैं । ऐसे में लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष माहौल तैयार करने क साथ–साथ उनके बच्चों की सुरक्षा का पुरा विश्वास दिलाना होगा । इन क्षेत्रों में जगह–जगह बालिका शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता होगी जिसमें महिला शिक्षक की भूमिका सार्थक होगी । किन्तु दुर्गम विहड़ जगली क्षेत्रों में शिक्षित युवा महिला की उपलब्धता नगण्य हैं इस लियें पुरूष शिक्षक पर ही विश्वास करना होगा ।

प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन –

जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिदृश्य का विगत चार वर्षो का अध्ययन (98,99,2000,2001) किया गया है इस अध्ययन से यह बात स्पस्ट है किसर्व शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य(6-14 वय वर्ग विकलांग बच्चों के 18 वर्ष) पुर्ति के लिये सभी बच्चों कों कक्षा 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । निम्न सारणि से स्पष्ट हैं – कोष्ठक में दिये गयें अंक कुल नामांकन में बालिकाओं का प्रतिशत दिखा रहा हैं–

कक्षा 5 में नामांकन			कक्षा 6 में नामांकन			कक्षा 5 से 6 के बीच नामांकन में प्रतिशत अन्तर		
बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग
10413	5089 (32.82%)	15502	5650	2250 (28.5%)	7900	45.79	55.79	49.04
14245	7949 (35.8%)	22194	6007	2745 (31.01%)	8852	57.8	65.5	60.6
14368	8891 (38.2%)	23259	6390	3503 (35.4%)	9893	55.53	60.6	57.5
	35.6%			31.6%				55.6
17431	12091	29522	8859	6404	15263	62.0	72.02	65.62

स्त्रोत– बेसिक कार्यालय सोनभद्र ।

सारणी के आकड़ें तथा दण्ड आरेख से स्पष्ट हैं कि –

- वर्ष 1999 में कक्षा 5 के कुल 49.05% बच्चों ने कक्षा 6 में प्रवेश नही लिया जिसमें 45.79% बालक तथा 55.79% बालिकयें रही । इस प्रकार कक्षा 5 के बाद बीच में पढाई छोडने वाले बच्चों की स्थिति स्पष्ट हैं।
- वर्ष 2000 में कुल 60.57% बच्चों ने जिसमें 57.83% बालक 65.46% बालिकाओं ने कक्षा 5 के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दियें।
- वर्ष 2001 में भी 57.47 % बच्चों ने कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उपरोक्त आकड़ों से यह भी स्पष्ट हैं की कक्षा 5 के बाद वर्ष 2001 में 55.53% बालक तथा 60.6% बालिकायें ड्राप आउट हो गयी ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि पिछलें तीन वर्षो से औसतन कुल 55.69% बच्चों जिसमें 60.62% बालिकाओं ने कक्षा 5 वी के पश्चात पढाई छोड देती हैं । उपर्युक्त सारणी से यह बात भी साफ तौर पर परिलक्षित होती है की कक्षा 5 के नामांकन मे भी बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत बहुत कम (औसतन 35.6%) हैं वही दुसरी ओर कक्षा 5 के पश्चात पढाई छोडने का औसत अधिक (60.26%) हैं इन कारणों के संचयी प्रभाव से कक्षा 6 में कम बालिकायें (औसतन 31.6%) दाखिला ले पाती हैं । जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन अन्तर (Gap) का कई कारण हैं । जिसमें पहुच का अभाव प्रमुख हैं । निम्न सारणी से स्पष्ट हैं की विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालय के तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना बहुत कम हैं ।

विकास खण्ड	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	परिषदीय उच्च प्रथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय का अनुपात
रावर्ट्सगंज	163	22	48	1:7.4
घोरावल	179	28	43	1:6.4
चतरा	87	13	18	1:6.7
नगवां	75	11	25	1:6.8
चोपन	159	24	37	1:6.6
दुद्धी	92	16	22	1:5.7
म्योरपुर	134	24	30	1:5.6
बभनी	68	10	10	1:6.8

सारणी से यह बात स्पष्टत् दृष्टिगोचर है कि जनपद के सभी विकास खण्डों में औसतन 7-8 प्राथमिक विद्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता हैं । विकास खण्डों में स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययन से यह बात भी सामने आयी हैं की विद्यालयों की उपलब्धता में क्षेत्रिय विषमता हैं । अर्थात अधिकाशं उच्च प्राथमिक चिद्यालय मैदानी क्षेत्रों में खोले गये हैं । जबकि दुर्गम क्षेत्रों में अभाव हैं । जिसके कारण बच्चों को 8 से 10 किमी तथा कही कही पर 15 किमी तक उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु चलना पडता हैं । यही कारण हैं की असुरक्षा की भावना को लेकर अभिभावक अपनी बालिकाओं को दूर–दूर तक नही भेजना चाहते है । शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन के कारण रूढिवादिता ज्यादा है जिसे बिलकाओं के प्रति उदासिन हैं । सामान्यतया बडी उम्र में लडकिया (12-14 वर्ष) में कक्षा 5 उर्तीण करती हैं । तथ कक्षा 8 तक जाते–जाते किशोरा अवस्था में पहुच जाती हैं । इस लिये लोग दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेजने के पक्ष में नही हैं।

विशिष्ट क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा /नवाचार शिक्षा – जनपद में सर्व शिक्षा कार्ययोजना के सम्बन्ध में आयोजित की गयी विभिन्न बैठकों के माध्यम से "फोकस ग्रुप डिसकशन" कराया गया जिसमें बडे पैमाने पर लोगों ने स्वीकार किया की प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् अधिकाशं बच्चें पढाई छोड़ देते हैं । इन

कारणों पर विचारोपरान्त प्रबल ढंग से मांग की गयी की बच्चों के पहुचं के अनकूल प्राथमिक विद्यालय में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की जायें । इसके पक्ष में निम्नलिखित कारण तथा लाभ भी वर्तालाप से सामनें उभर कर आयें हैं ।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दूर–दूर होना एंव शिक्षकों का अभाव ।
- विकट दूर्गम , पहाडी , जंगली क्षेत्रों में विखरी विखरी वस्तियों का पाया जाना ।
- बालिकाओं को शिक्षा हेतु दूर भजने में अभिभावकों को सुरक्षा का सन्देह होना।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलने का निर्धारित मानक का पूरा न होना ।
- बड़ी लडकियां को अभिभावक विद्यालय के अलावा अन्यत्र शिक्षा हेतु भेजने का तैयार नही हैं ।
- स्कूल के प्रति जनता का अधिक विश्वास एंव आस्था हैं ।
- प्रथमिक विद्यालयो में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं (शैचालय , हैण्डपम्प , भवन) का लाभ मिलेगा ।
- बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्यायें होती हैं ।
- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एंव ठहराव में वृद्धि के साथ जनसहभागिता बढेगी।
- प्रति बच्चा शिक्षा लागत भी कम होगी।
- उसी स्कूल के विकलांग बच्चों को उनके पहुच में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा हो जायेगी ।
- प्राथमिक शिक्षा तथ प्रारम्भिक शिक्षा के बीच नामांकन स्तर घटें गा जिससें 6-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा सर्वजनिकरण की पूर्ति होगी।
- सभी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं में समानता आयेगी और विषमता कत होगी ।
- केन्द्र संचालन कह नियमितता एंव समयवद्धता की अपेक्षा कृत अधिक गारांटी होगी ।

उपर्युक्त कारणों से जनपद की विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिक विद्यालयों में

ही वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । एक केन्द्र के लियें कम से कम 20 बच्चों की उपलब्धता आवश्यक हों बालिकाओं के लिये 15 संख्या पर ही एक केन्द्र खोला जाये ये केन्द्र दिन में ही कम से कम 4 घंटें संचालित की जाये। केन्द्र संचालन का समय समबनधित ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित करे गी । इन्हे बालिका ज्ञानशाला , ज्ञानशाला केन्द्र के नाम से जानें जायंगी । ये केन्द्र वरियता के आधार पर प्रमुखत अनु०जाति बाहुल्लय क्षेत्रों , बालिकाओं के कम नामांकन प्रतिशत वाले क्षेत्र , अधिक ड्रापआउट वाले क्षेत्रों में खोला जायेगा । शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़नें का सतत् प्रयास किया जोयगा।

9-14 आयु वर्ग के शिक्षा से वंचित लोगों के लियें विशेष प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित करने की अरवश्यकता हो गी। इनकों शिक्षा से जोडने के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता हैं । ये केन्द्र गांव में कही भी र्व सम्मत् से निर्धारित स्थानों पर संचालित करने होगकें । जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करानी होगी । यद्यपि की शिक्षा के मुख्य धारा से बच्यो को जोडने का सतत् प्रयास होगा।

पांचवी तक की शिक्षा प्राप्त बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रस्तावित वै०शि०केन्द्रों की संख्या –

क्र०सं०	विकास खण्डों का नाम	प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या
1	नगवां	10
2	चतरा	05
3	रावर्ट्सगंज	15
4	घोरावल	17
5	चोपन	25
6	म्योरपुर	20
7	बभनी	08
8	दुद्धी	10
	योग	120

शिक्षा गारण्टी योजना– शिक्षा गारण्टी योजना अन्तर्गत ऐसे असेवित वस्तियों ,मजरो , पुरवों, टोलों, मुहल्लों में विद्या केन्द्र खोले जायेगें । जहां 1 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नही हैं तथा 6 से 8 आयु वर्ग के कम से कम 30 बच्चें उपलब्ध हों इन केन्द्रों में कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा दी जायेगी । इन केन्द्रों के बच्चों को कक्षा 3 में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया जायेगा। जनपद में अभी भी 75 केन्द्रों की आवश्यकता हैं । चोपन में 20 , नगवां 20 , घोरावल में 8 , म्योरपुर में 20 , दुद्धी में 7 केन्द्र खोलने होगें ।

शहरी क्षेत्रो मे वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्र– अब तक डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से असेवित वस्तियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना का प्रयास किया गया हैं । किन्तु नगरीयों क्षेत्रों के कुछ विस्ष्टि वार्डो मे निवास करने वाली मलीन वस्तियों के बच्चों के लिये कुछ नही किया जा सका हैं । नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय पहुंच की समस्या नही होती हैं बल्कि यहां रहने वाली जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक एंव सास्कृतिक स्वरूप इस प्रकार होता हैं कि ये गन्दे वातावरण में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं । इन मलीन वस्तियों के दीन हिन बच्चों को स्वास्थय विकास एंव शिक्षा के लिये समाचार पत्रों तथा समाज सेवियों के द्वारा मांग की जाती रही हैं । दिनांक 16-10-2001 को नगरपालीका परिषद रावर्टसगंज में डूडा के द्वारा आयोजित चोपाल मे भी मलीन वस्तियो के बच्चो की शिक्षा के लिये प्रबल मांग की गयी ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) सोनभद्र द्वारा जिले के आठ नगरीयें निकायों 57 वार्डो में 66 मलीन वस्तियों का चिन्हांकन किया गया हैं । जिसमें 45248 लोग निवास करते हैं । डूडा द्वारा मलीन वस्तियो मे 46 वै०शि०केन्द्र संचालित करने की मांग की गयी हैं । जिससे यहां रहने वाले लगभग 9546 बच्चों को प्राथमिक स्तर की निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हे भी एक सजग एंव जागरूक नागरीक बनाया जा सके ।

मलीन वस्तियो में निवास करने वाली जनसंख्या का विवरण –

वर्ष 1991 के अनुसार जनसंख्या	वर्ष 2001 की जनसंख्या (36.13%)	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (14.9%) के आधार पर	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (6.2% के आधार पर
33239	45248	6741	2805

वर्ष 1991 से 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर मलीन वस्तियों के 6-11 आयु वर्ग तथा 11-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का आगणन किया गया हैं । इन्हे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रकार के केन्द्र की आवश्यकता होगी।

सूक्ष्म नियोजन आकड़ों से प्राप्त स्कूल न जरने वाले बच्चों की संख्या–

विकास खण्ड	0-6 वय वर्ग	6-11 वय वर्ग	11-14 वय वर्ग	सम्पूर्ण योग
चोपन	30326	12425	10881	53632
घोरावल	17806	5486	3612	26904
म्योरपुर	19378	3935	1859	25172
रभनी	12191	3092	1542	16825
दुद्धी	9061	3658	1953	14672
रावर्टसगंज	23486	3338	2007	28831
नगवां	6354	944	497	7795
चतरा	8192	1016	992	10200
योग	126794	33894	23343	184031

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अथक प्रयास ऐव योजनाओं के (अनौपचारिक शिक्षा , वै०शि० , विद्यालयों की स्थापना , ई०सी०सी०ई० की स्थापना) के बावजूद अभी भी पर्याप्त बच्चे विद्यालय से बाहर हैं । मुख्य रूप से 6-11 तथा 11-14 वय वर्ग के बच्चो की शिक्षा व्यवस्था हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता हैं । इसके लियें ब्रिज कोर्स , वै०शि० केन्द्र , विद्या केन्द्र , नवाचार केन्द्र , विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ वृहद पैमाने पर वातावरण सृजन के माध्यम से जागरूकता लाने की आवश्यकता होगी।

वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रिज कोर्स /शिविरों के कार्यकम का नियोजन एंव माइक्रोप्लानिग–

डी०पी०ई०पी के अन्तर्गत माइकोप्लानिंग का कार्य पूर्ण हैं । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र व स०बे०शि०अधि० कार्यालय में उपलब्ध पत्र जातों का विस्तृत विश्लेषण और समिक्षा की जायेगी। अदि आवश्यकता होगी तो पुनः स्थल विशेष का सूक्ष्म नियोजन करा कर ग्रामस्तर / विकास खण्ड स्तर पर प्रस्ताव तैयार किये जायेगे।

मइक्रोप्लानिग से सम्बन्धित पत्र जातों का विश्लेषण एंव समिक्षा की जायेगी। ग्राम शिक्षा समितियों से सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सर्वेक्षण से प्राप्त विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या एंव कार्ययात्मक संरचना के आधार पर शिक्षा व्यवस्था हेतु उपलब्ध करायें गयें प्रस्तावों को विकास खण्ड की समिति जिसके अध्यक्ष विकास खण्ड अधिकारी तथा सदस्य , सचिव , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एंव पति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खण्ड का प्रधान एंव वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगे , के द्वारा प्रस्ताव की समिक्षा कर भारत सरकार के निर्देशश्नुसार उनकी अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये गी।

जनपद स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया हैं जिसके निम्न सदस्य हैं ।

जिलाधीकारी –	अध्यक्ष
विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य /सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग के अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
वित्त एंव लेखाधिकारी बे०शि०	सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एंव कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व समिति का होगा। क्रियान्वयन के समय निम्न मानकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
- ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हैं
- ड्रापआउट बच्चें जहां ज्यादा हो।
- ऐसे क्षेत्र जहां बच्चे अधिकांश संख्या में स्कूल से बाहर हैं।
- वह क्षेत्र जहां किसी प्रकार का शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो तथा मानक के अनरूप विद्यालय खुलना सम्भव नही हैं ।

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन क्षेत्र आधारित कोर्स – हमारे संविधान में निहित अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया हैं। जब तक 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया नही करायी जाती , सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अधुरा है। इस सीमा में प्रत्येक बच्चा चाहे वह खुमचा वाला हो ,या सड़कों , प्लेटफार्म , मलीन वस्तियों दुकानों या होटलों पर काम करने वाला हो , अवारा बेसहारा बच्चा हो , घुमन्तू जाति के लोगों का बच्चा हो को भी प्राथमिक स्तर तथा प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा देनी होगी ।

इस वृहद लक्ष्य पूर्ति हेतु विविध प्रकार की बच्चों के साथ बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी । जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के बच्चों के लिये ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर एक उचित सहायक माध्यम हो सकते हैं। जैसा की नाम से स्पष्ट हे की ब्रिज कोर्स किसी बाधा को पर कराने वाला कोर्स । उसका मुख्य उद्देश्य औपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लानें का प्रयास हो सकता हैं। ब्रिज कोर्स / शिविरों की अवधि आवश्यकता अनुसार चार माह से 18 माह तक रहेगी । 9-14 वय वर्ग के न्यूनतम पचास बचों को सम्मिलित किया जायेगा। इन शिविरों में रहने खाने पिने , एंव शिक्षण आदि की व्यवस्था नि:शुल्क होगी। निर्धारित मानाके के अन्तरगत ब्रिज कोर्स/ शिविरों के लिये एक केयर टेकर , दो पैराटीचर , एक कुक और एक चौकीदार की आवश्यकता होगी ।

जनपद की भौगोलिक विषमता एंव मार्गों की दूर्गमता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे क्षेत्र जहां के बच्चे शिक्षा की किरण से बिल्कुल वंचित है । वहां के लिये ब्रिज कोर्स /शिविर जैसे माध्यम को अपनाकर शिक्षा दिजायेगी। कुछ विकास खण्डों में एक–एक ग्राम पंचायत का विस्तार 15 से 35 किमी तक तथा 35 से 45 तक वस्तियां मिलती हैं । जिसमे कुछ वस्तिया विद्यालयों से 10 -12 किलो०मी० दूर हैं । स्थानीय स्तर पर वहां कक्षा 8 उर्त्तीण अभ्यर्थी भी नही हैं जो वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा केन्द्रों मं शिक्षण कर सके सूक्ष्म नियोजन के द्वारा इन वस्तियों की पुर्न समीक्षा / विश्लेषण कर आवश्यकता अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होगी। इसके लिये जिला स्तरीय समिति में विचारोंपरान्त सुझाव अनुकूल व्यवस्था की जायेगी । ब्रिज कोर्स प्रथमत: उन क्षेत्रों में संचालित किये जायेगें जहा नि:शुल्क आवास सुलभ हो सके । ब्रिज कोर्स बच्चों की उपलब्धता के आधारा पर न्याय पचायत , विकास खण्ड अथवा जिला मुख्यालय पर चलाये जायेगा।ब्रिज कोर्स के लिये अधिकतम 3000 रू० प्रति छात्र/छात्रा धनराशि अनुमन्य होगी।

वित्तीय मानक – प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उसमे कितने बच्चो अध्ययनरत है प्राइमरी स्तर के लिये अधिकतम 845 रू० प्रति छात्र /छात्रा प्रति वर्ष और उच्च प्राथमिक के लिये 1200 रू० प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की धनराशिकी व्यवस्था इस योजना क अन्तर्गत की जा सकती है । इस व्यवस्था में 5% राज्य एंव जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय भी सम्मिलित हैं ।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की लागत निम्नवत् हैं ।

80 से 100 केन्द्रों के मध्य– 2.5 लाखप्रति वर्ष
50 से 80 केन्द्रो के मध्य – 2 लाख प्रति वर्ष
25 से 50 केन्द्र के मध्य– 1.5 लाख प्रति वर्ष
25 से कम – 100 रू० प्रति छात्र / छात्रा

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका – सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा गारण्टी /वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार योजना (EGS & AIE) के लिये ग्राम शिक्षा समितियों को गुरूतर दायित्व एंव कर्तव्य प्रस्तावित किया गया हैं । जो निम्नवत है –

- 6 से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करना ।
- गांव मे शिक्षा के लिये उचित माहौल तैयार करना
- स्कूल से बाहर बच्चों के अभिभवाकों को शिक्षा के लिये प्रेरित करना
- अनुदेशकों का चयन करना
- केन्द्रों का समय निर्धारण करना
- केन्द्रों की शिक्षण सामग्री एंव साज–सज्जाअ हेतु सामग्रीयों की निर्धारित मूल्यों पर कय करना
- केन्द्र का प्रबन्धन , नियमित संचालन (अनुदेशको तथा बच्चों की उपस्थिति) सुनिश्चित करना
- अनुदेशकों के प्रशिसक्षण के बाद केन्द्र संचालन का दायित्व सौपना।
- प्रति माह अनुदेशकों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था करना
- बालिका शिक्षा के प्रति गांव में जागरूकता लाना
- केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेशार्थ सतत् प्रोत्साहित करना

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका –

- ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिग कराना डाआ विश्लेषण कराना तथा प्रस्ताओं को तैयार कराना
- ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्तावों को एकत्र करना /प्राप्त करना
- न्याय पंचायत संसाधन प्रंभारी की सहायता से केन्द्रों शिविरों के सतत पर्यवेक्षण/ अकादमिक सहयोग की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ व्यक्ति को खोजना तथा ग्राम शिक्षा समितियों को कार्यकम आदि के प्रति जागरूक करना

जिला प्राथमिक शिक्षा सलहाकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एंव दायित्व

- वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिग कराना सूक्ष्य नियोजन के डाटा को वार्षिक अद्यावधिकरण करा कर अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताओं को ग्राम स्तर , विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर मासिक समीक्षा करना
- केन्द्र ब्रिज कोर्स ,ग्रीष्म कालीन शिविर तथा अन्य सुझावों के प्रस्ताव को स्टेट सोसाईटी को प्रस्तुत करना
- कार्यकमों का समय वद्ध पूर्ण रूप से कियान्वयन सुनिश्चित कराना
- जनपद के अन्य विभागों के साथ समन्वय कर कार्यकमो का संचालन कराना
- सम्पूर्ण कार्यकम का सतत अनुश्रवण करना एंव प्रशिक्षण , सेमिनार , प्रचार–प्रसार की कार्यशालाओं का आयोजन कराना
- स्टेट सोसाईटी से कार्यकम के मांग के अनुरूप धनराशियो की उपलबधता एंव समुचित उपयोगिता सुनिश्चित कराना
- स्वैच्छिक संगठनों की पहचान करना एंव कार्यकमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप से धनराशि उपलब्ध कराना

परिवार सर्वेक्षण आकड़ों का अद्यावधि करण – यद्यपि जनपद में डी०पी०ई०पी० योजनाअन्तर्गत माइक्रोप्लानिग में परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वय वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों का आगणन किया जाता है। परन्तु वार्षिक जनसंख्या वृद्धि , संरचना के (0-6 , 6-11, 11-14) परिवर्तन तथा नामांकन के कारण विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या में वार्षिक उच्चावचन स्वाभाविक हैं अतः प्रत्येक वष्र परिवार सर्वेक्षण आकड़ों को अद्यतन किया जाना आवश्यक होगा। ताकि

वांछित वस्तु स्थिति की सही – सही जानकारी हो सके । इसके लिये प्रति वर्ष 1 लाख रू० की व्यवस्था की गयी हैं ।

ए०आई०ई० केन्द्रों के अनुदेशक /अनुदेशिका का चयन – वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों के लिये स्थानीय स्तर के ही शिक्षित युवा महिला / पुरूषों का चयन किया जायेगा। अनुदेशकों के लिये ग्रम शिक्षा समिति स्थानीय (ग्राम पंचायत से ही) स्तर पर आवेदन आमंत्रित कर चयन करेगी। अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राथमिक स्तर पर हाई स्कूल तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये स्नातक होगी तथा न्यूनतम आयु कमशः 18 वर्ष व 21 वर्ष होगी। विकट क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं की अनुपलब्धता पर प्राथमिक स्तर के लिये कक्षा 8 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम शैथिक योग्यता इन्टरमीडियट होगी । महिला अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जायेगी।

अनुदेशिका /अनुदेशक उसी स्थान एंव समुदाय का व्यक्ति होना अनिवार्य होना चहियें जहां पर ए०आई०ई० शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। अगर उस गांव वस्ती टोले से अनुदेशिका/अनुदेशक न मिलने पर सगल के नजदीक गांव /वस्ती ,टोले से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में प्रथम चयनित अनुदेशक कोई पुरूष हो तो किसी एक केन्द्र हेतु 40 बच्चों पर एक अनुदेशक तथा 45 व इससे अधिक बच्चों पर दो अनुदेशकों का प्रबन्ध किया जायेगा। जिसमें दुसरा अनुदेशिका महिला होगी।

अनुदेशिका / अनुदेशक के आमंत्रण पत्र अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने पर ग्राम शिक्षा समिति की दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव प्रारित कर के अनुदेशक को हटा सकती हैं । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस समब्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। सम्बनधित अनुदेशक को उस माह का मानदेय देय होगा। जिस माह में उसके विरूद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा हटाये जाने का निर्णय लिया होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वै०शि०केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला समन्वयक वै०शि० , शिक्षा अधिक्षक नगर क्षेत्र , सभासद सम्बन्धित वार्ड तथा वरिष्ठतम शिक्षका नगर क्षेत्र द्वारा किया जायेगा। मकतब मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिजी द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने तथा शिक्षण कार्य करने हेतु इच्छुक होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी अथवा सम्बन्धी मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो उसको अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

संचालन स्थल – ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्र का संचालन पंचायत भवन , चौपाल , प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी सर्वजनिक विवाद रहित स्थान पर किया जायेगा। जो पहुच की दृष्टि से लाभर्थी के लिये उचित होगा। जंगलीयों क्षेत्रों के प्ररिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे ही उच्च प्राथमिक स्तर के वै०शि० केन्द्र / नवाचार शिक्षा केन्द्र संचालित होंगे।

संचालन समय –

- वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन चार घंटे संचालित किया जाययेगा।
- पूरे शैक्षिक सत्र 900 घंटे शिक्षण कार्य किया जाना अनिर्वाय होगा।
- अनुदेशक द्वारा प्रतिदिन 1 घंटे शिक्षण कार्य हेतु कक्षा पूर्व तैयारी करना अनिर्वाय होगा।
- अनुदेशक द्वारा प्रतिदिन 4 घंटे शिक्षण कार्य करना अनिर्वाय होंगा।
- ए०आई०ई० शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक के लिये सप्ताह में कम से कम दो बार अभिभावकों द्वारा समुदाय से सम्पर्क करना अनिर्वाय होगा।
- अनुदेशक द्वारा वै०शिक्षा केन्द्र /नवाचार शिक्षा केन्द्र के शैक्षिक उन्नयन हेतु ग्राम शिक्षा समिति एंव अभिभावको की बैठक आयोजित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

अनुदेशक के मानदेय का विवरण – वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा केन्द्र के प्रारम्भ होने पर जिला परियोजना कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रू० 1000 प्रति अनुदेशक प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि में हस्तांतरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिर्वाय रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय हेतु एक बार में छः माह की अग्रीम धनराशि ग्राम शिक्षा निधि में हस्तांतरित की जायेगी । नगर क्षेत्र में संचालित शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधिक्षक / नगर क्षेत्र / जिला परियोजना कार्यालय द्वारा अनुदेशक के संतोषजनक कार्य करने पर किया जायेगा।

पर्यवेक्षण – वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एंव नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण का कार्य न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र यह कार्य शिक्षा अधिक्षक नगर क्षेत्र द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी। तथा न्याय पंचायत में संचालित सभी वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा केन्द्रों के शैक्षिक उन्यन हेतु पूर्ण प्रयास किया जायेगा। अनुदेशक तथा न्याय पंचायत प्रभारी को बी०आर०सी० समन्वयक / जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा तथा प्रवक्ता डायट द्वारा भी आकदामिक सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा समय–समय पर इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण बी०आर०सी० समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जा रहा हैं ।

पर्यवेक्षण प्रशिक्षण – न्याय पंचायत केन्द्र प्रभारियों को वैकल्पिक /नवाचार शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अकादमिक सहयोग प्रदान करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यकम राज्य स्तर से डायट द्वारा आयोजित किये जायेंगे।

निःशुल्क सामग्री – प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एंव शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा । तथा शिक्षा समिति सामग्री उपलब्ध कराये गी । इस धनराशि का समयोजन वैकल्पिक शिक्षा /कार्यकम मद से किया जायेगा। निःशुल्क पाठय–पुस्तको की व्यवस्था की जायेगी । इन वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा केन्द्रों मे राज्य सरकार अनमोदित पाठ्य–पुस्तको का प्रयोग किया जायेगा।

अनुदेशक/अनुदेशिका – अनुदेशक/ अनुदेशिका प्रशिक्षण के लिये सर्व प्रथम सन्दर्भ व्यक्ति मास्टर ट्रेनर के रूप में दो डायट प्रवक्ता , स०बे०शि०अधि० /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक , योग्य अध्यापक प्रति जनपद बार चार व्यक्तियों को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिनके द्वारा अनुदेशकों को तीस दिवसीयें प्रशिक्षण डायट अथवा बी०आर०सी० पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक को प्रथम वर्ष एक माह का प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु परियोजना द्वारा रू०1500 प्रति अनुदेशक की दर से जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नही होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों हेतु रू० 2000 प्रति वर्ष प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि अनुमन्य होगी।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन – अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक / नवाचार केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों का सतत् एंव नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेश द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एंव लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक द्वारा इस अवधि में बच्चों के व्यवहारिक एंव शैक्षिक स्तर में आये सुधार एंव भविष्य में बच्चों के स्तरों न्नयन हेतु किये जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में अभिभावकों एंव ग्रम शिक्षा समितियों के सदस्यो

को भी अवगत कराया जायेगा। वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा केन्द्रों में तथा ब्रिज कोर्स शिविरों में अध्ययनरत बच्चों को अनौपचारिक विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा । केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा 5 तथा कक्षा 8 हेतु निर्धारित पाठय कम को पूर्ण कर लेते उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा करायी जायेगी। तथा बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की भांति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। जिससे वे अगली कक्षा हेतु औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश पा सकेगें ।

विद्यालय वापस चलों शिविर (समर कैम्प) –

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनु०जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह शिविर प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक दोनों के लिये चलाये जाते हैं। शिविरों का संचालन प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा। इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं । और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं। शिक्षित कर के उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी। इन शिविरों में ऐसे बच्चों को ही प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे है। और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं। इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा। और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 तक प्रत्येक वर्ष निमानुसार कैम्प प्रस्तावित है–

<u>प्रस्तावित समर कैम्प</u>

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
13	25	25	20	15

अध्याय –8

ठहराव में बृद्धि–

जनपद सोनभद्र का तीन चौथाई भाग पहाड़,पठार, जंगल, नदी तथा नालों से घिरा हुआ है। यहां की विकट भौगोलिक परिस्थियों के कारण गरीबी अधिक है जिससेशैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक पिछड़ा हुआ है जनपद की सामान्य साक्षरता दर निम्नवत रही है –

समान्य साक्षरता (प्रतिशत में) सोनभद्र सन् 1991

क्र०सं०	विकास खण्ड	कुलसाक्षरता	पुरूष	महिला	अनुसुचित जाति पुरूष	अनु०महिला
1-	म्योरपुर	41.3	54.07	25.01	17.26	1.29
2-	चोपन	20.7	31.47	08.07	17.91	1.47
3-	घोरावल	25.4	38.7	10.29	23.25	3.47
4-	रावर्ट्सगंज	30.3	45.4	13.09	18.45	1.31
5-	दुद्धी	22.9	36.06	8.02	28.71	5.47
6-	चतरा	31.0	47.99	22.08	21.56	1.90
7-	बभनी	19.3	31.66	5.42	25.14	3.19
8-	नगवां	18.3	29.55	5.56	27.60	1.59
	योग	34.4	47.56	18.7	21.47	

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में जनपद सोनभद्र की कुल साक्षरता दर 34.4 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 18.67 प्रतिशत रही है । महिला साक्षरता दर को ध्यान मे रखकर सन् 1997 में जनपद में सोनभद्र में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य कम चलाया गया । विगत् दस वर्षो में कुल साक्षरता दर बढ़कर 39.96 प्रतिशत तथा महिला साक्षता दर 34.26 प्रतिशत हो गयी है । जबकि प्रदेश की साक्षरता दर निम्नवत है –

उत्तर प्रदेश व भारत में(साक्षरता दर प्रतिशत)

वर्ष व सूत्र	उत्तर प्रदेश			राष्ट्रीय		
जनगणना 1991 राष्ट्रीय नमूना	पुरूष 55.73	स्त्री 25.31	कुल 41.6	पुरूष 64.13	स्त्री 39.29	कुल 52.2
सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण 1997	69.0	41.0	256.0	73.0	50.0	62.0
बृद्धि	13.27	15.69	14.4	8.87	10.71	9.8

शाला त्याग दर–जनपद सोनभद्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे शालात्याग दर वर्ष 1997 में 25.9,1998 में 6.6, एव1999 मे 38.8 होगया । इस जनपद मेंशाला त्याग दर घटने व बढ़ने का मुख्य कारण शिक्षकों की कमी है और अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हो जाने के कारण अधिकांश शिक्षक अन्य जनपदो मे चले जाते है जिसके कारण अधिकांश विद्यालय बन्द है। 645 एकल शिक्षक विद्यालय हैं जबकि सोनभद्र में सम्पूर्णशिक्षको की संख्या 1130 तथा विद्यालयों कीसंख्या 957 है । परिषदीय प्राथमिकविद्यालयो का छात्र नामांकन 125000 है इस प्रकार एक 1:40 के अनुपात में 3750 अध्यापकों की आवश्कता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उपरांत सर्व शिक्षा की अभियान के तहत निम्नांकित अतिरिक्त कक्षा कक्ष की गांग है –

बर्तमान मे भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग)

कम संख्या	आइटम सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	नवीन विद्यालय	69	150
2	विद्यालय पुनः निर्माण	**35**	**18**
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	**615**	**321**
4	पेयजल सुविधा	--	--
5	शौचालय	--	**52**
6	चाहरदीवारी	--	--

निर्माण का वर्ष वार भौतिक लक्ष्य

प्राथमिक स्तर–

क्र० स०	आइटम सुविधा का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	नवीन विद्यालय	--	64	--	-- 05	--
	विद्यालय पुनः निर्माण	--	3	10	12	10
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	--	10	200	200	205
4	पेयजल सुविधा	--	—	—	–	
5	शौचालय	--	--	--	--	--
6	चाहरदीवारी	--	--	--	--	--

उच्च प्राथमिक स्तर–

क्र० सं०	आइटम सुविधा का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	नवीन विद्यालय	-- 15	130	--	-- 05	--
2	विद्यालय पुनः निर्माण	--	3	6	5	4
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	--	8	100	100	113
4	पेयजल सुविधा	--	--	--	--	--
5	शौचालय	25	7	20	--	--
6	चाहरदीवारी	--	--	--	--	--

सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता हैं।

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था

क०सं०	वर्ष	परिषदीय छात्र नामांकन	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	4:1 दर से शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता	आवश्यक शिक्षक	आवश्यक शिक्षा मित्र
1	2003-04	161780	2176	1352	3528	4044	516	258	
2	2004-05	165064	2434	1610	4044	4127	83	42	299
3	2005-06	168415	2476	1651	4127	4210	83	42	41
4	2006-07	171834	2518	1692	4210	4296	86	43	43

विद्यालय विकास अनुदान – प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक , वित्त पोषित मान्यता प्राप्त एंव राजकीय विद्यालयों को रु०2000/ प्रति वर्ष की दर से विद्यालय विकास अनुदान दी जायेगी।

शिक्षक अनुदान – प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यपकों , वित्त पोषित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक तथा राजकीय एंव अशासकीय विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अध्यपकों को रु०500/ प्रति वर्ष की दर से शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु धनराशि दीजायेगी। परिषदीय विद्यालयों को छोड़कर शेष प्राथमिक विद्यालयों के 5 अध्यापकों एंव उच्च प्राथमिक स्तर के 3 अध्यापकों को यह सुविधा दीजायेगी।

एस०यू०पी०डब्ल्यू –

कार्यानुभाव से बालिकाओं का ठहराव बढनें के कारण वर्ष वार केन्द्र खोले जायेंगे–

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
एस०यू०पी०डब्ल्यू	25	25	25	25

एम०सी०डी०ए०–

इसके अन्तर्गत निम्न वार एन०पी०आर०सी० विकसित कियें जायेगे–

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
एम०सी०डी०ए०	5	5	5	5

बालिका शिक्षा की समस्यायें

जनपद सोनभद्र में भौगोलीक परिस्थितियों विकट व निर्धनता अधिक होने के कारण महिलाओं / बालिकाओं की साक्षरता दर 34.26 हो गई हैं यहां के गांव पहाड़ व जंगलों के बीच काफी दूर --दूर बसे हैं। तथा विच में नदी व नाले हैं जिसके कारण अधिकांश अभिभावक बालिकाओं को दूर विद्यालय में नही भेजते हैं । इन्ही कारणों से आज भी अधिकांश बालिकायें शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं । यहां के गरीब बच्चों की दिनचर्या जंगलों से लकड़ी लाना व बेचना पशुओं को चराना , महुवा बिनना तथा मौसम के अनुसार माता पिता के साथ कृषि कार्यो मे लगे रहना , पत्थर तोड़ना , घर के चाहरदीवारी के अन्दर छोटे भाई बहनों को देखना , गृह कार्य करना , तथा बड़े बुजुर्गो की सेवा करना इत्यादि कार्य इन्ही को करन पड़ता हैं । पर्दा प्रथा तथा भुखमरी भी बालिका शिक्षा में अवरोधक हैं । समाज में प्रचलित रूढवादीता भ बालिका शिक्षा की समस्या का बहुत बड़ा कारण बना हैं । जैसे –

- बेटी पराया धन है , पढ़ कर क्या करेगी ?
- बेटी को घर का काम आना चाहिये उसे पढ़ कर मास्टर नही बनाना है ।
- पढ़ कर हमारा (माता पिता का) बोझ सम्भालेगी ?

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता–

वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	4:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग (4+5+)	आवश्यक कक्षा कक्ष	सर्वशिक्षा अंतर्गत प्रस्तावित अति०कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	154908	3873	2280	0	2280	1593	--
2002-03	172143	4304	3873	70	3943	261	200
2003-04	193043	4826	4304	90	4394	433	250
2004-05	201356	5034	4826	42	4868	166	350
2005-06	205383	5135	5034	0	5034	101	450
2006-07	209490	5237	5135	0	5135	103	125
2007-08	213680	5342	5237	0	5237	105	--
2008-09	217954	5459	5342	0	5342	107	--
2009-10	222313	5558	5449	0	5449	109	--

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एंव आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

क०सं०	वर्ष	परिषदीय छात्र नामांकन	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	4:1 दर से शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता	आवश्यक शिक्षक	आवश्यक शिक्षा मित्र
1	2003-04	161780	2176	1352	3528	4044	516	258	- —
2	2004-05	165064	2434	1610	4044	4127	83	42	२११
3	2005-06	168415	2476	1651	4127	4210	83	42	41
4	2006-07	171834	2518	1692	4210	4296	86	43	43

आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षक	300	342	385
शिक्षामित्र	299	340	383

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एंव आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2	3	4	5	6
2001-02	123	0	615	238	377
2002-03	148	0	740	233	507
2003-04	148	130	1390	740	650
2004-05	278	0	1390	1390	0
2005-06	278	0	1390	1390	0
2006-07	278	0	1390	1390	0

वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6
2001-02	123	0	492	492	0
2002-03	148	0	592	1549	191
2003-04	148	130	1112	1079	313
2004-05	278	0	1112	1390	0
2005-06	278	0	1112	1390	0
2006-07	278	0	1112	1390	0

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आकडें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एव जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

डी०पी०ई०पी० के तहत हमारी उपलब्धियां –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु जन जागरण किया गया जिसमें जनपद भ्रमण , जन सम्पर्क , दिवार लेखन ,पम्पलेट चिपकाना , ग्राम शिक्षा समिति को सक्रिय करना , नुक्कड़ नाटको का आयोजन करना , अनुसूचित वस्तियों का भ्रमण कर बालिका शिक्षा को प्रेरित करना , बालक बालिकाओं में विभेद न करना , मां बेटी शिक्षक मेले का आयोजन करना तथा अनुसूचित जाति एंव गरीब वर्ग के बच्चों के अभिभावको को निःशुल्क पाठय–पुस्तक वितरण से अवगत कराना एंव बालिकाओं को विद्यालय मे नामांकित कराना का कार्य किया जा रहा हैं ।

जनपद सोनभद्र में बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित कार्य किये गये हैं –

❖ माडलकल्स्टर (आदर्श न्याय पंचायत) का चयन –

प्रथम चक्र में विकास खण्ड नगवां में दो न्याय पंचायत क्रमशः खलियारी तथा वैनी का चयन किया गया हैं । द्वितीय चरण में विकास खण्ड चतरा के पांच न्याय पंचायतें , विकास खण्ड रावर्ट्सगंज , धोरावल , दुद्धी , म्योरपुर तथा बभनी में दो–दो न्याय पंचायतों का चयन किया गया । इस प्रकार कुल 15 न्याय पंचायतें चयनित की गयी । तृतीय चरण में विकास खण्ड नगवां ,दुद्धी, बभनी तथा चोपन के दो–दो आदर्श न्याय पंचायतों का चयन किया गया । जनपद में कुन चयनित 25 आदर्श न्याय पंचायतें हैं । इन आदर्श न्याय पंचायतों का चयन करने का मुख्य उद्देश्य यह था की जहां पर महिला साक्षरता दर कम थी और बालिकाओं का शालात्याग अधिक था । इसी लियें आदर्श न्याय पंचायतों के द्वारा बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन हो जाये और बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव हो इसके लिये समुदाय को जगाने के लिये तरह–तरह की गतविधिया करायी गयी । जैसे–

- **महिला प्रेरक दल –** प्रत्येक आदर्श न्याय पंचायतों में बालिकाओं को नामांकित कराने का प्रयास महिला प्रेरक दल के द्वारा किया गया । महिला प्रेरक दल का गठन कर के समुह का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर दिया गया । जिससे अभिभावक व बालिकाओं के माता पिता उत्साही हुये और अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने लगें ।
- **एम०टी०ए० / पी०टी०ए०–** बालिकाओं के शिक्षा के प्रति रूझान पैदा हो और काम से फुरसत पाकर थोड़े समय स्कूल मे जा कर शिक्षा प्राप्त करे । उसके लिये एम०टी०ए० / पी०टी०ए० का गठन कर के इनका प्रशिक्षण कराया गया । इनके द्वारा समुदाय के सहभागीता से बालिका नामांकन ठहराव हेतु गांव स्तर पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा हैं ।

- पी०आर०ए० / पी०एल०ए०– मांडलकल्स्टर के अन्तर्गत ग्रमिण स्तर पर पी०आर०ए० / पी०एल०ए० सर्वे के द्वारा चयनित आर्दश न्याय पंचायतों में बी०आर०सी० , एन०पी०आर०सी० समन्वयक , स्वयं सेवी संस्था के सदस्य एंव गांव के बेरोजगार शिक्षित युवकों द्वारा बच्चों के नामांकन , ठहराव एंव सम्प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायत के समस्त गांव में परिवार संख्या ,बच्चों की संख्या , स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर के शत–प्रतिशत नामांकन एंव ठहराव हेतु वाहां पर मीना कैम्पेन व ग्रीष्म कालीन शिवीर का आयोजन किया गया । फिर उस कैम्प से निकले बच्चों को स्कूल में नामांकित कराया गया। इससें लागातार बच्चों के नामांकन में वृद्धि होरही हैं ।
- ग्राम शिक्षा समिति – आदर्श न्याय पंचायतों में न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 6-11 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया गया। इसके अतरिक्त ग्रम शिक्षा समितियों की मासिक बैठक कर के विद्यालय एंव बालिकाओं की समस्या पर चर्चा कर के उनके माता पिता से बात कर के बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने का प्रयास किया जा रहा हैं ।
- समस्त अध्यापक / अध्यापिकाओं / बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन– बालिकाओं के प्रति संवेदशीलता बढाने हेतु विकास

खण्ड नगवां , म्योरपुर , चतरा , घोरावल तथा रावर्ट्सगंज के समस्त आध्यापक एंव अध्यापिकाओं /बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को तीन दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। शेष विकास खण्डों में भी प्रशिक्षण का कार्य चल रहा हैं। इस प्रशिक्षण से लगातार बालिकाओं की रूचि स्कूल आने में बढ़ी हैं । सर्व शिक्षा अभियाम में भी इसी प्रकार से बलिकाओं को विद्यालय से जोडने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं ।

- दीवार लेखन – जनपद सोनभद्र के समस्त विद्यालयो में शत प्रतिशत नामांकन तथा समूदाय व बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिये आर्कषित तथा प्रभावी नारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं । यह प्रयास लगातार चल रहा हैं । जबतक बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन व ठहराव नही होगा तब तक यह कार्य चलता रहेगा।
- स्कूल चलो अभियान एंव ठहराव प्ररिक्रमा – ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक बैनर ऐव नारों के साथ गाते बजाते स्कूल चलों अभियान एंव ठहराव परिक्रमा प्रत्येक वर्ष की जाती हैं । इससे बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई हैं । बच्चों के द्वारा स्कूल ,चौपाल व चौराहों पर शिक्षा के उपर नुक्कड़ नाटक किया जाता है । स्कूल चलों अभियान माह जूलाई , अगस्त तथा ठहराव परिक्रमा दिसम्बर जनवरी में निकाली जाती हैं । लेकिन फिर भी अभी यहां पर बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन नही हो पाया है क्यों की यहां की भौगोलिक परिस्थितिया विषम हैं । सर्व शिक्षा अभियान में इस प्रकार के कार्य किये जाने हैं ।
- ग्रीष्म कालीन शिविर – ग्रीष्म कालीन शिविर करने का उद्देश्य यह हैं कि शालात्यागी बालिकाओं को मूख्य धारा से जोड़ने तथा 9+ आयु वर्ग की शालात्यागी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ना हैं । इसके लिये ऐसे ग्राम टोले मजरो का चयन किया गया हैं जहां पर चालिस या उससे अधिक संख्या में शालात्यागी बालिकायें व ,अनुसामचित जाति के बालक हैं । जिसके लिये नामांकन रजिस्टर से विगत 5 वर्षो की शालात्याग दर निकाल कर बालिकाओं को चिन्हित किया गया हैं । उन सभी बच्चों को दस दवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर के माध्यम से प्रशिक्षण दे कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया और सभी बच्चों को नामांकित कराया गया। ग्रीष्म कालीन शिविर का विवरण उपलब्धि निम्नवत् हैं ।

ग्रीष्म कालीन शिविरों की संख्या–

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002-03	13	--
2003-04	25	--
2004-05	25	10
2005-06	20	10
2006-07	15	5

ग्रीष्म कालीन शिविर का विवरण **2003** तक जनपद सोनभद्र ।

	शिविर संख्या	शिविर से पूर्व शालात्यागी बच्चों की संख्या			शिविर में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या			शिविरके उपरात विद्यालय में पंजीकृत कराये गये प्रतिभागी बच्चे		
		बा०	क०	योग	बा०	क०	योग	बा०	क०	योग
2002-03	13	201	262	463	201	262	463	201	262	463
2003-04 July	25	400	600	1000	400	600	1000	400	600	1000

➢ मीना कैम्पेन – मीना कैम्पेन करने का उद्देश्य यह हैं कि अनामांकित बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया जाय । असेवित अनुसूचित जाति बाहूल्य बस्तियों में मीना कैम्पेन के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करने का कार्य किया गया । इन कैम्पों को करने के बाद अभिभावकों से बालिका शिक्षा पर चर्चा कर के उन्हें बच्चों की क्षमता के अनुसार कक्षावार नामांकन कराया जाता है । मीना कैम्पेन प्रार्दशन एंव नामांकित बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं –

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	ग्राम सभा की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या
1	नगवां	6300	42	2000
2	रावर्ट्सगंज	6000	30	3000
3	दुद्धी	4500	20	1500
	योग	16500	92	6500

मीना कैम्पेन के माध्यम से 6500 बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में कराया जा चुका हैं । लेकिन अभी हमारा लक्ष्य पुरा नही हुआ हैं । अन्य विकास खण्डों में असेवित , अनुसूचित जाति /पिछड़ी जाति के गांवों के बच्चों को नामांकित कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा मीना कैम्पेन कर के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शालात्याग बच्चों का चिन्हांकन कर के मीना कैम्पेन के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में अनामांकित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा।

समुदायिक सहभागिता

इस जनपद में सामुदायिक सहभागिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिये सर्व प्रथम ब्लाक सन्दर्भ समूह का गठन किया गया। ब्लाक सन्दर्भ समूह में नेहरू युवा केन्द्र के सक्रिय सदस्य , कार्यरत शिक्षक , अवकाश प्राप्त शिक्षक , स्वयं सेवी शिक्षित युवक चयनित किये गये थे । इन सदस्यों को एस०आर०जी० सदस्यों द्वारा डायट सोनभद्र में चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इन्ही सदस्यों के माध्यम से जनपद की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया। ब्लाक सन्दर्भ समूहों की संख्या निम्नवत् हैं –

क०सं०	विकास खण्ड का नाम	ब्लाक सन्दर्भ समूह के सदस्यों की संख्या
1	घोरावल	25
2	रावर्ट्सगंज	25
3	चतरा	25
4	नगवां	25
5	चोपन	24
6	दुद्धी	24
7	म्योरपुर	24
8	बभनी	24
	योग	196

उक्त ब्लाक सन्दर्भ समूहों द्वारा जनपद की कुल 466 ग्राम पंचायतों की शिक्षा समिति के सदस्यों ए जागरूक लोगों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्यों व शत–प्रतिशत नामांकन शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा गुणात्मक प्रत्येक माह ग्राम शिक्षा समितियों की प्रशिक्ष कराने एंव विद्यालय के प्रति जागरूक रहने के लिये सचेष्ट किया गया । माइक्रोप्लानिंग की जानकारी गयी । जनपद वासियों को प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये जनसम्पर्क , भ्रमण , दिव

लेखन , नुक्कड़ नाटक , स्कूल चलो अभियान की रैली , असेवित वस्तियों में अभिभावको को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना , नामांकन कराना , मां बेटी मेले का आयोजन तथा कला जत्था आदि के द्वारा जन जागरण के कार्य की गये ।

द्वितीय चक्र में ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित करने के लिये दो दिवसीय पुनर बोधात्मक प्रशिक्षण के द्वारा 489 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कराया गया । विकास खण्ड नगवां मे चयनित आदर्श दो न्याय पंचायतों वैनी तथा खलियारी में पी०आर०ए०/पी०एल०ए० का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर के सभी ग्राम प्रधानों से सम्पर्क किया गया । सर्वे करने हेतु चयनित ग्राम पंचायतों के स्वयं सेवी /ग्राम प्रधान जिनकी कुल संख्या 20 थी उन्हें चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा प्रत्येक ग्राम हेतु दो दिवसीय सर्वे कराया गया तथा प्रत्येक ग्राम का शैक्षिक 'मानचित्रण , परिवार गणना , पुरूष महिला की जातिवार संख्या , बच्चों की संख्या 3-6 तथा 6-11 वय वर्ग , प्राथमिक तथा अन्य विद्यालयों मे पढ़ने की संख्या , अनामांकित बच्चें , शालातयागी बच्चों के आकड़े संकलित किये गये।

दोनो आदर्श न्याय पंचायतों की कुल 17 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य पूर्ण कराया गया। सर्वेक्षण से कुछ असेवित ग्राम प्राप्त हुये । जिनका विवरण निम्नवत् हैं –

<u>वर्ष 1999 पी०आर०ए०/पी०एल०ए० के द्वारा प्राप्त आकडें</u>

क०सं०	न्याय पंचायत का नाम	असेवित ग्राम	ग्राम पंचायत	अनामांकित बच्चो की संख्या		
				बा०	बालि०	योग
1	वैनी	विछीया	सेमरिया	24	15	39
2	"	तल्ला	"	18	27	45
3	"	चौखड़ा	विजवार	19	25	44
4	"	मुसहर टोला	दुबेपुर	30	25	55
5	"	गंगवा	पनीकपकला	16	13	29
6	खलियारी	गोगां	वराडाड़	25	26	51
7	"	धोबी	सुवरसोत	17	35	52
			योग	149	166	315

उक्त सभी असेवित ग्राम के ग्राम प्रधानों से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित करा कर अग्रिम कार्यवाही की गयी।

स्कूल चलों अभियान जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष माह जूलाई व अगस्त मे मनाया गया जिसमें प्रभात फेरी , नुक्कड़ नाटक एंव कला जत्था के माध्यम से अभियान का कार्यक्रम चलाया गया । इस अभियान के द्वारा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष वार नामांकन मे वृद्धि हुई हैं जैसा की निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हैं –

स्कूल चलों अभियान का नामांकन

क्रसं	वर्ष	स्कूल चलों अभियान से पूर्व का नामांकन			स्कूल चलों अभियान के बाद का नामांकन			वृद्धि		
		बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग	बा०	बालि०	योग
1	1998-99	76549	44857	121406	84232	52556	136788	7683	7699	1538
2	1999-2000	84232	52556	136788	98551	66079	164630	14319	13523	2784
3	2000-01	98551	66079	164630	97650	71124	168774	(-)901	5045	4144
4	2001-02	97650	71124	168774	99659	75249	174908	2009	4125	6134
5	2002-03	99679	75249	174908	118717	93271	211988	19058	18022	370
6	2003-04 Aug.	118717	93271	211988	82789	68957	151746	--	--	--

स्रोत – EMIS

उक्त अभियान के तहत कला जत्था हेतु तीन विकास खण्डों [illegible], दुद्धी व बभनी का चयन किया गया । 1 जुलाई 2001 से 14 अगस्त 2001 तक प्रशिक्षित कला जत्था के कलाकारों द्वारा विकास खण्डों के प्रत्येक

ग्राम पंचायतों में शत–प्रतिशत नामांकन हेतु कला जत्था कराया गया । सर्व शिक्षा अभियान के तहत शेष विकास खण्डों में भी दिखाये जाने की आवश्यकता हैं ।

समुदायीक सहभागीता के अन्तर्गत जनपद में चलाये गयें विविद्ध कार्यक्रम के संचयी प्रभाव से प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में आशतीत वृद्धि हुयी हैं जिससे GER तथा NER में भी सुधार हुआ हैं जो निम्न सारणि से स्पष्ट हैं –

GER

वर्ष	बालक	बालिका	योग
2000-01	86.70	85.47	85.98
2001-02	87.00	73.00	80.00
2002-03	93.36	96.00	95.00
2003-04	--	--	--

NER

वर्ष	बालक	बालिका	योग
1997-98	61.94	41.16	52.21
1998-99	68.32	47.73	58.15
1999-2000	76.64	58.30	68.06

स्रोत – EMIS

शिशु शिक्षा केन्द्र (ई०सी०सी०ई०) –शिशु शिक्षा केन्द्र खोलने का मकसद था की अधिकांश बालिकायें अपने छोटे भाई बहनों को सम्भालनें में ही घर पर रह जाती थी । इन कारणोंसे यह बालिकाएं विद्यालय से वांचित रह जाती हैं । इसके लिए शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई और उन केन्द्रों को विद्यालय के प्रागंण में विद्यालय के समयानुसार केन्द्र संचालित किया गया । जिससे बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय से लगातार विद्यालय आये और छोटे बच्चे भी विद्यालय में आने की आदत डालें । जनपद सोनभद्र में प्रथम चक में 89 केन्द्र व द्वितीय चक में 111 केन्द्र कुल 200 शिशु शिक्षा केन्द्र विकास खण्ड नगवां , चोपन , बभनी , दुद्धी तथा घोरावल में संचालित हैं । इस वक्त 200 शिशु शिक्षा केन्द्रों में कुल 8500 बच्चें नामांकित हैं । और लगातार स्कूल आ रहे है । समस्त कार्यकत्रियों एंव सहायिकाओं को केन्द्र संचालन सही ढंग से करने हेतु डायट सोनभद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

अभी भी हमारा लक्ष्य पूरा नही हो पाया हैं क्यों कि यहां कि भौगोलिक परिस्थतियां विषम हैं । तीन विकास खण्डों में अभी शिशु शिक्षा केन्द्र डी०पी०ई०पी० से अच्छादित नही हैं । और सर्व शिक्षा अभियान के दौरान तीन विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्र चलाया जायेगा। शिशु शिक्षा केन्द्रों प्रभावी बनाने हेतु डी०पी०ई०पी० योजना द्वारा कार्यकत्रीयों व सहायिकाओं को क्रमशः 250 व 125 रू० प्रतिमाह के दर से मानदेय दिया जाता हैं तथा प्रति शिशु शिक्षा केन्द्र रू० 1500 आकस्मिक व्यय एंव 6500 रू० सामग्री क्रय हेतु दिया जाता हैं ।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक – जनपद में समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया गया। विगत वर्षो में निःशुल्क पाठ्य पुस्तके केवल अनु०जाति के सभी बच्चों तथा अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं को वितरित की जाती रही हैं । पुस्तक वितरण किये जाने के फलस्वरूप बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था सतत् चलती रही तों बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन में सफलता मिल सकती हैं । पुस्तक वितरण के साथ–साथ सभी बच्चों को गणवेश की व्यवस्था की जाती तो बालिकाओं का नामांकन में वृद्धि होगी।

रणनीति

बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन हेतु प्रयास – बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन हेतु विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाये । तथा मानक से कम दुरी पर भी उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाये जिससे सभी बालिकायें शालात्यागी न होकर कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण कर सके। बालिकाओं का शालात्याग होने का प्रमुख कारण हैं की ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालयों से बहुत दूर–दूर हैं जिससे कक्षा 5 उत्तीर्ण बच्चों को दूर दराज मे स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भेजना उचित नही समझते हैं । शहरी क्षेत्र में बच्चों का ड्रापआउट ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा कम पाया जाता हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की लड़किया शहर में दूरी एंव गरीबी के कारण नामांकन नही करा पाती । इस लिये ग्रामीण क्षेत्रों मे भी बालिकाओ के शत प्रतिशत नामांकन हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्त विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष , शौचालय , पेयजल की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिये।

उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। पूरे जनपद में पुरूष अध्यापकों की तुलना में अधिक अध्यापिकाओं का चयन किया जाये । विद्यालय में अध्यापिकाओं के होने से अभिभावक बालिकाओं का नामाकन कराने में ज्यादा रूचि लेते हैं । सर्व शिक्षा अभियान के दौरान यह व्यवस्था की जानी चाहिये ।

महिला शिक्षण केन्द्र (बालिका कुंज आश्रम)

विकलांग बालिकाओं व बड़ी उम्र की बालिकाओं के लिये मुस्लिम लड़कियों के लिये प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक जनपद स्तर पर एक महिला शिक्षण केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिये । और उस बालिका कुंज आश्रम मे केवल महिला अध्यापक ही रखे जाये । इन केन्द्रों में जेण्डर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तके तैयार की जानी चाहिये । और इनके पाठ में शिक्षा महिला स्वास्थ्य , पंचायत स्तर की भी जानकारी का पाठ हों जिससे बालिकायें सर्थक जीवन जी सके । क्यों की जब जानकारी होगी तो बालिकायें किसी पक्ष में पिछे नही रहेगी। बालिकाओं के रहने खाने पीने गणवेश व किताब इत्यादि की व्यवस्था बालिका कुंज आश्रम में होनी चाहिये। साथ ही इस कार्यात्मक शिक्षा (चटाई बुनना पेन्टिंग करना झाडू बनाना , हाथ का पन्खा बनाना इत्यादि) दी जाये। सामान्य बालिकाओं के तरह विकलांग बालिकाओं को भी पढाई से लेकर हुनर तक के सभी कार्य सीखाया जाये ।

समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण डायट स्तर पर कराया जाये और माड्यूल भी डायट स्तर पर तैयार कराया जाये।

बैठके– सर्व शिक्षा अभियान के तहत अशोवित बस्तियों एंव अनुसूचित जाति व मुसलिम जाति की बस्तियों मे महिला प्रेरक दर , एम०टी०ए०/पी०टी०ए० , अभिभावक संघ का गठन किया जाये और गांव स्तर पर बैठक कर के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाये। समुदाय के मन मस्तिष्क मे बालिकाओं के प्रति जो भ्रातियां , रूढ़वादीता कूट कूट कर भरी हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करते हुये शिक्षा के ओर ध्यान दिलाते हुए प्रोत्साहित किया जायेगा। बैठक करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना होगा–

- बालिका शिक्षा पर फल्ड बनाकर प्रस्तुत करना
- गीत ,नारे के माध्यम से शिक्षा के प्रति उत्साहित करना
- पम्पलेट वितरण स्टीकर लगाना व दीवार पर बालिका शिक्षा सम्बन्धी नारे लिखना जिससे बालिकाएं उत्साहित होकर अपने माता पिता को नामांकन कराने हेतु प्रेरित करें। ग्रामीण इलाकों मे जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय काफी दूरी पर है वहां मुस्लिम व विकलांग किशोरियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र द्वारा शिक्षा दी जाये।
- गांव स्तर पर महिला समूह को प्रशिक्ष दिया जायेगा और यह महिला समूह अपने अपने गांव की बालिकाओ को विद्यालयों मे नामांकित करायेगी।

प्रशिक्षण– प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओ का चार दिन का प्रशिक्षण करने हेतु पैकेज डायट स्तर पर तैयार कराने केबाद लिंग सम्वेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया

जायेगा । जिससे बालिकाओ के शिक्षापर विशेष ध्यान दिया जाये तथा बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु जनपद स्तर पर डी०आर०जी० का गठन किया जाय । महिने में एक बैठक डायट प्राचार्य की अध्यक्षता मे की जाये जिसमे बालिकाओ कीशतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु रणनीति तैयार की जायेगी ।

समस्त बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयक का प्रशिक्षण कार्यशाला पांच दिवसीय करायी जाय। जिसमें बालिकाओं केशतप्रतिशत नामांकन हेतु जनसम्पर्क सहभागिता और गुणवत्ता सम्बर्धन के लिये प्रयास किये जाय । सभी ग्राम शिक्षा समितियो को जागरूक करने पर बल किया जाय । समय समय पर दो दिवसीय पुनर बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायं

बालिकाओं की शिक्षा स्तर में बृद्धि हो इसके लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाये –

बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय के साथ विश्वास में लेकर कार्य करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता ।

कक्षा आठ तक की पुस्तकेप्राथमिक स्तर के समान सभी लड़किओं को दिलायी जाय तथा फिस भी माफ की जाय । प्रत्येक ग्राम सभाकी एरिया व भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये बालिकाओं के लिये जूनियर हाईस्कूल होना निश्चित हो । बालिकाओ को गृह शिक्षा एवं उनकी दक्षता के आधार पर कक्षावार नामांकन किया जाय ।

प्रत्येक प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल मे महिला अध्यापिका अवश्य होनी चाहिये।

पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मेंशौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाये ।

साक्षरता कैम्प – ग्राम पंचायत में जहां पर विद्यालय दूर है या प्राकृतिक बाधाये है वहां पर साक्षरता कैम्प किया जाये इसमे यह बड़ी बालिकाये बहुए व महिलाये आयेगी जो कभी विद्यालय नही गयी है या बचपन मे विद्यालय जाकर छोड़ दी है । कैम्प करने बाद किशोरी केन्द्र बैकहो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाये ।

साक्षरता कैम्प – ग्राम पंचायत में जहां पर विद्यालय दूर है या प्राकृतिक बाधाये है वहां पर साक्षरता कैम्प किया जाये इसमे यह बड़ी बालिकाये बहुए व महिलाये आयेगी जो कभी विद्यालय नही गयी है या बचपन मे विद्यालय जाकर छोड़ दी है । कैम्प करने बाद किशोरी केन्द्र बैकल्पिक केन्द्र या प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराकर पांच की परीक्षा दिलायी जायेगी ताकि कक्षा छः मे नामांकन करा सके ।

बेटी पढ़ाओ अभियान– बेटी पढ़ओ अभियान को गांव गांव में चलाया जायगा जिससे घर घर गांव गांव में जाकर देखा जायेगा कि किसी घर की कोइ बेटी छूट तो नहीगयी है ।

ग्रीष्म कालिन शिविर– ऐसे ग्रामपंचायत मलिन बस्तीया पुरवा टोले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया जायेगा जहां पर बालिकाओ का विद्यालयों मे ठहराव नही है वहांपर समर कैम्प के माध्यम से वातावरण सृजन करके दस दिवसीय शिविर लगाकरशतप्रातिशत नामांकन व ठहराव निश्चित किया जायेगा विद्यालय प्रबन्ध मे स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा । समर कैम्प के समाप्त होने पर बच्चों का स्थानीय स्टडीटू एक या दो दिन का ऐतिहासिक,धार्मिक एवं पिकनिक स्थलो का कराया जायेगा।

<u>मीना कैम्प</u> –ग्राम पंचायत स्तर पर असेवित बस्तीयो का चयन किया जायेगा । जहां पर बालिकाये प्राथमिक व उच्चप्राथमिक विद्यालय न जाती हो या कम जाती है कैम्प, शिविर आदि कार्यक्रम के साथ बालिकाओं / महिलाओ के शिक्षाके प्रतिजागरूकता एवं बचनबद्धता के विकास के लिये मीना कैम्पेन और अक्षर–अक्षर पता होगा, पुनकी घनश्याम आदि बीडियो कैसेट को दिखाया जाएगा ताकि लोगों का शिक्षा के प्रति रूझान पैदा हो और बालिकाओ को जरूर पढ़ाये ।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनिति –

कार्यशाला / प्रशिक्षण–बालिकाओ की शिक्षा को बढ़ानेके लिये महिला अध्यापिकाओ /अभिभावक का, माताओ का, वी०ई०सी०का, लिंग सम्बेदनशीलता पर समय समय पर प्रशिक्षण किया जायेगा । तथा बालिकाओ के शिक्षा के प्रति जागरूक हो नये तरिके से बालिकाओ के बारे में सोचे कि आज की बालिका कल की महिला बनेगी और बागडोर इन्ही के हाथ होगा ।अस्तु पढाई अति आवश्यक है।

शिविर–बड़ी उम्र 11 से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओ के लिये शिविर का आयोजन किया जाय। जिसमें सार्थक जीवन जीने के लिये माहौल स्थान का चयन करे और शिक्षाके प्रति सोचे ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ेगा ।

किशोरी मां बेटी मेला–बालिकाओ की शिक्षा स्तर को उंचा उठाने हेतु महिलाओ का संगठित होना अति आवश्यक है । गांव स्तर पर महिला गोस्ठी का आयोजन करने बाद ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर मांबेटी मेला का आयोजन किया जायेगा।जिसमें बालिकाओ/महिलाओं कीशिक्षा स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता लाना व बालिकाओ की मुख्य समस्या का निदान सामुहिक रूप से ढुढना तथा शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना जेन्डर आधारित बेटे व बेटियो के प्रति आदान प्रदान तथा वार्ताओ का आयोजन करनाऔर मेला के माध्यम से ऐसे गांव के विद्यालय कोजहांपरशतप्रतिशत नामांकित हो उनको पुरस्कृत करना आदि ।

- माता शिक्षक संघ, महिला प्ररक दल, वी०ई०सी०, पिता शिक्षक संघको लिंग सम्बेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण गोस्ठी करना कराना, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में सकीय भूमिका निभा सके ।
- कला जत्था – खुशबू हो हर फूल में, हर बेटी हो स्कूल में ।।
- बालिकाये विच में विद्यालय न छोड़े तथा सामूदायिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था का आयोजन स्थानीय कलाकारो द्वारा गावं गांव में किया जाय । तथा दिवारलेखन व नारा लगाने का अभियान चलाया जायेगा । जिससे अभिभावक बालिकाओ को विद्यालय में नामांकित कराने के लिये प्रोत्साहित करेगे ।
- किशोरी संघ–प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिकाओ का संघ बनाया जायेगा। जिसमे पांच वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के किशोरियों कोशामिल किया जायेगा। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेगे।
- शत प्रतिशत बालिकाओ को गांव स्तर के ई०सी०सी०ई० के किशोरी केन्द्र बैकल्पिक केन्द्र व प्राथमिक विद्यालयो में नामांकन करवाना ।
- सप्ताह में एक दिन किशोरी संघ की बैठक कराना ।
- बैठक सम्बन्धि सामग्री कोउपलब्ध कराना जेसे पोस्टर अखबार ,पत्रिका,तथा अन्य पुस्तके आदि ।
- बाल विवाह को रोकने हेतु बैठक करना ।
- शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी किसी अध्यापिका या एनम द्वारा महिने मे एक बार देना ।
- सामाजिक रूढ़िवादी विचारों को बदलने व खत्म करने के लिये नाटक गीत इत्यादि कार्य करना ।
- जेण्डर सें सम्बन्धित चर्चा करना।

किशोरी केन्द्र – जो किशोरिया/बालिकाये बड़ी उम्र की है यदि वह प्रतिदिन नही जा सकती तो जहा पर 25 या 30 बालिकाये होगी ऐसी जगह या गांव का चयन करके किशोरी केन्द्र की सुरूवात की जायेगी । जिसमें महिला अनुदेशिका की नियुक्ति की जायेगी जो दोपहर में तीन घंटे नियमित चलाये और उन्हे निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी जाय । दो वर्ष किशोरी केन्द्र में पढ़ने के बाद उन्हे कक्षा 5 की परीक्षा दिलायी जाय जिससे उनका नामांकन कक्षा 6 में कराया जा सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस–

विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जायेगा जिसमें अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओ एवं महिलाओ के साथ बालिकाओ के शिक्षा स्वास्थ्य, अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जायेगा । बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये तरह तरह की गतिविधियो

एवं प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जायेगा । प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिकाओ के साथ बालिका शिक्षा का प्रभावी बनाने हेतु गोस्ठी का आयोजन किया जायेगा।

<u>कोहर्ट स्टडी</u>– बालिकाओ के अधिकतमशालात्याग दर वाले प्राथमिक व उच्चप्राथमिक विद्यालयों में पिछले पांच वर्षो के शालात्याग छात्र पंजिका से निकाल कर ऐसे बच्चो को सूचि बद्ध कर लिया जायेगा तथा उन सभी बच्चो का दस दिवसीय ग्रीष्म कालिन शिविर में नामांकन कराने का प्रयास किया जायेगा।

<u>बुज कोष</u>–ऐसे मलिन बस्तियों मजरों मुहल्लों का चयन किया जायेगा जहां पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक नही है। उस क्षेत्र की कामकाजी बालिकाओं व मुस्लिम बालिकाओ को 30 दिवसीय ब्रिजकोर्स कैम्प के माध्यम से शिक्षित किया जायेगा। तथा उन्हे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा ।

<u>स्टडी टूर</u>– उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा आठ के बच्चो का दो दिवसीय स्थानीय ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का भ्रमण के माध्यम से अवलोकन कराया जायेगा।

<u>ठहराव परिकमा तथा तारांकन</u>–विद्यालयों मे बच्चों की उपस्थिति नियमितकरने हेतु प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर ठहराव परिकमा निकाली जायेगी जिसमें विद्यालय के बच्चे अध्यापक तथा अभिभावक सम्मिलित होंगे । इस ठहराव परिकमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय में कम उपस्थित रहते है उनके घर के द्वार पर थोड़ी देर तक रूक कर नारा लगाया जायेगा और विद्यालय में नियमित आने लिये बच्चों एवं अभिभावक को प्ररित किया जायेगा । बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु सभी अभिभावकों एवं बच्चो को सचेत करने लिये हरा पीला तथा लाल तारा निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा । तारांकन की प्रकिया निम्नवत है–

माह में पन्द्रह दिन या उससे अधिक उपस्थिति पर – हरा निशान

माह में चौदह दिन से सात दिन तक की उपस्थिति पर पीला निशान।

माह में छः दिन व उससे कम उपस्थिति पर लाल निशान ।

<u>महिला प्रेरक दल</u> – ऐसे गांव मजरे , मुहल्ले जो विद्यालय से दूर होंगे वहां बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर महिला प्रेरक दल का गठन किया जाए तथा ठहराव सुनिश्चित करने हेतु उन्हें जेण्डर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए और महिला प्रेरक दल प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पूरी व्यवस्था एंव बालिकाओं के ठहराव एंव बालिकाओं के ठहराव व नामांकन कराने में जन जागरूक का कार्य करेगी।

माता शिक्षक संघ – ग्राम पंचायत स्तर पर 10 से 12 उसी गांव की सकिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का गठन किया जाए तथा उन्हें कार्य एंव दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संघ का मुख्य दायित्व विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नियमित करना होगा। यह माता शिक्षक संघ प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में बालिकाओं को नामांकन एंव ठहराव का कार्य करेगी।

सब के मध्य एंव सत्रांक में अभिभावक सम्मेलन – बच्चों के शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सब के मध्य तथा सत्रांत में अभिभावकों का एक सम्मेलन बुलाया जाय और उसमें उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों एंव अभिभवकों को प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया जाए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति रहने वाले बच्चों का नामांकन प्रभावी होगा।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण– प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का रूझान बदलने तथा उनके प्रति संवेदनशील एंव जागरूक होने के लिए अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बच्चों / बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण उपायों चर्चा तथा अभ्यास के द्वारा शिक्षकों को प्रेरित किया जायेगा। प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय व आवसीय होगा। इस प्रशिक्षण का माडयूल डायट स्तर पर तैयार करके ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

शिशु शिक्षा केन्द्र (ई०सी०सी०ई०) – केन्द्रों की स्थापना– बालिकाए घर के कार्य एंव छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहने के कारण विद्यालय नियमित नही जा पाती है । बालिकाओं को विद्यालय में सुनिश्चित

ठहराव करने हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों को निकटस्थ विद्यालयों से जोड़ा जाएगा और विद्यालय के समय के अनुसार 10 से 4 तक सभी बालिकाएं अपने छोटे भई बहनों के साथ विद्यालय में अध्ययन करेगी। इन शिशु शिक्षा केन्द्रों में 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने का प्रयास किया जाएगा। जिाल प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त संचालित केन्द्रो के कार्यकत्रियों एंव सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय प्रशिक्षण एंव सामाग्री की व्यवस्था की गई हैं । इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी और कार्यकत्रियों एंव सहायिकाओं के मानदेय प्रशिक्षण एंव सामाग्री वितरण की व्यवस्था की जायेगी।जनपद के जिन विकास खण्डों में आगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन नही किया जा रहा हैं और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हैं उनमें प्रति विकासखण्ड 60 केन्द्र खोले जाएगे । इस प्रकार जनपद सोनभद्र के तीन विकासखण्डों (म्योरपुर, रावर्टसगंज , चतरा) में 180 केन्द्र खोले जाएगें । केन्द्रों हेतु निकटस्थ विद्यालयों में न्यूनतम महिला साक्षरता उच्च शालात्याग की दर से केन्द्रों एंव कार्यकत्रीयों व सहायिकाओं का चयन किया जाऐगा।

1- पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता– बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिन विकास खण्डों में आई०सी०डी०एस० के आगनवाड़ी केन्द्रों संचालित नही हैं वहां पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आगनवाड़ी केन्द्रों के परवेक्षण , अनुदेशिकाओं के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की उपलब्धता करायी जाएगी । इस कार्य हेतु स्वयं सेवी संगठनों का चिन्हांकन तथा पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। इसके तहत जिले स्तर पर क्ष्याति प्राप्त एंव अनुभवि स्वयं सेवी संगतनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएगें। स्वयं सेवी संगठनों का चयन का निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जाएगा।

2- उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव– बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के परिवारिक , पारम्परिक एंव गैरपारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं हेतु उपयोगी कार्यक्रमों को शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एंव अभिभावकों की जागरूकता व रूचि को बढाया जाएगा। बालिकाओ के नामांकन एंव उनकी रूचि को पेन्टिंग , सिलाई ,कढाई कला चित्रण के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप टोकरी , चटाई , झाड़ू , खिलौने, हाथ के पंखे आदि बनने के प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम – कार्यक्रम को संचालन हेतु विभिन्न विभागों जिला अर्थएंव संख्या विभाग , विकलांग कल्याण विभाग , पंचायत राज विभाग , महिला एंव बाल विकास विभाग , महिला समाख्या एंव स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एंव समुदायों के साथ विचार–विमर्श करके सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन वातावरण सृजन पर कार्य किया गया । साथ ही योजना के संचालन कियान्वयन में भी इनके उपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया हैं । आकड़ों के संकलन एंव विश्लेषण में विभगिय गतिशिलता के साथ अर्थ एंव संख्या विभाग के सहयोग से आकड़ों का संकलन किया गया।

विकालांग बच्चों का सेकित शिक्षा हेतु 6-11 एंव 11 से 14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों की विकांगतावार तथा कक्षावार बच्चों की सूची प्राप्त की गई । पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एंव बच्चें शिक्षित हो इसमें समूदाय की महत्वपूर्ण भूमिका हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में निरक्षरों की संख्या अधिक हैं । नगरीय क्षेत्र में मलीन वस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण वहां पर निरक्षरों की संख्या अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में असेवित वस्तियों में निरक्षता को दमर ककरने हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। समुदाय को जागरूक एंव उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्दश्यों में ग्रम पचायतों मे ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। तथा प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समुह के सदस्यों द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया। जिसमें शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी बातों से अवगत कराया जायेगा।

वातावरण सृजन – नियोजन प्रकिया के दौरान जनपद के विभिन्न वस्तियों तथा समुदाय के साथ सम्पर्क किया गया तथा गोष्ठीयों के माध्यम सें विचार विमर्श किया गया । उनके सहयोग से समुदाय से सम्पर्क करते समय इस कार्यक्रम के उद्देश्य एंव शिक्षा के महत्व के विषय में विस्तृत एंव व्यापक चर्चा की गयी ।
ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण– ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय भागिदारी हेतु इन्हे प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हैं । इसमें निर्वाचित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण दो वर्ष तक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा पांच वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण व उन्हे दो वर्ष तक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना हैं

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) – जनपद में नवाचार शिक्षा हेतु बालक बालिकाओं की कार्योनुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान किया जाना हैं । इस प्रकार जिलें में इस प्रस्ताव से विकास खण्डवार केन्द्रीय विद्यालय में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जानी चाहिये।

विद्यालय मे बगवानी हेतु समुदाय को जागरूक करना – विद्यालय का परिवेश आकर्षक एंव पर्यावरण युकत हों इसके लिये वृक्षा रोपण कराया जायेगा। अनुभवी लोगों से पुष्प वाटिका बनायी जाये जिसके सहयोग से विद्यालय में पौधो का रोपण कराया जाये । उद्यान विभाग से सहयोग लेकर विद्यालय को आकर्षक बनाया जाये विद्यालय में बच्चों को बैठने हेतु टाट पट्टी की व्यवस्था की जायेगी।
तथा श्याम पट चाक शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में अनुभवी ग्रामवासियो का सहयोग लिया जायेगा तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी । गरीब बालक बालिकाओं को समुदाय के लोगो से उनके गणवेश , स्लेट पेंसिल कापी आदि की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था समुदाय से करायी जायेगी ।

विद्यालय सुदृढीकरण में सक्रिय सहयोग – कक्षा –कक्ष निर्माण , भवन की मरम्मत चाहारदिवारी निर्माण ,मिट्टी भराव विद्यालय प्रागण की उची नीची भूमि को समतल करने हेतु समुदाय से सहयोग लिया जायेगा ।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागरण – राष्ट्रीय पर्व , प्रभात फेरी व सांस्कृतिक कार्यक्रम मे जन सहयोग लिया जायेगा । अपवंचित वर्ग के बच्चों व अभिभावको को इसके माध्यम से जोडा जायेगा । प्रतियोगिता आयोजित करके सम्मानित व्यक्तियों द्वारा उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग – ग्राम के सम्मानित एवं जागरूक अभिभावको व शिक्षित लोगो को इस कार्य के लिए गतिशिल बनाया जायेगा और उन्हे इस प्रकार प्ररित किया जायेगा कि विद्यालय का समय –समय पर पर्यवेक्षण करते रहे मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करे तथा उनका गुणात्मक सुधार हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनो की सहभागिता – अभिभावको–शिक्षकों तथा स्थानिय समुदाय मे बच्चो की शिक्षा के प्रति अभिरूचि प्रदान करने तथा अनुकूल वातावरण का सृजन करने हेतु सवेशिक्षा के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है इन कार्यक्रमो से स्वयंसेवी संगठनो को जोडा जायेगा विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन,मानचित्रण का प्रशिक्षण विद्यालय एवं स्थानिय समुदाय को सनिकट लाने की प्रकिया में स्वयं सेवी संगठनो का महत्वपूर्ण सहयोग लिया जाय। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनो का चिन्हांकन किया जाये। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयंसंगठनों से प्रस्ताव मागे जायेगे और स्वयंसेवी संगठनो का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाय।

सर्व शिक्षा अभियान मे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है।** पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियाजन शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु

समेकित शिक्षा

भारत के लगभग 5 से 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है । शिक्षा की सार्वजनीकरण के लक्ष्य को हम तब तक प्राप्त नही कर सकते जब तक कि विभिन्न विकलांकता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाते है । बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चें के ब्यक्तित्व को प्रभावित करता है ।वही माता पिता परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। जनपद सोनभद्र में 2900 बच्चे किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन्ही विकलांग बच्चो को प्राथमिक विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ निःशुक्ल विद्या उपलब्ध कराने की चेस्टा किया जा रहा है ।

विकलांग बच्चों का विवरण व प्रकार– **2003-04**

प्रकार	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिका	बालक	बालिक
शरीरिक विकलांगता	60	36	61	37	71	49	67	29	31	18	290	169
मानसिक विकलांगता	19	09	17	10	16	06	15	06	06	06	73	37
दृष्टि विकलांगता	11	10	11	10	08	05	06	04	04	02	40	31
श्रवण विकलांगता	24	18	19	12	29	27	10	09	08	06	90	72
अधिगम अक्षमता	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0
योग	114	73	109	69	124	87	98	48	49	22	494	309

सर्व शिक्षा अभियान उच्च प्राथमिक स्तर तक किया इन्ही प्राथमिक विद्यालय के उत्तीर्ण बच्चों को आगें उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

विकलांगता के प्रकार – मुख्य रूप से विकालांगता 5 प्रकार की होती हैं–

1-दृष्टि विकलांगता

2-श्रवणवाणी विकलांगता

3-अस्थि विकार विकलांगता

4-मानसिक मन्दता

5-अधिगम मन्दता

विकलांगता के कारण– बच्चों में कुछ विकलांगता जन्म से होती हैं ।तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं । कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित हैं। बच्चों के अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1- बौद्धिक कियाकलाप का निम्न स्तर एंव विकास की मन्द गति

2- देखने में कठिनाई , सुनने व बोलने में कठिनाई

3- हाथ पैर का छतिग्रस्त होना या हाथ पैर का ना होना।

4- अगों की विकृति मांसपेशियों के तालमेल न होने से किया कलाप में कठिनाई।

5- मनोवैज्ञानिक प्रकियाओं जैसे – प्रत्यक्षीकरण में अवधान

6-स्मृति विषय की समस्यायें ।

कुछ कारण बच्चों के परिवार एंव विद्यालयों से संबन्धित होते हैं।

- माता–पिता के स्नेह की कमी
- सिखने के सामान्य अवसर न मिलना
- शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकुल व्यवहार करना

अक्षमता के परिणाम– विकलांगता के वजह से बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी आ जाती हैं । समाज में यह बच्चें उपेक्षित होते हैं । परिवार के सदस्यों को इस पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता पड़ती हैं जिसके कारण से परिवार में आर्थिक बोझ अधिक हो जाता हैं । इसलिए परिवार एंव बच्चों को समाज द्वारा ध्यान देने एंव सहयोग की जरूरत हैं ।

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ में अनेक भ्रांतियां है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिएविशेष तकनिकि की आवश्यकता होती है। जब कि कम एंव मध्यम श्रेणी विकलांग बच्चों को पढाने के लिए विशेष तकनिकि की आवश्यकता नहीं होती हैं। केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उन बच्चों को कुछ विशेष उपकरण व उपस्कर दे देने से वह बच्चें भी सामान्य बच्चों की तरह सामान्य विद्यालय जानें में सक्षम हो जायेगें ।

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापकों का संवेदीकरण होना बहुत जरूरी हैं। इसके आलावा समाज परिवार सदस्यों को भी उनका सहयोग व मनोबल बढाने का प्रयास करना होगा। इन सब के सर्वप्रथम उनलोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण को परिवर्तन करना होगा।

उपकरण प्रदान करने के लिए सबसे पहले उनको चिन्हित एंव सही जांच कराना होगा। उन सभी को तभी चिन्हित किया जा सकता है जब समाज में जागरूकता आयेगा। साधारणत बच्चों के माता–पिता विकलांग बच्चों के बारे में नही बताते हैं।

सर्वे – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के तहत सर्वे किया गया था जिससे बच्चों का सही आकड़ा प्रस्तुत हो पाया था । (6-11 वय वर्ग के बच्चों) इन सभी प्रोग्राम के द्वारा समाज में जागरूकता को उत्पन्न भी कराया जा सकता हैं। इस तरह का सर्वे प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान में कराया जाना चाहिए जिससे कि हमें जिलों से 18+ वय वर्ग के बच्चों का सही आकड़ा मिल सकें। उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दें सकें।

स्वास्थ्य परीक्षण– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यकम दो ब्लाकों मे किया जा चुका हैं। इससे हमको बच्चों की स्थिति सही आंकड़े व उनकी जरूरत की पूरी विवरण की सूची प्राप्त हो गया था।यह एक तरह से माता–पिता को सही जानकारी देने में समर्थ हुआ था। इसलिए इस तरह का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यकम अन्य ब्लाकों के लिए भी जरूरी हैं। अक्षम बच्चों को लाने के लिए गम्भीर रूप से कुछ अर्थ सहयोग की जरूरत पड़ती हैं।

उपकरण एंव उपस्कर – स्वास्थ्य परीक्षण कार्य के बाद बच्चों की विकलांगता की डिग्री एंव उपकरण उपस्कर की पूरी जानकारी मिल जाती हैं। इसके बाद उन बच्चों को आवश्यकतानुसार उपकरण एंव उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी । इसके लिए हम विभिन्न संस्थाओं से सहयोग ले सकतें हैं–

1- राष्टीय दृष्टि एंव विकलांग संस्थान , राजपुर रोड़ देहरादून।
2- अली जंग राष्टीय श्रवण विकलांग संस्थान , बांद्रा , मुम्बई।
3- एलिम्कों , जी०टी०रोड कानपुर –208016
4- अमर ज्योति रीबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर।

ट्रेनिगं– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के तहत पांच दिवसीय मास्टर ट्रेनिगं प्रोग्राम प्राथमिक अध्यापकों के लिए कराया गया था। जिससे जनपद सोनभद्र के पांच मास्अर ट्रेनर तैयार हो गये है। दो ब्लाकों के पूरे अध्यपकों का दो दिवसीय ट्रेनिगं प्रोग्राम भी कराया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी अध्यापकों को ट्रेनिगं प्रोग्राग दिया जाये।

ब्रिज कोर्स – ब्रिज कोर्स कैम्प व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान का कैम्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे की जो बच्चे शुरू से नही पढे होंगे किन्तु उनकी आयु सीमा अधिक हो गई हो उन बच्चों को उसमें

शिक्षा दिया जाएगा और ट्रेनिगं के उपरान्त ये बच्चें अगर सफलतापूर्वक उतीर्ण हो जाते हैं उनक आयु सीमा के हिसाब से कक्षा में डाला जाएं।

विशेष कैम्प – विकालांग बच्चों के लिए विकासखण्ड स्तर पर तीनदिवसीय विशेष कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प के माध्यम से बच्चों को हीन भावना दूर करके उनकों प्रोत्साहन दिया जाएगा और विकालांग बच्चों को उपकरण व उपस्कर प्रयोग करने का सही तरीका बताया जायेगा। बच्चों को उत्साहित करने हेतु ब्लाकस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

उपकरण वितरण की स्थिति –

क०सं०	उपकरण का नाम	छात्र संख्या
1	Wheel Chair	
	Adult	17
	Small	29
2	Cruchege	
	Middle	24
	Small	29
3	Try Cycle	30
4	Hearing Aid	26
5	Calliper	72

१. कार्यशाला, सम्मेलन, सेमिनार आदि का आयोजन करना ।
२. अध्यापको के लिये शैक्षिक प्रतियोगिताओ का आयोजन करना ।
३. जिलास्तर पर शोध कार्य करना ।तथा जिले के अध्यापकों को इस कार्य के लिये प्रोत्साहित करना तथा आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना ।
४. शिक्षक प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाना तथा उसे वास्तविक शिक्षण से सम्बद्ध करना
५. शिक्षकों के लिये सतत तथा सेवा कालिन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
६. विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिये सस्थागत नियोजन प्रबन्धन तथा सूक्ष्म नियोजन हेतु प्रशिक्षण तथा अभिनवी करण कार्यकम संचालित करना ।
७. शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिये साधन केन्द्र के रूप में सेंवायें उपलब्ध कराना ।
८. एन०पी०आर०सी० प्रभारी एवं बी०आर०सी० समन्वयकों के कार्यों का मूल्यांकन करना एवं प्रशिक्षण देना ।

<u>डायट के विभाग–</u>

डायट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये विभिन्न विभागों में बांटा गया है

१. सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग
२. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण विभाग
३. पाठ्य कम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग
४. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग
५. कार्यानुभव विभाग
६. जिला साधन ईकाई विभाग
७. शैक्षिक तकनीकि बिभाग

कम संख्या	डायट स्टाप का विवरण	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1-	प्राचार्य	1	---	1
2-	उपप्राचार्य	1	1	--
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	2	4
4-	प्रवक्ता	17	2(4पदस्थापित प्रवक्ता)	11
5-	कार्यानुभव शिक्षक	1	1	--
6-	तकनीकि सहायक	1	1	--
7-	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	--
8-	कार्यालय अधीक्षक	1	1	--
9-	संख्यिकीकार	1	--	1
10-	लेखाकार	1	1	--
11-	आशुलिपिक	1	--	1
12-	लिपिक	9	9	--
13-	प्रयोगशाला सहायक	2	-	2
14-	परिचारक	5	5	--

नोट–प्रतिनियुक्ति पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के चार सहायक अध्यापक डायट में कार्यरत

<u>डायट मेन्टर्स</u> –डायट मेन्टर्स अपने–अपने विकास खण्डों में ग्रेडिंग ,कक्षा शिक्षण, बहु कक्षा शिक्षण ,सहायक शिक्षण सामग्री पाठों के प्रस्तुती करण के तरीको पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षको के कार्यो का अनुश्रवण कर रहे है।विद्यालय के अनुश्रवण का कार्य करते समय शिक्षको को किया आधारित कक्षा शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से खुद कक्षा शिक्षण करके दिखाया व बताया जा रहा है

ब्लाक संस्साधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संस्साधन केन्द्र– सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक संचालित करना वास्तविक स्कूल परिस्तियों में शिक्षक कोप्रेरत करने तथा उन्हें अकादमी व शैक्षिक सपोर्ट करने की दृष्टि से न्यायपंचायत स्तर पर न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रो की स्थापना की गयी है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओ के पठन पाठन में सुधार लाने तथा बच्चों के शैक्षिक सम्प्राप्ति में अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे है । यथा शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात में यथोचित संतुलन, शिक्षण अधिगम सामग्री का स्वयं शिक्षक बच्चों द्वारा निर्माण एवं सिखने सिखाने में उपयोग करना ।

<u>ब्लाक समन्वयक, सह–समन्वयक, तथा न्यायपंचायत प्रभारियों के कार्य</u> –ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर ब्लाक समन्वयक ब्लाक सह–समन्वयक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत प्रभारी की नियुक्ति की गयी हैं । ये केन्द्र प्राथमिक कक्षा शिक्षा की गुणवत्ता एंव अन्य शैक्षिक गतिविधियों जैसे– मासिक बैठकों , गोष्ठियों , प्रतियोगिताओं , कार्यशालाओं , शैक्षिक प्रदर्शनी , शैक्षिक कार्यकमों का आयोजन , नियोजन , विश्लेषण , प्रशिक्षण , मूल्यांकन , विद्यालय भ्रमण , अभिलेखन , मासिक प्रशिक्षण , शोध विद्यालय एंव न्याय पंचायतों की ग्रेडिंग , शैक्षिक स्पोट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षको को निरन्तर अकादमीक सहयोग प्रदान करना ।

उपर्युक्त कार्यो से शिक्षा में गुणत्तमक परीवर्तन देखा जा रहा हैं । और भविष्य में भी यह सब कार्य आवश्यक हैं । प्राथमिक की तरह पू०माध्यमिक विद्यालयों में यह कार्य कराये जाये ।

प्रशिक्षण की स्थिति –विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के पूर्व विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण (एस०ओ०पी०टी०) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था वर्तमान समय में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान , अंग्रेजी एंव गणित का भी प्रशिक्षण शुरू किया गया हैं । एस०ओ०पी०टी० प्रशिक्षण से प्राथमिक विद्यलयों के अध्यापकों के शिक्षण कार्य में पुनर्बोध हुआ । फिर भी शिक्षकों में विषय के प्रति समझ विकसित करने बच्चों के बारे में समझ विकसित करने की आवश्यकता को दखेते हुए रुचिपूर्ण ढंग से विषयों को समझने के बारे में जानकारी नही मिल पायी और गतिविधि आधारीत कक्षा शिक्षण के बारे में भी जानकारी नही मिली। एस०ओ०पी०टी० सभी शिक्षको के लिये नही थी यह प्रशिक्षण केवल दीक्षा विद्यालय पर ही करायी जाती रही दीक्षा विद्यालय (नार्मल स्कूल) का नाम बदल कर अब जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान कर दीया गया हैं । एस०ओ०पी०टी० माड्यूल का निर्माण एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा हुआ था जिसमें प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक अध्यापकों की भागीदारी नही रही । इसी कारण यह प्रशिक्षण प्रभावी नही रहा । प्रशिक्षण को समस्त प्राथमिक अध्यापकों एंव उच्च प्राथमिक अध्यापको को विषय अधारित एंव गतिविधि अधारित करने की आवश्यकता हैं।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको में कार्य के प्रति और जागरूकता पैदा करने की आवयश्कता प्रतीत हो रही हैं । चतुर्थ चक शिक्षक प्रशिक्षण को (रोस्टर प्रशिक्षण) न्याय पंचायत वार कक्षा शिक्षण का आर्दश बनाने हेतु कराया जा रहा हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रायः परम्परागत शैली में शिक्षण कर रहे हैं जबकि अगामी सत्र का पाठ्य कम परिवर्तित प्रस्तूत किया गया हैं। इसके पूर्व समस्त शिक्षको को विशिष्ट पैकेज के प्रशिक्षण की आवश्यकता वांछित हैं ।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विगत पांच वर्षों में संचालित गतिविधियां</u>

१. विकास खण्ड स्तर पर चयनित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको का जिला संदर्भ समूह (डी०आर०जी०) प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया ।

२. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक,जिला समन्वयकों तथा डायट संकायके प्रवक्ताओ का विजनिंग कार्यशाला आयोजित की गयी ।

३. नेहरू युवा केन्द्र के सदस्य एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रति उत्साही जागरूक चयनित नवयुवको को ग्राम शिक्षा समिति के संदर्भ दाता का प्रशिक्षण दिया गया ।

४. शिक्षक अभिप्रेरण हेतु शिक्षकोदय माड्यूल मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया ।

५. जनपद के समस्त ग्रामशिक्षा समितियों के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण ।

६. आगन वाड़ी कार्यकत्रियो का ई०सी०सी०ई० प्रशिक्षण ।

७. जनपद मे नियुक्त समस्त ब्लाक समन्वयक,सह–समन्वयक, न्यायपंचायत प्रभारियों के कार्यो एवं दायित्व बोध का प्रशिक्षण ।

८. तीन दिवसीय सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला आयोजित की गयी ।

९. जनपद में बैकल्पिक शिक्षाके अन्तर्गत बालशाला, प्रहर पाठशाला, शिक्षा घर केन्द्रो के अनुदेशकों का प्रशिक्षण ।

१०. जनपद में चयनित अनुदेशकों का ऋषिवैली माडल आधारित प्रशिक्षण ।

११. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय चक (सबल) का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ ।

१२. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण त्रितीय चक (साधन) का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया ।

१३. शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन कार्यशाला ब्लाक समन्वयक , एन०पी०आर०सी० प्रभारियों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियो, प्रतिउपविद्यालय निरीक्षकों का सम्पन्न कराया गया ।

१४. जपवद के दो विकास खण्डो मे समेकित शिक्षा का पांच दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न ।

१५. सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री का मेला एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० तथा डायट स्तर पर आयोजित किया गया ।

१६. विद्यालयों, एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० के श्रेणी करण का कार्य किया जा रहा है ।

<u>प्राथमिक विद्यालय के पूर्व कीशिक्षा</u>–प्राथमिक शिक्षा के पूर्व बच्चों को विद्यालय आने योग्य बनाने के लिये जनपद मे शिशु शिक्षा केन्द्रों को संचालित किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद मे ७०८ आगनवाड़ी केन्द्रों में से २०० ई०सी०सी० ई० केन्द्रों का चयनकिया गया है जिसमे प्रथम चक में चयनित विकास खण्ड चोपन में 40, बभनी में28, नगवां में 21 शिशु शिक्षा केन्द्रों का चयन किया गया ।द्वितीय चक मे चयनीत विकास खण्ड घोरावल में 67, दुद्धीमे 44 ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का चयन किया गया । चयनित आगनवाणी कार्य कत्रियो का सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया । इन केंद्रो के अनुश्रवण हेतु न्यायपंचायत प्रभारियों को भी डायट मे प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रों को समीप के प्राथमिक विद्यालयो से जोड़ा गया । समय सारिणी में एक रूपता लायी गयी । आगन वाड़ी कार्यकत्रियों को रूपया 250/. तथा सहायिकाओ को रूप्या 125/.मानदेय के रूप में प्रत्येक माह दिया जाता है । अभिमुखी करण प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीया पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिये खेल सामग्री उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रूपया 5000 प्रथम वर्ष मे तथा आकस्मिक ब्यय हेतु रूपया 1500 दिया जाता है । शिशु शिक्षा केंद्रो के पर्यवेक्षण हेतु प्रधानाध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति को जोड़ा गया है ।

ई०सी०सी०ई० केंद्रो के संचालन से निम्नलिखित लाभ हुआ –

१. प्राथमिक शिक्षाके प्रति बच्चों की रूचि बढ़ी ।

२. विद्यालयो मे बच्चों का ठहराव बढ़ा ।

३. बालक एवं बालिकाओ के नामांकन में बृद्धि हुई ।

४. विद्यालय के छात्र संख्या मे बृद्धि हुई ।

५. जो बच्चे विद्यालय नही आते थे वे आने लगे ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद सोनभद्र के बिकास खण्ड रावर्ट्सगंज, चतरा, म्योरपुर, में भी ई०सी०सी०ठ० केन्द्रो को खोले जाने की आवश्यता है । बल्कि स्कूल पूर्व शिक्षा को बल दिया जाये । समस्त आगन वाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी० ई० से जोड़ा जाय । ई०सी०सी०ई० केन्दों का माड्यूल डायट मेन्टर्स से बनवाया जाय तथा अनुश्रवण एन०पी०आर०सी० प्रभारी बी०आर०सी०समन्वयक ,सह समन्वयक प्रति उपविद्यालय, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट मेन्टर्स द्वारा अपने अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत किया जाय । जिसकी रिपोर्ट डायट प्राचार्य एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाय । माड्यूल की रूप रेखा सीमेट इलाहाबाद व एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा सम्यक रूप से डायट को उपलब्ध कराया जाय । माड्यूल मे प्रशिक्षण का समय सात दिन रखा जाय ।

<u>समुदाय से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम</u> –

६. ग्राम शिक्षा समिति – शिक्षा सार्वजनी करण करने के लिये ग्राम शिक्षा समिति का सर्वप्रथम गठन 1972 में किया गया । बर्तमान समय में ग्राम शिक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य है जिनका चयन प्रतिवर्ष होता है ।

(अ) ग्राम सभा का प्रधान – अध्यक्ष

(ब) परिषदीय प्रा०वि० के प्रधानाध्यापक, एक से अधिक स्कूल होने पर वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक इस समिति का सचिव होगा ।

(स) प्रा०वि० में पढ़ने वाली अनुसुचित जाति की बालिका की मॉ ग्राम शिक्षा समिति की सदस्य होगी ।

(द) विद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्रके अभिभावक सदस्य होगा ।

(य) विद्यालय मे न्यूनतम अंक पाने वाले छात्रके अभिभावक सदस्य होगा ।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य – ग्राम शिक्षा समिति के कार्य निम्न है –

१. बेसिक विद्यालयो के भवनों में सुधार तथा मरम्मत के सुझाव प्रस्तुत करना ।
२. विद्यालयीय उपकरणों के सुधार मे सुझाव देना।
३. बेसिक विद्यालय का निरीक्षण करना ।
४. शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना ।
५. विद्यालय न आने वाले बच्चों को बिद्यालय आने के लिये प्रेरित करना ।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्य कम संचालित किये जाते है । जैसे विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम बालसभा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2अक्टूबर, बालदिवस आदि जिसमें ग्राम सभाके सदस्यों एवं ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग की जितनी अपेक्षा की जाती है उतना सहयोग नही मिल पाता है । विद्यालयों के मासिक बैठक में भी ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग नही मिलता है । अध्यापको, एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० समन्वयको के मासिक बैठको से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के प्रति अपने दायित्वो का निर्वहन सही ढंग से नही कर पा रही है ।जनपद ललितपुर के एक स्टडी सेज्ञात हुआ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे ग्राम शिक्षा समिति निष्क्रिय है ।

प्रथम चक्र में ग्राम शिक्षा समिति को तीन दिवसीय प्रशिक्षण कराकर उनके दायित्व बोध एवं बिद्यालय के संचालन, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमो मे सहयोग, ग्राम सभा के बच्चों को विद्यालयों में जोड़ने की बात बतायी गयी तथा द्वितीय चक्र के प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति को पुनः दायित्ववोध प्रशिक्षण कराया जा रहा है । इसी प्रकार से आगामी वर्षो में भी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों सहित प्राथमिक शिक्षाके प्रति जागरूक उत्साही नवयुवकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यता है ।

विद्यालय के विकासके लिये माइकोप्लानिंग की रूप रेखा जिसके अन्तर्गत न आने वाले बालक एवं बालिकाओ के कारणो का पता लगाना एवं उनके कारणो को दूर करने का प्रयास किया गया । अभिभावक सम्पर्क, भ्रमण , बैठक डोर टू डोर कार्यक्रम संचालित किये गये जिससे विद्यालय मे

आने वाले बच्चों की संख्या मे बृद्धि हुई । सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय के मानचित्र सम्बंधी विद्यालयमें कार्यकम आयोजित किया जाता है ।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम सभाके सभी सदस्यों का ग्राम सभा में ही दो दिवसीय कार्यशाला घर– घर शिक्षा, अभिभावक अभिप्रेरणात्मक कार्यशाला एन०पी०आर०सी०के माध्यम से डायट के देख रेख में सम्पन्न किया जाना चाहिये । तथा नगरमे भी वार्डो के सदस्यों की नगर शिक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है।

अकादमिक सपोर्ट –

शिक्षको, एन०पी०आर०जी०, बी०आर०जी०,डी०आर०जी०,ए०आर०जी० की बैठको में उठाई गयी शैक्षिक समस्याओका निराकरण किया जाता है शैक्षिक समस्याओ के निराकरण में एन०पी०आर०सी० प्रभारी ,ब्लाक समन्वयक ,सह–समन्वयक ,डायट मेंटर्स तथा सभी जिला समन्वयक विद्यालयो में भ्रमण के समय कक्षा शिक्षण में आ रही कठिनाइयो तथा अनसुलझी कशैक्षिक समस्यो के निराकरण करने का प्रयास करते है । इनके द्वारा पूर्व में बनायी गयी आदर्श पाठ योजना के माध्यम से किया आधारित कक्षा शिक्षण पर बल दिया जा रहा है ।विद्यालयों एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी०की ग्रडिंग में डी व सी पर विशेष ध्यान देकर डी को बी तथा सी को ए मे लाने का प्रयास किया जा रहा है

जनपद मे विकास खण्डवार ग्रेडिंग की स्थिति इस प्रकार है–

ब्लाक समन्वयको की मासिकबैठक अगस्त 2003 की प्राप्त सूचना अनुसार

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	कुल प्रा०वि० की संख्या	विद्यालयो की श्रेणी				
			ए	बी	सी	डी	,
1-	रावर्ट्सगंज	163	66	90	--	7	
2-	चोपन	159	28	102	18	11	
3-	म्योरपुर	134	38	85	05	6	
4-	दुद्धी	92	16	67	07	2	
5-	बभनी	68	23	43	--	1	
6-	चतरा	87	55	30	--	2	
7-	नगवां	75	25	48	--	2	
8-	घोरावल	179	55	120	--	4	
	योग–	957	306	585	30	36	

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम (डी०पी०ई०पी०) –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गत 50 वर्षो मे प्राथमिक शिक्षा का ब्यापक प्रचार प्रसार किया गया । वर्ष 1950-51 में लगभग 27 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । जिनकी संख्या 1996-97 में बढ़कर लगभग 1.85 करोड़ हो गयी है । प्रदेश के लगभग सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् सबसे मुख्य समस्या विद्यालय न आने वाले बच्चों के नामांकन के साथ साथ अध्ययनरत बच्चों को विद्यालयों मे कक्षा 5 तक बनाये रखना और उच्चस्तर की शिक्षा प्रदान करना है । राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शत प्रतिशत नामांकन ,नियमिति उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता मे अभिबृद्धि के उद्देश्य से बाह्य सहायता से प्रदेश के 18 जनपदों – बरेली ,गोंडा, बलरामपुर, शाहजहां, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफूले नगर, लखिमपुर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर , हरदोई, पीलीभीत, महराजगंज, देवरिया,

सोनभद्र तथा ललितपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम (डी०पी०ई०पी०) प्रारम्भ किया गया । बाद में और जनपदो को सम्मिलित किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के लिये चयनित जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत बच्चोंके सम्प्राप्ति स्तर को ज्ञात करने के लिये कराये गये बेस लाइन सर्वे सेप्राप्त निष्कर्षो से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि अधिकांश बच्चों ने न्यूनतम अधिगम स्तरको प्राप्त नही किया है । बालिकाओ तथा अनुसुचित /जनजाती के बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर अपेक्षाकृत और भी कम पाया गया हैं

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत यह उद्देश्य रखागया कि परियोजना अवधि (1997-2002)मे गुणवत्ता विकास के कार्यकम के माध्यम से भाषा तथा गणित की दक्षताओ में 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों की दक्षताओं में 40 प्रतिशत बृद्धि की जायेगी । बालिकाओ व अनुसुचित /जनजाति तथा सामान्य बर्ग के बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर के बर्तमान अन्तर को घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।

अनाकर्षक पाठ्य कम /पाठय पुस्तके, शैक्षिक सामग्री का अभाव तथा अनुकुल शैक्षिक वातावरण की कमी के साथ साथ कक्षा के अन्दर शिक्षण अधिगम प्रकिया के अरूचिपूर्ण तथा अप्रभावी होने कारण प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है । इसकी आवश्यता है कि रूचि पूर्ण शिक्षण विधियों का विकास कर अध्यापको को उनसे अवगत कराया जाय जिससे बच्चो पढ़ने में आनन्दकी अनुभूति कर सकें। बहु कक्षा शिक्षण के लिये नवीन शिक्षण विधियों को अध्यापको द्वारा अपनाया जाय। स्थानीय स्तर पर उपलब्धकम मूल्य कीशैक्षिक सामग्री का निर्माण करके अध्यापको द्वारा इनका प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाय ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण –

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको पांच चक प्रशिक्षण दिये जाने की ब्यवस्था दी गयी । परियोजना अवधि बर्ष 1997 से 31 दिसम्बर से 2002 तक थी । किन्तु अब बढ़कर 2003 तक हो गयी।

प्रथम चक अभिप्रेरण प्रशिक्षण मंजूषा "शिक्षकोदय"–

प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरतशिक्षकों के अभिप्ररण स्तर को सुधारने की आवश्यता थी । शिाक्षकों की आत्मक्षबि को परिष्कृत करना होगा और उनको उनके सामाजिक उत्तर दायित्वो के प्रति संबेदनशील बनना होगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये डी०पी०ई०पी० जनपद के प्राथमिक एवं उच्चप्राथमिक विद्यालयो के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण डायट स्तर पर राज्यस्तर के प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षित किया गया ।

जनपद के प्रशिक्षितटी०ओ०टी० अपने जनपद के प्राथमिक विद्यालय के सेवारत शिक्षको को डायट स्तर पर शिक्षोदय का प्रशिक्षण दस दिवसीय दिया जो आवासीय था । इस प्रशिक्षण मे निम्न विन्दुओ को सम्मिलित किया गया –

१. डी०पी०ई०पी० का परिचय,प्रशिक्षण का स्वरूप ,मस्तिष्क मंथन, संख्या खेल तथा अभियान गीत ।
२. शिक्षा क्या ,क्यों, समाज के विभिन्न बर्गो की शिक्षा के प्रति शोच, नजरी नक्सा प्राथमिक शिक्षा की बाधायें अखबार के पन्ने का अभ्यास लिंग भेद समाज हमें क्या क्या देखने को मिलता है । गोली का अभ्यास तीन आयाम , महिलाओ की स्थिति , पेपर चेन्ज, सम्प्रेषण , आदर्श शिक्षक के भ्रम , प्राथमिक शिक्षा का महत्व बालिका शिक्षा का महत्व मूक अभिनय परम्परागत एवं नवीन शिक्षण विधि नव विन्दु चार लकीर , बच्चे को पहचाने बच्चे कैसे सिखते है बर्ग विभाजन गतिविधि, मकरी का जाल , कार्य योजना प्रतिवेदन आदि विन्दूओ पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा की गयी । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चक शिक्षकोदय प्रशिक्षण जनपद मे प्रभावी रहा । शिक्षक बड़े मनोयोग से आवासी प्रशिक्षण में भाग लेकर प्रशिक्षण सफल बनावे जिसका प्रभाव गांवशहर मे शिक्षित नागरिकों तक चर्चा सुनने का मिल रहा था । प्रथम चक शिक्षक प्रशिक्षण मे कुल 1455 अध्यापक /अध्यापिकाओ ने प्रतिभाग किया ।

शिक्षकोदय का प्रभाव प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों पर पड़ा। वे अपना शिक्षण भी बड़े रूचि एवं खेल विधि से बच्चो को दे रहे है । शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को कमसे कम तीन चारदिन अवश्य होना चाहिये । क्योकि प्रतिवर्ष नये अध्यापकों की नियुक्ति होती है और प्रशिक्षित शिक्षक भी अपने कार्य में लापरवाही कर देते है । प्राथमिक विद्यालय की तरह उच्चप्राथमिक विद्यालय शिक्षको को भी दस दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता का विकास हो सके ।

प्रथम चक शिक्षक प्रशिक्षक में विकास खण्डवार प्रतिभागी अध्यापकों की सूचि –

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1-	रावर्ट्सगंज	88	08	96	96	111	207
2-	घोरावल	87	04	91	117	61	178
3-	चतरा	48	---	48	29	26	55
4-	नगवां	32	--	32	57	10	67
5-	चेपन	59	04	63	161	04	165
6-	दुद्धी	41	06	47	54	30	84
7-	म्योरपुर	49	08	57	96	77	173
8-	बभनी	24	--	24	63	05	68
	योग–	428	30	458	673	324	997

<u>प्रथम चक के शिक्षक प्रशिक्षक का विद्यालयीय अनुश्रवण –</u>

जनपद के समस्त न्यायपंचायत प्रभारियों द्वारा अपने अपने न्यायपंचायत के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जाकर शिक्षण कार्य करते हुए अनुश्रवण कार्य किया तथा उभरी हुई शैक्षिक समस्याओ का समाधान किया गया । इसी प्रकार से ब्लाक समन्वयक सह–समन्वयक , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , प्रतिउपविद्यालय निरीक्षक , जिला समन्वयक , डायटमेन्टर्स , विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य डायट द्वारा कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण किया गया ।

<u>द्वितीय चक शिक्षक प्रशिक्षण सबल</u> –

शिक्षक प्रशिक्षण के प्रथम चक के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक –शिक्षिकाओ को अभिप्रेरीत कर उनकी छवि को परिष्कृत कर सकारात्मक परिवर्तन एवं सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाना था । कक्षा का वातावरण अधिक प्राण वान बनाने और अपेक्षाकृत कम सुविधा सम्पन्न बच्चों खासकर बालिकाओ के लिये भी उदार एवं ग्राह्य बनाने की दिशामें प्रयत्न किया गया था क्योकि शिक्षक एक साथ कई कक्षाये सभालते है बच्चोंमे दक्षताओ और कौशलो का विकास करने लिये कौन से तरिके और सामग्री प्रयोग करना नही जानते इसी कम मे प्रशिक्षण का द्वितीय चक आयोजित किया गया। यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि शिक्षक सचमुच कार्यकरना चाहते है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे किसी कक्षा के लिये निर्धारित भाषा व गणित विषय को उस सीमा तक नही सीख पाते जितना उन्हें सिखना चाहिये । सीखने के कारण में स्कूल का वातावरण, पाठ्य कम एवं पुस्तकें, सहायक शिक्षण सामग्री सीखने सीखाने के समय एवं शिक्षक की भूमिका आदि है । इन समस्त कारणों को ध्यान में रखतें हुए गुणवत्तापरक शिक्षाको लक्ष्य बनाकर विभिन्न उपाय डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत किये जा रहे है ।

द्वितीय चक शिक्षक प्रशिक्षक में विकास खण्डवार प्रतिभागी अध्यापकों की सूचि –

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	प्रधानाध्यापक	सहायक अध्यापक	योग
1-	रावर्ट्सगंज	69	189	358
2-	घोरावल	63	186	249
3-	चतरा	37	74	111
4-	नगवा	22	64	86
5-	चेपन	59	157	216
6-	दुद्धी	33	73	106
7-	म्योरपुर	51	167	218
8-	बभनी	16	51	67
	योग–	350	961	1311

द्वितीय चक शिक्षक प्रशिक्षण में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या –1311
द्वितीय चक सबल के प्रशिक्षण में निम्नलिखित विन्दुओं पर चर्चा परिचर्चा करते प्रशिक्षण कराया गया ।
१. बच्चों के बारे में
२. सीखने की प्रकिया
३. शिक्षक के बारे में
४. गतिविधि
५. सामग्री
६. भाषा
७. गणित
८. पर्यावरणीय अध्ययन
९. अनचाहे सन्देश
१०. विद्यालय विकास
११. प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन

द्वितीय चक का प्रशिक्षण परिषदीय विद्यालय के समस्त अध्यापकों का विकासखण्ड स्तर पर आठ दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ब्लाक समन्वयकों ने डायट के निर्देशन में सम्पन्न कराया गया । प्रत्येक विकासखण्ड स्तर प्रशिक्षण का आयोजन होने से शिक्षकों को कठिनाइयों का अनुभव नही हुआ क्यों की अपने अपने विद्यालय से प्रशिक्षण केन्द्र की दूरी कम थी । दस प्रतिशत शिक्षकों की ही दूरी कम थी क्यों की जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति अन्य जनपद से भिन्न हैं । अतः अध्यापक प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर ही कराया जाना चाहिए। परिस्थित के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यक है । प्रशिक्षण का कार्य टी०ओ०टी० ने सम्पन्न किया । प्रशिक्षण का अनुश्रवण सभी जिला समन्वयक,डायट से नियुक्त मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक एवं राज्य संदर्भ के सदस्यों ने किया । द्वितीय चक शिक्षक प्रशिक्षण उच्चप्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी दिया जाना आवश्यक है ।

<u>टी०ओ०टी० का चयन एवं प्रशिक्षण –</u>

टी०ओ०टी० का चयन प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कराकर पुनः सभी विकास खण्डो से **20-20** चयनित प्रतिभागियों को डायट स्तर पर पुनः एक प्रतियोगिता कराकर प्रत्येक विकास खण्ड से **5-5** प्रतिभागियो का चयन किया गया। जिसमे महिला पुरूष शिक्षकों की भागीदारी रही । जनपद के चयनित टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर निर्धारित केन्द्रों पर राज्य संदर्भ समुह के सदस्यों द्वारा दिया गया था ।

द्वितीय चक्र के शिक्षक प्रशिक्षण का विद्यालयीय अनुश्रवण –

प्रथम चक की भांति द्वितीय चक पशिक्षणोंपरान्त न्यायपंयत प्रभारी, ब्लाक समन्वयक, ब्लाक सह समन्वयक, समस्त जिला समन्वयक, डायट मेन्टर्स सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिउपविद्यालय निरीक्षक , विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य डायट ने विद्यालयेा का अनुश्रवण किया ।शैक्षिक सम्स्याओ का निराकरण किया गया ।

समेकित शिक्षा –

जनपद सोनभद्र में दो विकास खण्ड चतरा व रावर्ट्सगंज में पांच दिवसीय समेकित शिक्षा प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको को दिया गया । इस प्रशिक्षण मे विकलांगता के प्रकार तथा उनके श्रेणियों के बारे मे बताया गया । यह भी बताया गया कि विशिष्ट प्रकारके बालको को सामान्य प्रकार के बालको को कैसे बैठायेगे । किस प्रकार से शिक्षा देगे तथा गम्भीर बालकों को बिकलांगता शिक्षण केन्द्रो पर भेजने बिषय में बताया गया ।

तृतीय चक शिक्षक प्रशिक्षक साधन–

तृतीय चक शिक्षक प्रशिक्षक साधन जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो के सभी अध्यापकों का आठ दिवसीय गैर आवासीय विकेन्द्रीकृत ब्लाक स्तर पर डायट के निर्देशन में सम्पन्न किया गया । टी०ओ०टी० की चयन प्रकिया एवं प्रशिक्षण पूर्ववत रहा द्वितीस वक प्रशिक्षण में सिखने सिखाने की प्रकिया , विषयो कीजानकारी , गतिबिधि, बच्चे के बारे में समझ आदि विषयों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गयी । तृतीय चक शिक्षक प्रशिक्षण में **1237** अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया गया ।

तृतीय चक शिक्षक प्रशिक्षण में नविन पाठ्य पुस्तकों पर आधरित शिक्षक संदर्शिकाओं के माध्यम से किया आधारित पाठय योजना बना कर शिक्षकों को कक्षा शिक्षण कराया गया । इसके अतरिक्त निम्नलिखित विन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी।

- प्रथम चक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकोदय के प्रमुखअंश की पुनरावृतित्त की गयी।
- द्वितीय चक शिक्षक प्रशिक्षण सबल के प्रमुख विन्दुओं पर पुनारावृतित्त करायी गयी।
- नवीन पाठय पुस्तकों का समान्य परिचय एंव उपयोग विधि ।
- गतिविधियों द्वारा पाठय वस्तु को रोचक बनाने के तरीकों पर बल दिया गया।
- बहुद्देश्यी शिक्षण अधिगम सामग्री (टी०एल०एम०)
- बहुकक्षा / बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण ।
- समय प्रबन्ध
- समेकित शिक्षा
- विद्यालय का मुल्यांकन एंव श्रेणीकरण ।
- सीखने का मुल्यांकन ।
- कहानी प्रकार कहने के तरीके आदि
- सुलेख –क्या क्यों कैसे।
- वर्तनी में अशुद्धियां।
- साप्ताहिक समय सारणी।

डायट मेन्टर्स ब्लाक समन्वयकों न्याय पंचायत प्रभारीयों तथा प्राथमिक शिक्षकों की बैठक से ज्ञात हुआ की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को इसी प्रकार के प्रशिक्षण की निरन्तरता बनाये रखने की आत्श्यकता हैं साथ ही परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को भी यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण साधन तृतीय चक में विकास खण्डवार प्रशिक्षित अध्यापकों की सूची इस प्रकार हैं ।

तृतीय चक शिक्षक प्रशिक्षण 2001

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक		
		पु०	महिला	योग	पु०	महिला	योग
१	रावर्ट्सगंज	59	8	67	85	104	189
	धोरावल	60	5	65	108	58	166
३	चतरा	31	--	31	27	26	53
4	नगवां	22	--	22	55	4	59
५	घोपन	42	10	52	84	55	139
६	दुद्धी	24	6	30	39	27	66
७	म्योरपुर	41	9	50	104	81	185
८	बभनी	17	0	17	42	4	46
	योग	296	38	334	544	359	903

तृतीय चक में कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 1237 हैं ।

डी०पी०ई०पी० योजना अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चक द्वितीय चक एंव तृतीय चक का विद्यालयों में प्रभाव –

प्रथम चक के प्रशिक्षण से प्राथमिक शिक्षको में पूर्व की अपेक्षा अपने कार्य एंव दायित्व के प्रति जागरुकता पायी गयी । बच्चों के प्रति शिक्षकों में समक्ष विकासित हुई । सीखने सीखाने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझने व समझाने के प्रति संवेदनशील देखे गये । शिक्षण कार्य में बच्चों की सकियता एंव भागीदारी बढी हुई दिखायी दी । कक्षा में वातावरण जिज्ञासा परक व सिखने के प्रति बच्चों मे ललक थी । शिक्षण कार्य को प्रभावशाली रोचक व सरल ग्राह्य करने हेतु सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता समझी गयी ।

द्वितीय चक प्रशिक्षणों परान्त प्राथमिक शिक्षक अपने अपने विद्यालयों जाकर शिक्षण के प्रति अच्छे विचार बनाकर शिक्षण कार्य मे लग गये जो शैक्षिक कठिनाइया आती है उसे न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र की मासिक बैठक मे एन०पी०आर०जी० के सदस्यों द्वारा समाधान किया जाता है । शिक्षक के शिक्षण कार्य से यह ज्ञात हुआ है कि शिक्षक पहले की अपेक्षा ज्यादा सकिय होगये है विद्यालय में बच्चों की संख्या में बृद्धि हुई है । कुछ न कुछ बच्चे भी विद्यालय में कार्य करते देखे गये । अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों को कक्षा मानीटर के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधि करा रहे है ।

तृतीय चक के शिक्षक प्रशिक्षण के बाद गतिविधि आधारित सहायक शिक्षण सामगी के माध्यमसे शिक्षक संदर्सिका पर आधारित पाठ्य योजना तैयार कर शिक्षक शिक्षिकायें शिक्षण कार्य में पूर्ण मनोयोग से कार्य करती पायी गयी । अनुश्रवण व शैक्षिक सपोर्ट में लगे हुए सभी जिला समन्वयक, डायट मेन्टर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिउपविद्यालय निरीक्षक ब्लाक समन्वयकों, सह–समन्वयकों तथा एन०पी०आर०सी० प्रभारियों द्वारा ज्ञात हुआ ।

१– चतुर्थ चक शिक्षक प्रशिक्षण (रोस्टर प्रशिक्षण) – वर्ष 2002-03 में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों को न्याय पंचायत वार रोस्टर प्रशिक्षण कराया गया ।

२– गुणवत्ता क्षमता संवर्द्धन एंव सतत व्यापक मूल्यांकन कार्यशाला – चार विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यपाकों को तीन दिन गुणवत्ता क्षमाता संवर्द्धन एंव दो दिन सतत व्यापक मूल्यांकन आयोजन किया गया।

३–राज्य स्तरीयें शैक्षिक स्पोर्ट कार्यशाला – डी०पी०ई०पी० द्वितीय के अन्तर्गत २२ जपनदों का कमशः दो चक १२ से १४ मई २००३ तक ११ जनपद तथा १५ से १७ मई २००३ तक ११ जनपदों के प्राचार्य , प्रवक्ता , मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक , वि०बे०शि०अधिकारी, उप बे०शि०अधि० , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , ब्लाक समन्वयक / न्याय पंचायत प्रभारी कुल ८ प्रतिभागि प्रत्येक जनपद से प्रतिभाग किये।

४–शिक्षा मित्रों का ३० दिवसीय प्रशिक्षण – जनपद के कुल १०४६ के सापेक्ष ६०० शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया हैं। शेष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जायेंगे। ४५१ शिक्षा मित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया।

५–वैकलपिक शिक्षा के अन्तर्गत आचार्य जी का प्रशिक्षण – डायट में कुल ६२ आचार्यों को ३० दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।

६–ऋषि वैलि माडल आधारित प्रशिक्षण – डायट स्तर पर कुल ३० अनुदेशकों का १० दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।

७–शिक्षाघर व बालशाला अनुदेशकों का प्रशिक्षण – डायट में कुल ३० अनुदेशकों का १५ दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

८–शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण / प्रदर्शनीय कार्यशाला – जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यपकों को प्रत्येक वर्ष मिले रु०५०० से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कराकर विद्यालय वार , न्याय पंचायत वार ब्लाक वार जनपद में डायट स्तर पर चयनित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण / प्रदर्शनीय कार्यशाला को आयोजन किया जाता हैं।

९–डायट स्तर पर लेखा सम्बन्धी प्रशिक्षण बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का २ दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

१०–जनपद में J.R.M. द्वारा दिनांक १७ से १९ नवम्बर २००२ में भ्रमण किया गया भ्रमण के अन्तर्गत VEC , वै०शि० केन्द्रों , समेकित शिक्षा , बालिका शिक्षा तथा विद्यालयों में जा कर बच्चों का सम्प्राप्ति का आकलन किया गया । जनपद में चल रहें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एन०पी०आर०सी० , बी०आर०सी० , डायट स्तर पर अनुश्रवण किया गया।

<u>आवश्यक प्रशिक्षण हेतु सुझाव</u>–

प्रशिक्षण–प्राथमिक स्तर पर –

१. परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनकी शैक्षिक योग्यता जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल हो उनको अलग से विषय के प्रति समझ विकसित करने हेतु पांच दिवसीय डायट स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण देना आवश्यक है । इनके प्रशिक्षण के लिए डायट स्तर पर माड्यूल तैयार किया जायेगा । डायट के प्रवक्ता /राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट				स्नातक				परास्नातक			
		प्रा०	उ०प्रा०	प्रा०	उ० प्रा०	प्रा०		उ०प्रा०		प्रा०		उ०प्रा०		प्रा०		स०प्रा०	
						प्र० अ०	स० अ०	प्र० अ०	स० अ०	प्र० अ०	स० अ०	प्र० अ०	स० अ०	प्र० अ०	स० अ०	प्र०अ०	स०
	म्योरपुर	16	--	14	--	--	103	--	15	2	60	--	7	--	18	--	5
2	चोपन	11	--	23	--	2	97	--	26	1	40	--	8	--	7	--	4
3	चतरा	6	1	15	--	8	32	--	14	--	7	--	4	--	3	--	3
4	रावर्ट्सगंज	9	--	38	--	3	101	--	29	--	63	--	9	--	29	--	3
5	बभनी	8	--	7	--	--	22	--	8	--	12	--	--	--	5	--	1
6	नगवा	4	1	15	2	--	26	--	10	--	15	--	3	--	6	--	1
7	घोरावल	11	--	26	--	--	132	--	40	2	30	--	5	--	14	--	2
8	दुद्धी	11	2	15	1	2	26	--	29	--	26	--	5	--	8	--	3
	योग	67	4	115	3	15	438	--	171	5	253	--	41	--	90	--	22

परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक प्रधानाध्यापकों का प्रबन्धकीय व दायित्व बोध प्रशिक्षण –

जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधनाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं को पांच दिवसीय प्रशिक्षण जिनमें समय सारिणी निर्माण , पंजीकाओं/अभिलेखों का अभिलेखिकरण , समय प्रबन्धन /विद्यालय संचालन व प्रबन्धकीय (ग्राम शिक्षा समिति) गांव के शिक्षा के प्रति जागरूक लोगों की बैठकों का आयोजन , नियोजन , कियान्वयन आदि के बारे में समाहित माड्यूल जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान तैयार कर ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ता एंव चयनित प्रशिक्षकों द्वारा दिया जायेगा।

महिला अभिप्रेरण प्रशिक्षण –

परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला प्रधानाध्यापिका/महिला सहायक अध्यापिकाओं का तीन दिवसीय महिला अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जायेगा । जिसमें विद्यालय आने वाली बालिकाओं को अपने कर्तबय के प्रति जागरूक करने , उपस्थिति को बढाने , शिक्षण कार्य में तन्मयता लानें के लिये प्रेरित किया जायेगा।

सामग्री– प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डी०पी०ई०पी० योजना के तहत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन , नियोजन , फालोउप के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्य में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सभी बलाक बालिकाओं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया । प्रत्येक विद्यालय को पुस्तक से सम्बन्धी शिक्षक सन्दर्शिका निर्माण करा कर प्रस्तुत किया गया । जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों (प्रधानाध्यापक / सहायक अधयापक) को रु० पांच सौ प्रति वर्ष सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण के लिये दिया जा रहा हैं साथ ही विद्यालय के सौन्दर्यीकरण लिये प्रत्येक विद्यालय को रु० दो हजार तथा पांच हजार विद्यालय अवस्थापना के लिये प्रति वर्ष दिया जा रहा हैं । यह कार्यक्रम विद्यालयों में निरन्तर चलने की आवश्यकता हैं ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी प्रति वर्ष सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण के लिये रु० 500 सौ तथा विद्यालय के सौन्दर्यीकरण लिये प्रत्येक विद्यालय को रु० दो हजार तथा पांच हजार विद्यालय अवस्थापना के लिये प्रति वर्ष दिया जाना आवश्यक होगा । परिषदीय उच्च

प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बालक बालिकाओं को गणवेश , निःशुल्क पाठय पुस्तकें दिया जाना आवश्यक हैं ।

किशोरी बालिकाओं के समस्याओं के बारे में –

बालिकाओं की शिक्षा को उपर उठाने के लिये उन्हें बालकों के समय शिक्षा की व्यवस्था करने में शिक्षा विभाग प्रयासरत है । किन्तु किशोरी बालिकाओं के साथ हिंसात्मक प्रवृति बढती जा रही हैं ।जैसे समाज में उनके साथ कौन–कौन लोग हिंसा में शामिल हो सकते हैं ।

- सगे रिस्तेदार
- मित्र
- पड़ोसी
- घर परिवार
- विद्यालय के बच्चे
- विद्यालय के शिक्षक
- अन्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य सन्दर्भ समूह की टीम बनाकर किशोरी बालिकाओं के साथ हो रहे दुव्यवहार को दूर करने के लिये उपाय खोजने की योजना बनाना आवश्यक हैं जिससे उन्हें भी स्वतंत्र रूप से पढनें एंव कार्य करने का अवसर मिलें । उसमें लिप्त एंव दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की आवश्यकता हैं ।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से दस ऐसे महिलाओं का चयन करके जो प्राथमिक शिक्षा , बालिका शिक्षा एंव जो ग्राम पंचायत की महिला सदस्य हो जिनके बच्चें विद्यालय में पढ़तें हो ,जो उस ग्राम में उच्च योग्यता रखती हो को शामिल करके , जिनकी उम्र 18 वर्ष से उपर हो ब्लाक स्तर पर महिला जागरूकता कार्यशाला डायट के निर्देशन में कराया जाना चाहिये ।

डायट द्वारा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण "साधन" के बाद नवाचार प्रयोग –

१. दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2001 को डायट प्राचार्य द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षको को पांच–पांच पाठ योजना बनाकर सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुये प्रत्येक अध्यापक को हिन्दी , गणित , विज्ञान , सा०अध्ययन विषयों में तीन दिन लगाातार कक्षा शिक्षण करने को निर्देशित किया गया था । इसमें प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन 5 पाठ योजना तैयार कर शिक्षण करना अनिवार्य रहा । जिसका अनुश्रवण डायट मेन्टर्स ,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , प्रति उ०वि०निरीक्षक , ब्लाक समन्वयक , ब्लाक सह–समन्वयक , न्याय पंचायत प्रभारी किये।

२. जनपद में विकासखण्ड के समस्त ब्लाक समन्वयकों की बैठक में निर्देशन के साथ –साथ कियात्मक रूपों सहित सलाह दी गयी कि कक्षा 5 के छात्रों को प्रत्येक शनिवार को 3 शब्द दें। उन शब्दों पर छात्र पांच–पांच पंक्तियां लिखकर लायें । ये शब्द से आरम्भ करें जैसे कलम , किताब , किसान इत्यादि दें। शब्द विद्यार्थी के परिचित होना आवश्यक हैं । क के बाद ख से प्रारम्भ करें । इसी कम को बढाते हुये ज्ञ तक कराना है । विद्यार्थियों के वाक्य उचित न होने की दशा में शिक्षक स्वयं उन्हें लिखा दे ।

द्वितीय चक्र में शब्द देकर छात्रों को पांच या दस वाक्य मौखिक बोले या कुशलता विकसित कराना हैं ।

छात्रवृत्ति / पोषाहार– जनपद के बच्चों में छात्रवृति/पोषाहार का वितरण प्रत्येक वर्ष किया जाता हैं इससे- नामांकन व ठहराव में वृद्धि हुई हैं पोषाहार उन्ही बच्चों को दिया जाता हैं जिनकी उपस्थिति 80% तक होती है इससे बच्चों एंव अभिभावकों में विद्यालय में ठहराव का भावना विकसित हुई हैं । छात्रवृति उन गरीब बच्चों में वितरित की जाती हैं । जिनके अभिभावकों की मासिक आय गरीबी रेखा से कम होती हैं । अनुत्तिर्ण एंव परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों को छात्रवृति का लाभ नही प्राप्त होती हैं । जिसके कारण बच्चों में

प्रतियोगिता एंव प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती हैं अस्तु छात्रवृति व पोषाहार को आगामी वर्षो में भी वितरित किये जाने की आवश्यकता हैं ।

बेस लाइन सर्वेक्षण (1997) , मध्यावधि सर्वेक्षण (2000) तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण २००३ में भाषा में कक्षा 1 के छात्रों की उपलब्धि के अन्तरों की श्रेणीवार तुलना –

सर्वेक्षण	अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति			अन्य वर्ग				
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	मध्यमान अन्तर एस०सी०/एस० टी०	कांतिक मान
बी०ए०एस	280	44.75	30.21	90	54.7	32.13	9.95	3.67
एम०ए०एस०	336	52.5	31.8	126	62.3	25.6	9.80	3.10
टी०ए०एस०	404	89.29	10.92	96	90.63	11.73	1.34	1.06

बेस लाइन सर्वेक्षण (1997) , मध्यावधि सर्वेक्षण (2000) तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण २००३ में गणित में कक्षा 1 के छात्रों की उपलब्धि के अन्तरों की श्रेणीवार तुलना –

सर्वेक्षण	अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति			अन्य वर्ग				
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	मध्यमान अन्तर एस०सी०/एस० टी०	कांतिक मान
बी०ए०एस	280	40.5	26.53	90	57.7	28.45	16.57	5.5
एम०ए०एस०	336	59.9	30.2	126	71.3	25.6	11.40	3.75
टी०ए०एस०	404	87.12	14.15	96	91.82	11.86	4.70	2.94

बेस लाइन सर्वेक्षण (1997) और मध्यावधि सर्वेक्षण (2000) तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण २००३ में भाषा में कक्षा 5 के छात्रों की उपलब्धि के अन्तरों की श्रेणीवार तुलना –

सर्वेक्षण	अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति			अन्य वर्ग				
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	मध्यमान अन्तर एस०सी०/एस० टी०	कांतिक मान
बी०ए०एस	168	42.66	9.92	102	43.33	11.41	0.67	.51
एम०ए०एस०	227	44.4	10.2	110	46.2	12.2	1.8	1.42
टी०ए०एस०	408	69.90	17.13	111	74.68	17.15	4.78	0.49

बेस लाइन सर्वेक्षण (1997) और मध्यावधि सर्वेक्षण (2000) तथा अंतिम मूल्यांकन सर्वेक्षण २००३ में गणित में कक्षा 5 के छात्रों की उपलब्धि के अन्तरों की श्रेणीवार तुलना –

सर्वेक्षण	अनुसूचित जाति / अनु०जनजाति			अन्य वर्ग				
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मनक विचलन	मध्यमान अन्तर एस०सी० / एस०टी०	कांतिक मान
बी०ए०एस	168	32.72	10.8	1.2	32.4	12.42	0.32	0.22
एम०ए०एस०	227	17.3	4.7	110	45.8	12.5	28.5	30.13
टी०ए०एस०	408	67.78	17.10	111	71.42	18.35	3.64	1.95

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गतिविधियां (प्रस्तावित कार्य योजना) –

सर्वशिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक स्पष्ट समय बद्ध कार्यक्रम हैं । सभी 6-14 वर्ष वर्ग के बच्चों की क्षमता विकास के अवसर सुलभ कराना हैं । लिंग तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर तक 2007 तक एंव उच्च प्राथमिक स्तर तक 2010 तक करना हैं । सभी बालक बालिकाओं को 2003 तक औपचारिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन सुनिश्चित कराना हैं एस०एम०ए० भारत के सभी राज्यों में प्रस्तावित हैं । केन्द्र , राज्य तथा स्थानीय निकाओं के बीच गठबन्धन स्थापित करना हैं । केन्द्र तथा राज्य के वित्तीय मानक इस प्रकार हैं –

योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य अंशदान
नवी	1997-2002	85:15
दशवी	2002-2007	75:25
ग्यारहवी	2007-2012	50:50

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य अध्याय में उल्लेखित है एस०एस०ए० के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का अपना विजन विकसित करने का राज्यों की अवसर प्रदान करना हैं । जनपद सोनभद्र में विजन विकसित करने के लिये डायट स्तर , ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर एंव करने के लिये डायट स्तर ब्लाक संसाधन स्तर , न्याय पंचायत स्तर एंव स्कूल स्तर पर तरह तरह के प्रशिक्षण एंव कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे।

सर्व षिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–07 तक प्रस्तावित कार्यक्रम

प्राथमिक विद्यालय के षिक्षकों के लिए कार्यक्रम–

वर्ष 2002–2003

1– अवषेष षिक्षा मित्र का आधार भूत प्रषिक्षण डायट पर किया जायेगा।

2–षिक्षा मित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रषिक्षण डायट स्तर पर किया जायेगा।

3–टी०एल०एम० विद्यालय , न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर निर्माण कराकर प्रदर्षनी लगयी जायेगी। प्रत्येक विकास खण्ड सें दो विद्यालय के अध्यापकों को चयनित कर डायट स्तर पर प्रदर्षनी लगयी जायेगी । तथा दो विद्यालय के अध्यापकों को प्रथम एंव द्वितीय पुरष्कार दिया जायेगा।

4–जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यपक का सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रषिक्षण तीन दिसीय डायट पर सम्पन्न किया जायेगा।

वर्ष 2003–2004

1–षैक्षिक मुद्दों के संकलन हेतु डायट पर बी०आर०सी० , ए०बी०आर०सी० तथा न्याय पंचायत प्रभारीयों की 2 दिवसीय कार्यषाला का आयोजन किया जायेगा।

2–अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के प्रषिक्षण हेतु डायट पर मास्टर टेनर्स का प्रषिक्षण सम्पन्न किया जायेगा । तत्ष्चात विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का अंग्रेजी व संस्कृत विषय का प्रषिक्षण कराया जायेगा।

3– टी0एल0एम0 निर्माण कार्यशाला विद्यालय , न्याय पंचायत एंव विकास खण्ड स्तर पर कराया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड सें दो विद्यालय के अध्यापकों को चयनित कर डायट स्तर पर प्रदर्शनी लगयी जायेगी । तथा दो विद्यालय के अध्यापकों को प्रथम एंव द्वितीय पुरष्कार दिया जायेगा।

4–छः दिवसीय मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकास खण्ड स्तर आयोजित किया जा रहा हैं।

5–रोस्टर प्रशिक्षण आवश्यकता अनुसार विषय वार न्याय पंचायत स्तर पर कराया जायेगा।

6– शिक्षा मित्र व आचार्य जी का आधारभूत एंव पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा।

7– तीन दिवसीय सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का डायट स्तर सम्पन्न किया जायेगा।

8–वै0शि0 के अन्तर्गत अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट पर सम्पन्न कराया जायेगा।

9–समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण डायट पर मास्टर टेनर्स तैयार कर विकास खण्ड स्तर पर कराया जायेगा।

10–शिक्षक संदर्शिका का प्रशिक्षण (बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0 , ए0बी0आर0सी0) डायट पर सम्पन्न कराया जायेगा।

वर्ष 2004–2005

1–डायट पर दो दिवसीय कहानी निर्माण कार्यशाला बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0 , ए0बी0आर0सी0 समन्वयक का सम्पन्न कराया जायेगा। तत्पश्चात यह कार्यशाला न्याय पंचायत स्तर एक दिवसीय प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापकों का कराया जायेगा।

2–गणित के कठिन प्रश्नों का प्रशिक्षण डायट के निर्देशन में मास्टर टेनर्स तैयार कर न्याय पंचायत स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा।

3–विज्ञान विषय से संबंधि प्रयोगों का एकत्रित करण डायट पर तीन दिवसीय कार्यशाला कराकर किया जायेगा।इसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन किया जायेगा ।

4– संस्कृत एंव अंग्रेजी विषय के अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर सम्पन्न किया जायेगा।

5– टी0एल0एम0 निर्माण कार्यशाला विद्यालय , न्याय पंचायत एंव विकास खण्ड स्तर पर कराया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड सें दो विद्यालय के अध्यापकों को चयनित कर डायट स्तर पर प्रदर्शनी लगयी जायेगी । तथा दो विद्यालय के अध्यापकों को प्रथम एंव द्वितीय पुरष्कार दिया जायेगा। प्रथम एंव द्वितीय पुरष्कार पाने वाले अध्यापकों को पुरष्कार दिया जायेगा।

6–डायट के निर्देशन में जिला समन्वयक प्रशिक्षण के सहयोग से न्याय पंचायत स्तर पर रोस्टर प्रशिक्षण सम्पन्न किया जायेगा।

7–न्याय पंचायत स्तर पर सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यशाला प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। मास्टर टेनर्स डायट स्तर पर तैयार किये जायेंगे।

8–तीन दिवसीय कार्यनुभव कार्यशाला (बी.0आर0.सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 समन्वयक) प्रत्येक विकास खण्ड से तीन के संख्या में प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे।

9–शिक्षा मित्र व आचार्य जी का आधारभूत एंव पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा।

10–वै0शि0 के अन्तर्गत अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट पर सम्पन्न कराया जायेगा।

11–गतिविधि निर्माण एंव नवाचार संबंधि दो दिवसीय कार्यशाला प्रत्येक विकास खण्ड के तीन सदस्य प्रतिभाग करेंगे जिसमें बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 एंव अध्यापक सम्मलित किये जायेंगे।

वर्ष 2005–2006

1–डायट पर तीन दिवसीय तीन चकों में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण SCERT एंव SPO के माध्यम से किया जायेगा।

2–प्राथमिक विद्यालय के समस्त प्र0अ0 (957) का दो दिवसीय समय प्रबन्धन कार्यशाला डायट स्तर पर किया जायेगा।

3–प्रत्येक विकास खण्ड से चार प्रतिभागी (बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आ0सी0 , शिक्षक) ऐव डायट मेण्टर कुल 32 प्रतिभागियों का गतिविधि आधार तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

4–प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक एंव शिक्षा मित्रों का न्याय पंचायत स्तर पर रोस्टर प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–टी0एल0एम0 निर्माण विद्यालय , न्याय पंचायत , विकास खण्ड एंव डायट स्तर पर करके प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

6–डायट पर दो दिवसीय (बी0आर0सी0 , एन0पी0आ0सी0 , शिक्षक, डायट मेण्टर) कुल 15 प्रतिभागियों का टी0एल0एम0 निर्माण कार्यशाला कराया जायेगा।

7–बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों एंव डायट मेण्टरों (कुल 25) प्रतिभागियों का रचनात्मक कार्यशाला कराया जायेगा।

8–नवनियुक्त अध्यापकों का विषयगत प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा।

9–चयनित शिक्षा मित्र /आचार्य का आधार भूत प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा।

10–वैकल्पिक अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा।

11–शिक्षक संदर्शिका का प्रशिक्षण 5 दिवसीय डायट स्तर पर कुल 82 (बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आ0सी0) समन्वयकों को कराया जायेगा।

12–डायट पर डायट मेण्टर द्वारा नवाचार निर्माण कर विद्यालयों में लागू कराना ।

वर्ष 2006–2007

1–डायट पर पांच दिवसीय गणित , विज्ञान ,भाषा , अंग्रेजी , संस्कृत के कठिन सम्बोधों हेतु 15 विषय विशेषज्ञों का प्रशिक्षण करा जायेगा।

2–विषयगत मूल्यों की पहचान हेतु 10 प्रतिभागियों का तीन दिवसीय कार्यशाला डायट पर किया जायेगा।

3–डायट पर प्रत्येक विकास खण्ड से शिक्षकों का 5 दिवसीय शिक्षक संदर्शिका का प्रशिक्षण ।

4–डायट पर जिलाव्यायाम प्रशिक्षक , जिला स्काउट मास्टर , ब्लाक व्यायाम प्रशिक्षक एंव खेलकूद में रुचि रखने वाले अध्यापकों (कुल 20) प्रतिभागियों का तीन दिवसीय कार्यशाला किया जायेगा।

5–रोस्टर प्रशिक्षण में शिक्षक एंव शिक्षामित्र का एक दिवसीय न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कराया जायेगा।

6–डायट पर जनपद के समस्त प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापक का दो दिवसीय कार्यशाला कराया जायेगा।

7–डायट पर चयनित प्रत्येक विकास खण्ड से दो–दो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा एक दिवसीय टी0एल0एम0 प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।

8–चयनित शिक्षा मित्रों /आचार्य जी का आधारभूत प्रशिक्षण डायट पर सम्पन्न किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यकम

वर्ष 2002–2003

1–उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का तीन दिवसीय गुणवत्ता क्षमता सम्वर्द्धन कार्यशाला डायट स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2–उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मिले रु0 500/ से विषयगत एंव पाठगत शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कराकर विद्यालय ,न्याय पंचायत , विकास खण्ड एंव डायट स्तर पर चुने गये विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

3–जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों को तीन दिवसीय नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ योजना निर्माण कार्यशाला डायट पर की जायेगी।

अन्य कार्यकम –

- डायट पर 5 दिवसीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यकम व पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी कार्यशाला समस्त अध्यापकों का सम्पन्न की जायेगी।
- टकादमिक सपोर्ट कार्यशाला तीन दिवसीय समस्त जिला समन्वयक , स0बे0शि0अ0 , प्रति0उपवि0नि0 , डायट मेण्टर , बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को कुल 110 प्रतिभागियों का डायट पर की जायेगी।

वर्ष 2003–2004

1–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तीन दिवसीय विजिनिंग कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी , उप बेसिक शिक्षा अधिकारी , सहायक बेसिक शिक्षा अधि0, प्रति उच्च विद्यालय निरीक्षक , समस्त जिला समन्वयक , डायट मेण्टर्स ,वरिष्ठ प्रवक्ता /प्रवक्ता , बी0आर0सी0 समन्वयक कुल 40 प्रतिभागी होंगे।

2–अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट पर तीन दिवसीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्सत अध्यापकों को दिया जायेगा।

3–उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापाकों का संस्कृत विषय का 10 दिवसीय कार्यशाला डायट पर सम्पन्न होगी। जिसमें 148 प्रतिभागी होंगे।

4–डायट पर उच्च प्रा0वि0 के विज्ञान , गणित , अंग्रेजी विषय के जनपद के समस्त अध्यापकों का 10–10 दिवसीय कार्यशाला की जायेगी। प्रत्येक विषय में 142 प्रतिभागी होंगे। नये उच्च प्रा0वि0 खुले हुए अध्यापाकों को भी सम्मलित किया जायेगा।

5–उच्च प्रा0वि0 के वरिष्ठ अध्यापकों का तीन दिवसीय बहु कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी।

6–विद्यालय के समस्त अध्यापकों से टी0एल0एम0 निर्माण कराकर न्याय पंचायत , विकास खण्ड , तथा डायट स्तर पर चुने हुए अध्यापकों के प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

अन्य कार्यक्रम –

- डायट पर निर्माण किये गये नवाचार उ0प्रा0वि0 में लागू कराया जायेगा।
- शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाला डायट स्तर पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें समस्त जिला समन्वयकों , डायट मेन्टर्स , सहायक बेसिक शिक्षा अधि0, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक , बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों कुल 108 प्रतिभागी दो चक में प्रतिभाग करेंगे।
- डायट संकाय के सदस्यों का अनुश्रवण संबंध समस्या के निदान हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डायट पर किया जायेगा। जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्यों का निवारण किया जायेगा।
- स्टोरी टेलिंग कार्यशाला डायट पर दो दिवसीय की जायेगी। जिसमें बी0आर0सी0 /ए0बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 एंव डायट मेण्टर सहित कुल 90 प्रतिभागी होंगे।
- सूचना निर्माण कार्यशाला दो दिवसीय डायट पर की जायेगी। जिसमें बी0आर0सी0 /ए0बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 सहित कुल 85 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- रिपोर्ट राइटिंग कार्यशाला दो दिवसीय डायट पर की जायेगी। जिसमें बी0आर0सी0 /ए0बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 सहित कुल 85 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- कियात्मक शोध कार्यशाला तीन दिवसीय डायट स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।जिसमें जिसमें बी0आर0सी0 /ए0बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 सहित कुल 85 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी तीन दिवसीय कार्यशाला डायट स्तर पर की जायेगी। जिसमें जिला व्यायाम प्रशिक्षक ,जिला स्काउट मास्टर , ब्लाक व्यायाम प्रशिक्षक एंव शारीरिक शिक्षा में रुचि रखने वाले शिक्षकों सहित कुल 30 प्रतिभागी सम्मलित होंगे।
- नव–नियुक्त बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का कर्तव्य बोध प्रशिक्षण 5 दिवसीय डायट पर की जायेगी।

वर्ष 2004–2005

1–उच्च प्राथमिक विद्यालय के शैक्षिक मुद्दों का संकलन ब्लाक समन्वयक से कराकर डायट पर माहवार एक दिवसीय कार्यशाला मुद्दों के निराकरण के लिए किया जायेगा।जिसमें समस्त ब्लाक समन्वयक एंव डायट मेण्टर सहित कुल 20 प्रतिभागी होंगे।

2–उच्च प्रा0वि0 के मुख्य अध्यापकों (148 प्र0अ0) का 6 दिवसीय कार्यशाला डायट पर की जायेगी। इस प्रशिक्षण का माड्युल राज्य परियोजना कार्यालय , एस0सी0आर0टी0 के सहयोग से डायट पर की जायेगी।

3–समस्त अध्यापकों का तीन दिवसीय बहुकक्षा व बहुस्तरीय प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी।

4–गणित , विज्ञान ,अंग्रेजी , संस्कृत विषय के नये अध्यापकों का 10–10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट पर सम्पन्न होगी।

5–विद्यालय के समस्त अध्यापकों से टी0एल0एम0 निर्माण कराकर न्याय पंचायत , विकास खण्ड तथा डायट स्तर पर चुने हुए अध्यापकों से एक दिवसीय प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

6–समस्त विकास खण्ड से दो–दो उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों से डायअ पर एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

7–उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्र0अ0 का चार दिवसीय नेतृत्व क्षमता कार्यशाला डायट पर की जायेगी। जिसमें 150 प्रतिभागी होंगे।

8–प्रत्येक विकास खण्ड से 4 प्रतिभागी जिसमें ; ब्लाक समन्वयक , न्याय पंचायत प्रभारी , अनुभवी शिक्षक-द्ध कुल 35 प्रतिभागियों की चार दिचसीय गतिविधि आधारित पाठ योजना निर्माण कार्यशाला डायट पर की जायेगी।

अन्य कार्यक्रम –

- विद्यालय के समस्याओं का आकलन सम्बन्धी कार्यशाला तीन दिवसीय डायट पर की जायेगी। जिसमें बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , तथा एन0पी0आर0सी0 , सहित कुल 85 प्रतिभागी सम्मलित होंगे।
- सांख्यिकी विश्लेषण सम्बन्धी दो दिवसीय कार्यशाला डायट पर सम्पन्न होगी।जिसमें समस्त वी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 समन्वयक सहित कुल 85 प्रतिभागी होंगे।
- शैक्षिक सपोर्ट का तीन दिवसीय आवसीय कार्यशाला डायट पर की जायेगी , जिसमें समस्त जिला समप्वयक डायट मेण्टर , बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 , समन्वयक सहित कुल 110 प्रतिभागी होंगे। यह कार्यशाला दो चक्र में होंगी।
- तीन दिवसीय आवसीय कियात्मक शोध प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी। जिसमें समस्त डायट मेण्टर , ब्लाक समन्वयक , तथा न्याय पंचायत प्रभारी कुल 110 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण तीन दिवसीय डायट पर की जायेगी।

वर्ष 2005–2006

1–उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण माड्यूल डायट पर SPO एंव SCERT के सहयोग से डायट पर तैयार किया जायेगा।

2–समस्त उच्च प्रा0वि0 के प्र0अ0 का तीन दिवसीय आवासीय समय प्रबन्धन कार्यशाला डायट पर सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें कुल 150 प्रतिभागी होंगे।

3–प्रत्येक विकास खण्ड से 4 प्रतिभागी (बी0आर0सी0 ,एन0पी0आर0सी0 , शिक्षक) कुल 35 प्रतिभागियों का तीन दिवसीय आवासीय विषयगत गतिविधि निर्माण कार्यशाला की जायेगी।

4–विकास खण्ड स्तर पर एक दिवसीय रोस्टर प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

5–प्रत्येक विद्यालय के समस्त अध्यापकों से टी0एल0एम0 निर्माण कराकर न्याय पंचायत , विकास खण्ड एंव डायट स्तर पर चुने हुए अध्यापकों द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

6–विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों एंव बच्चों की एक–एक दिवसीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता की जायेगी।

7–डायट स्तर पर चुने हुए 25 प्रतिभागियों का दो दिवसीय रचनात्मक कार्यशाला सम्पन्न की जायेगी।

8–उच्च प्रा0वि0 के भूगोल , इतिहास , विषय के अध्यापकों का 5–5 दिवसीय विषयगत प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी । प्रत्येक विषय में कुल 150 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

9–उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षक संदर्शिका का प्रशिक्षण डायट पर चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। जिसमें बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 प्रभारी सहित कुल 90 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जायेगा। तत् पश्चात् न्याय पंचायत स्तर पर यह कार्यशाला करायी जायेगी।

10–उच्च प्रा0वि0 के समस्त प्र0अ0 का तीन दिवसीय आवासीय अभिलेख लेखन व रख–रखाव प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी।जिसमें कुल 150 प्रतिभागी सम्मिलित किये जायेंगे।

11–डायट स्तर पर निर्मित नवाचार का प्रयोग जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू किया जायेगा।

अन्य कार्यक्रम –

- सतत् व्यापक मूल्यांकन एंव अनुश्रवण संबंधी तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी। जिसमें समस्त डायट मेण्टर , स0बे0शि.अधि0 , प्रति उप वि0नि0 , बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 प्रभारी सहित कुल 105 प्रतिभागी दो चक्रों में सम्मिलित होगे।
- सर्वेक्षणत्मक एंव कियात्मक शोध सम्बन्धी तीन दिवसीय आवासीय कार्यालय डायट पर की जायेगी। जिसमें समस्त डायट मेण्टर , बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों सहित कुल 90 प्रतिभागियों को दो चक्र में सम्मिलित किया जायेगा।

- समस्त बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों का तीन दिवसीय आवासीय अभिलेख लेखन व रख–रखाव प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी।जिसमें कुल 95 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

वर्ष 2006–2007

1–उच्च प्राथमिक विद्यालय के विषयगत कठिन सम्बोधों का पहचान हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी। जिसमें कुल 15 प्रतिभागी होंगे।

2–विषयगत मूल्यों की पहचान हेतु तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला डायट पर की जायेगी। जिसमें कुल 15 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

3–नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिका का कार्यशाला चार दिवसीय विषयवार (गणित , विज्ञान , अंग्रेजी , संस्कृत , इतिहास , भूगोल) अध्यापकों का डायट पर दी जायेगी। प्रत्येक विषय में 150 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

4–समस्त विद्यालयों के एक–एक शारीरिक शिक्षा में रुचि रखने वाले अध्यापकों का तीन दिवसीय शारीरिक शिक्षा का आवासीय प्रशिक्षण तीन चक्र में डायट पर की जायेगी। जिसमें लगभग कुल 150 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

5–विकास खण्ड स्तर पर डायट के निर्देशन में एक दिवसीय रोस्टर प्रशिक्षण सम्पन्न की जायेगी।

6–समस्त प्र0अ0 का दो दिवसीय अभिलेख लेखन व रख–रखाव कार्यशाला डायट पर की जायेगी। जिसमें लगभग कुल 150 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

7–समस्त प्र0अ0 का दो दिवसीय आवासीय प्रबन्धन (समय + सूचना) कार्यशाला डायट पर की जायेगी। जिसमें लगभग कुल 150 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

8–समस्त विद्यालय के सभी अध्यापकों का टी0एल0एम0 निर्माण कराकर न्याय पंचायत , विकास खण्ड तथा डायट स्तर पर चुने गये अध्यापकों का टी0एल0एम0 प्रदर्शनी का एक दिवसीय आयोजन किया जायेगा।

9–डायट द्वारा निर्मित नवाचार का प्रयोग समस्त विद्यालयों में की जायेगी।

अन्य कार्यक्रम –

- शारीरिक शिक्षा का माड्यूल निर्माण , कार्यशाला विशेषज्ञों के द्वारा SPO एंव SCERT के निर्देशन में डायट पर कराया जायेगा।
- दक्षता विकास कार्यशाला ४ दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट पर की जायेगी।जिसमें समस्त डायट मेण्टर , बी०आर०सी० , ए०बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० प्रभारी सहित कुल ६० प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- अनुश्रवण / पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यशाला डायट पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दी जायेगी। जिसमें समस्त जिला समन्वयक , डायट मेण्टर , स०बे०शि०अधि० , प्रति उप वि०नि० , बी०आर०सी० , ए०बीआर०सी , एन०पी०आर०सी० प्रभारी सहित कुल ११० प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।
- **तीन दिवसीय सूचना निर्माण कार्यशाला डायट पर की जायेगी।जिसमें बी0आर0सी0 , ए0बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 समन्वयक सहित 85 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।**

विशेष प्रकार के प्रशिक्षण – उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रकार के भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

१. उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण –
   जनपद सोनभद्र के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का विद्यालय प्रबन्ध में समय की प्रबन्धन की उपयोगिता एवं अभिलेखी करण का प्रशिक्षण तीन दिवसीय आयोजित की जायेगी । प्रशिक्षण माड्यूल सीमैट इलाहाबाद में निर्देशन एव सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा ।

२. कम्प्यूटर प्रशिक्षण – सुचनाओ एवं आकड़ों का लेखा जोखा के रिकार्डो को समायोजित करने लिये समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षकों एवं बच्चों को कम्प्यूटर की जानकारी दी जाये। इसके लिये डायट सदस्यों को एक माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाये प्रथम वर्ष में जनपद के दो विकास खण्डो मे पांच –पांच उच्चप्राथमिक विद्यालयों को रेण्डम विधि से चुना जाये । चुने हुए विद्यालयों के एक शिक्षक को एक माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण डायट स्तर पर सम्बन्धित ब्लाकसमन्वयक, सह समन्वयक के साथ कराये जाये । कम्प्यूटर प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट एवं एन०सी०इ०आर०टी० के सहयोग से किया जाये ।

३. जेण्डर सेन्सिटाइजेशन – विद्यालय में बालिकाओ के प्रति व्यवहार में सम्बेदनशीलता लाने एवं सहयोग के लिये जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक एक शिक्षक का चयन करके (जिसमे पुरूष और महिला की भागीदारी हो)डायट स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाये ।

४. अन्य प्रशिक्षण–

१. शिक्षामित्र /आचार्य जी का प्रशिक्षण–डी०पी०ई०पी० सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्ग त चयनित शिक्षा मित्रो एवं आचार्य जी करा तीस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षण सेवारत शिक्षकों को दिया जायेगा वही प्रशिक्षण शिक्षामित्र/आचार्यजी को भी दिया जायेगा ।

२. ई०सी०सी०ई०केन्द्रो के कार्य कत्रियों का प्रशिक्षण – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चयनित ई०सी०सी०ई० केन्द्रो के कार्य कत्रियो का आठदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

३. बैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशको का प्रशिक्षण – सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक व उच्चप्राथमिक विद्यालयों में न पहुचने वाले बालक बालिकाओ के क्षेत्रों को चिन्हांकित कर बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जायेगा ।केन्द्रो के अनुदेशको को सात दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट में दिया जायेगा।

४. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों तथा डायट मेन्टर्स का प्रशिक्षण – जनपद मेंप्राथमिक व उच्चप्राथमिक विद्यालय के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों का नियोजन एवं प्रबन्धन व कियान्वयन में ए०बी०एस०ए०. एस०डी०आई० की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इनको पांच दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास सीमेट द्वारा तथा अनुबोधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा किया जायेगा ।

५. ब्लाक समन्वयक सहसमन्वयक एवं न्यायपंचायत प्रभारियों का प्रशिक्षण– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बी०आ०सी०समन्वयक एवं सहसमन्वयक तथा न्यायपंचायत प्रभारियो द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण व ग्रेडिग का कार्यकिया जा रहा है ।शैक्षिक कठिनाइयों के निराकरणके लिये एन०पी०आर०जी० तथा बी०आर०जी० का सहयोग बैठकों के माध्यम से लिया जा रहा है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की ही तरह उच्चप्राथमिक विद्यालयों का भी अनुश्रवण कराया जायेगा। इसके लिये डायट स्तर पर अकादमीक पर्यवेक्षण हेतु सात दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी । कार्यशाला के प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया जायेगा इसे जनपद के आवश्यकताओके अनुरूप परिवर्तन एवं परिवर्धन डायट प्राचार्य तथा सीमैट के निर्देशन में किया जायेगा ।

६. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त 466 ग्राम शिक्षा समितियो को प्रशिक्षित किया गया । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के कर्तब्य एवं दायित्व का बोध कराने हेतु बी०आर०जी० का प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा । बी०आर०जी० द्वारा अपने अपने विकास खण्डके समस्त ग्राम शिक्षा समितियो को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

सर्वशिक्षा अभियान परियोजना के अन्तर्गत जनपद के अभिकर्मियो का प्रशिक्षण– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के 6-14 वय वर्ग के बच्चों को स्कूल के मुख्य धारा से जोड़ने तथा ड्राप आउट को समाप्त करने एवं गुणवत्ता में बृद्धि तथा नवाचार के लिये डायट, व डी०पी०ओ० स्टाप, का प्रशिक्षण सीमैट द्वारा आयोजित किया जायेगा ।

समय सारिणी – जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड रावर्ट्सगंज, चतरा, चोपन, घोरावल के 150 प्राथमिक विद्यालयों के अनुश्रवण से यह पता चला कि मात्र 100 विद्यालयों मे ही समय सारिणी बनायी गयी है । किन्तु समय सारिणी के अनुसार मात्र 60 विद्यालय के हीअध्यापक शिक्षण कार्यो को समय से कर रहे है ।शेष विद्यालय के अध्यापक समय सारिणी रहते हुए भी नही करते है । जिन 50 विद्यालयो मेंसमय सारिणी नही बनी है वे अपनी इच्छानुसार शिक्षण कार्य कर रहे है । विचार विमर्श से यह ज्ञात हुआ कि एक या दो शिक्षक होने के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान करने के कारण समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य नहीहो पा रहा है ।

इसी प्रकार से दस उच्चप्राथमिक विद्यालयों अनुश्रवण से यह पता चला कि सात विद्यालयों मे तो समय सारिणी बनी हुई है और उसी के अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा है किन्तु शिक्षकों की कमी के कारण पूर्ण रूप से प्रभाव नही है । तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने यह कहा कि बच्चों की संख्या को देखतें हुए शिक्षण कार्य किया जाता है । जिस दिन बच्चे अधिक आते है उस दिन शिक्षण कार्य नही हो पाता है । शिक्षको की मांग है कि उच्चप्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षक अवश्य होने चाहिये ।

एक वर्ष का विवरण

विद्यालय खोलने का कुल लगभग दिन	220 दिन
बाल गणना/जनगणना के दिन कमसे कम	12 दिन
एक शिक्षकीय विद्यालय की स्थिति मासिक बैठक	22 दिन
न्यायपंचायत के मासिक बै ठक मे दिनों की संख्या	11 दिन
शिक्षको के आकस्मिक अवकास के दिनो की संख्या	14 दिन
समुदाय /अभिभावक से सम्पर्क	10 दिन
परीक्षा का दिन	10 दिन
वर्षा क्षेत्रीय मेला/मौसमी फसलके कारण नस्ट हुए दिन	11 दिन
अन्य कार्य –पल्स पोलियो , ग्राम शिक्षा समिति	10 दिन
शिक्षण दिवस के लिये दिनों की संख्या	102 दिन लगभग 17 सप्ताह

प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी – (साप्ताहिक)

कम संख्या	विषय	प्रतिवादन मिनट	वादन
1-	हिन्दी	40	7
2-	गणित	40	8
3-	हमारा समाज	40	8
4-	ज्ञान विज्ञान	40	8
5-	संस्कृत	40	6
6-	अंग्रेजी	40	6
7-	कला	40	2
8-	सारिरीक शिक्षा	40	8
9	कृषि/ गृह विज्ञान	40	2
			कुल 56 बादन

एक दिन में आठ वादन तो एक सप्ताह मे कुल बादन 8x7 =56 बादन

एक वर्ष में कुल वादन 56 x17 =952 बादन लगभग

उच्चप्राथमिक विद्यालय के साप्ताहिक कार्यक्रम –

कम संख्या	विषय	प्रतिवादन मिनट	वादन
1-	हिन्दी	40	8
2-	अंकगणित	40	8
3-	बीजगणित	40	6
4-	विज्ञान	40	8
5-	संस्कृत	40	5
6-	अंग्रेजी	40	7
7-	भूगोल	40	5
8-	इतिहास	40	5
9	कला	40	3
10-	पी० टी०	40	6
			कुल 56 बादन

एक दिन में आठ वादन तो एक सप्ताह मे कुल बादन 8x7 =56 बादन
एक वर्ष में कुल वादन 56 x17 =952 बादन लगभग
कक्षा एक से पांच तक के कुल पाठ
(भाषा किरण ,गणित ,ज्ञानविज्ञान, हमारा समाज, हमारा परिवेश, अंग्रेजी एवं संस्कृत)– 326 पाठ
शिक्षा के लिये कुल वादन 952 बादन
प्रत्येक पाठ के लिये बादन 952÷326=लगभग तीन दिन

उपर्युक्त समय सारिणी से प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक पाठ के लिये मात्र तीन दिन = 40 x3 =120मिनट अर्थात दो घंटे समय मिलता है । ऐसी स्थिति मे एक पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ाया औंर लिखवाया नही जा सकता है । अगर एकल शिक्षक है जो उसे और भी समस्याओ का सामना करना पड़ेगा इसी प्रकार उच्चप्राथमिक विद्यालय के लिये भी यही समस्या है ।

अत: ऐसी स्थिति में क्यों न राज्य परियोजना कार्यालय एस०सी०ई०आर०टी० लखनउ, सीमैट इलाहाबाद भौगोलिक स्थिति का सर्वे करके जनपद वार समय सारिणी विकसित करें जिससे समय सारिणी के अनुसार कार्य हो सके । जनपद सोनभद्र में ऐसे विकास खण्ड है जहां पर अध्यापक रहते हुए भी शिक्षण कार्य नही कर सकते । जैसे महुआ जब फलता है ,अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों एवं नालों में पानी भर जाना , क्षेत्रीय एवं मौसमी खेती के कारण बच्चे विद्यालय नही आते है ।

<u>पाठ्य सामग्री –</u>

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय लखनउ द्वारा प्राथमिक विद्यालय के कक्षा एक से पांच तक नवीन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराकार जुलाई 2000 में जनपद सोनभद्र के सभी प्राथमिक विद्यालय के अनुसुचित जाति के बालक एवं सभी बर्ग की बालिकाओं को निरूशुल्क पुस्तके वितरित की गयी साथ ही प्रत्येक विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय का पाठ्य क्रम भी दिया गया । जुलाई 2001 में जनपद में समस्त प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाओ को निरूशुल्क पुस्तके वितरित की गयी । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण साधन के अन्तर्गत साधन विचार पत्रक एवं पाठ योजनये तथा गणित के शिक्षण को सरल बनाने के लिये सोपान नामक पुस्तक प्रत्येक शिक्षक को वितरित की गयी प्रत्येक विद्यालय को नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित बारह सेट शिक्षक संदर्शिका दी गयी भविश्य में एस०सी०ई०आर०टी० उत्तर प्रदेश लखनउ एवं राज्य परियोजना लखनउ दोनो के प्रभावी तालमेल से ही उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक का परिवर्तन एवं सम्बर्धन होगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6-8 तक नवीन पाठ्य क्रम उपलब्ध कराया गया है । कक्षा 6-8 तक के लिये संसोधित पाठ्य क्रम केआधार पर नवीन पाठय पुस्तकों का विकास एस०सी०ई०आर०टी० के निर्देशन में किया जा रहा है । पाठ्य पाठ्य पुस्तकें एस०सी०ई०आर०टी० के बिशिष्ट संस्थानो, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यो शिक्षकों विषय विशेषज्ञो आदि के सहयोग से विकसित की जा रही हैं । नवीन पाठय पुस्तकों की ट्रायलिंग (परिक्षण) के उपरान्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र मे लामू होगा । इन पाठय पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिका का भी विकास किया जा रहा हैं । इन शिक्षक संदर्शिकाओं को प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपयोगार्थ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय के पाठ्क्रम एंव पाठय पुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक निःशुल्क किया जायेगा।

गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु डायट की भूमिका –

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद ,विकास खण्ड, न्याय पंचायत , एंव विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षणों का नियोजन/आयोजन तथा कियान्वयन , अकादमिक पर्यवेक्षण , निरीक्षण श्रेणी करण हेतु विकेन्द्रीकृत केन्द्रों पर क्षमता विकास शैक्षिक अनुसर्मथन एंव मुल्यांकन सामग्री विकास , अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसके द्वारा प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता एंव न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि की जा सके।

क्षमता विकास –

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण विधा को सरल एंव ग्राहय बनाने के लिए डायट स्तर 8 दिवसीय आवासीय क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसमें बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने , वैकल्पिक शिक्षा, ई०जी०एस० प्रशिक्षण , ई०सी०सी०ई० प्रशिक्षण , ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण , सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण , समेकित शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि की जायेगी । गुणवत्ता वृद्धि के लिए ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई० डायट संकाय के सदस्य जिला समन्वयकों को नेतृत्व की क्षमता , शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता , शिक्षण कार्य हेतु नई शिक्षण विधियों की क्षमता का विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह (ए०आर०जी०) का सुदृढ़ीकरण –

जनपद स्तर पर शासन के द्वारा 19 सदस्यों का अकादमिक संदर्भ समूह गठित किया गया हैं जिनका विचार गुणवत्ता विकास के लिए नियोजन , कियान्वयन , शैक्षिक संवर्द्धन पर्यवेक्षण , स्कूल प्रबन्धन , शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण , क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रत्येक माह में बैठक /गोष्ठी आयोजित कर जनपद के शैक्षिक क्रिया कलापों का अनुश्रवण तथा निर्धारित कार्य करने का प्रयास किया जाता है किन्तु इस समूह में अधिकतर अधिका रीगण ही है जो प्रायः कार्य व्यवस्था के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं । इस कार्य में यह अपेक्षा की जा रही है कि इस समूह में सदस्यगणों में परिवर्तन किया जाय जिसमें क्षमता विकास के लिए हाई स्कूल , इण्टरमीडियट कालेज , स्नातकोत्र महाविद्यालय के शिक्षकों , मनोविज्ञान से स्नोतकोत्तर उपाधि धारक , बाल विशेषज्ञ चिकित्सक को जोड़ना शैक्षिक सपोर्ट की दृष्टिकोण से यथोचित होगा जिससे स्वास्थ्य परीक्षण , मनोवृत्तियों मनादशाओं का आगणन किया जा सके । प्रत्येक वर्ष में इन सदस्यों का दो बार पांच दिवसीय कार्यशाला आवासीय आयोजित किया जायेगा साथ ही'स्वयं सेवी संगठनों को भी प्रशिक्षण हेतु नेट वर्क से जोड़ा जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

सामाजिक परिवेश के बदलते स्वरूप को देखते हुए कम्प्यूटर प्रशिक्षण डायट संकाय के सदस्यों का कराया जाय तत्पश्चात जनपद में स्थापित समस्त बी०आर०सी० /एन०पी०आर०सी० तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे आकडों को एकत्रित करने नियोजन/आयोजन बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने आदि , इस कार्य के संचालन हेतु डायट स्तर पर पाच कम्प्यूटर सेट एंव प्रत्येक बी०आर०सी० स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर सेट प्रदान किया जाय जिससे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एव उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक सामग्री का विकास –

डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु रू० 500/ की जा सहायता प्रदान की गयी है उसका उपयोग विद्यालयों में शिक्षण कार्य में सफलता पूर्वक किया जा रहा है इस उद्देश्य को अनवरत जारी रखने की आवश्यकता है साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु भी शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु कम से कम रू० 1000/ की धनराशि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अध्यापक को प्रदान किया जाय जिससे शिक्षण सामग्री पाठों पर आधारित तैयार कर शिक्षण कार्य को रूचिपूर्ण बनाया जा सके । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित किट एंव विज्ञान किट भी उपलब्ध कराया जायेगा। डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको द्वारा तैयार की गयी शिक्षण सामग्रियों का प्रर्दशनी/मेला आयोजित किया जाता है उसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी शिक्षण सामग्री के प्रर्दशनी/मेला आयोजित किया जायेगा।जिससे तैयार की गयी सामग्री का अवलोकन कर शिक्षण विधि में प्रयोग के बारे मे जानकारी प्राप्त कर अनुश्रवण किया जा सके ।

कार्यशाला/गोष्टियों का आयोजन –

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों के मासिक गोष्टियों का आयोजन किया जा रहा हैं । इस गोष्ठी/बैठक में शिक्षकों के अकादमिक समस्याओं आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण , कठिन प्रश्नों का निराकरण किया जाता हैं ।तथा अनसुलक्षे हुये प्रश्नों को निराकरण किया जाता है । तथा अनसुलक्षे हुये प्रश्नों को बी०आर०सी० स्तर एंव डायट स्तर पर हल किया जाता है । इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों को मासिक गोष्ठी में सम्मिलित करते हुये शिक्षण सामग्री निर्माण , शिक्षा में अनुभव कठिनाईयों का निवारण हेतु डायट स्तर पर कार्यशाला /गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा । इन कार्यशालाओं में बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली का निर्माण विज्ञान गणित शिक्षण हेतु शिक्षकों हेतु अनुपुरक अध्ययन सामग्री बाल कविता कहानी का संकलन आदि किया जायेगा।

शोध/ऐक्सन रिसर्च एंव मूल्याकन –

डायट द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी बनाने के लिये विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम , कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबन्धन मूल्यांक क्षेत्रीय कार्यकत्ताओं , शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावकों पर शोध कार्य किया जायेगा । शोध का कार्य सीमैट के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ज्नपद में विभिन्न स्तरों पर एक्शन रिसर्च की कार्यशाला पोच दिन की आवासीय आयोजित किया जायेगा। इन कार्यशालाओं के आयोजन में सीमैट इलाहाबाद एंव एस०सी०ई०आर०टी० लखनउ द्वारा सहयोग प्राप्त कर आयोजित किया जायेगा। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य किसी भी कार्य को बेहतर बनाना या समस्याओं का निराकरण करना ही हैं ।

क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है –

१. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी कियान्वयन के उपाय।
२. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ।
३. बहु कक्षा शिक्षण में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो।
४. सतत् एंव व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग
५. हिन्दी के शब्द उच्चारण/बर्तनियों आदि पर शोध।
६. गणित शिक्षण में शिक्षण विधियों का प्रयोग ।
७. मन्द बुद्धि वाले बालकों की पहचान , ड्राप आउट का कक्षावार पता लगाना ।

अकादमिक सूपरविजन–

अकादमिक सूपरविजन के अन्तर्गत तरह–तरह के कार्यक्रम डायट /बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं । इस कार्य के निष्पादन हेतु विद्यालय अनुश्रवण हेतु सभी सदस्य अलग–अलग कार्य कर रहे हैं ।अकादमिक सूपरविजन में डायट/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की समेकित भुमिका अनवतत रहेगी।

डायट की भूमिका –

विद्यालयों/एन०पी०आर०सी० /बी०आर०सी० का अनुश्रवण करके रिपोर्ट का संकलन डायट स्तर पर किया जा रहा है । डायट में ए० आर०सी० के सदस्यों द्वारा मुख्यशैक्षिक समस्याओं पर चर्चा करके भविश्य का एजेण्डा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में अनुश्रवण हेतु ब्लाक मेन्टर नियुक्त किये गये हैं। जो अपने अपने विकास खण्डो एन०पी०आर०सी० /बी०आर०सी० की मासिक बैठक /गोष्ठी में प्रतिभाग कर उभरे हुये समस्याओ का निराकरण कर रहे है। तथा अनुश्रवण के दौरान विद्यालयों /एन०पी०आर०सी० /बी०आर०सी० का श्रेणीकरण किया जा रहा है । इस कार्य को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गतअनवरत जारी रखा जायेगा। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित प्रशिक्षणका अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विशेष तौर पर डी० पी० ई०पी०के अर्न्तगत पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जायेगा । विद्यालयों /एन०पी० आर० सी० /बी०आर०सी० का निष्पादित कार्य पर ही श्रेणीकरण किया जायेगा।

बी०आर०सी० की भूमिका –

ब्लाक स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्र डायट के निर्देशन में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करके कार्यो का निष्पादन करेगें जो निम्नवत होगा ।

१. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
२. बैकल्पिक शिक्षा/ई०जी०एस०/ई०सी०सी०ई० केन्द्रो का पर्यवेक्षण करना।
३. अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन०पी० आर० सी० प्रभारियों की सहायता करना ।
४. बी०आर०सी० स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भसमूह विकसित करना।
५. शोध एवं मूल्यांकन के लिये शिक्षकों सहयोग प्रदान करना ।
६. स्कूल भ्रमण तथा विद्यालयों में पाठों का प्रस्तुतीकरण करवाना ।
७. विद्यालयों का अनुश्रवण तथाश्रेणी करण करना सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण की कार्यशाला आयोजित करना ।
८. प्रत्येक माह एन०पी० आर० सी०की मासिक बैठको का आयोजन ।
९. विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का सर्वेक्षण
१०. ग्राम शिक्षा समितियों एवं समुदाय से सामन्जस्य स्थापित करना ।
११. ई०एम०आई०एस०आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना ।
१२. शैक्षिक गुणवत्ता संबन्धित किसी भी कार्य का निष्पादन डायट के निर्देशन में करना ।

एन०पी० आर० सी०की भूमिका –

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है । उस केन्द्र के प्रभारी की भूमिका निम्नांकित है।

१. एन०पी०आर०सी० प्रभारी न्यायपंचायत के समस्त अध्यापकों की मासिक बैठक का आयोजन करेंगे ।
२. शोध एवं मूल्यांकनके लिए शिक्षको का सहयोग प्रदान करना ।
३. स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुती करण ।
४. सेवा रत शिक्षकों का प्रशिक्षण (प्रशिक्षण केन्द्र दूर होने की स्थिति में)
५. ई०एम०आई०एस०आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना ।
६. ग्रामशिक्षा समिति के सदस्यो /पी०टी०ए०/एम०टी०ए० प्रशिक्षण आयोजित करना ।
७. शिक्षकों के लिये मासिक गोष्टी /कार्यशालाओ का आयोजन करना ।
८. न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर कार्ययोजना तैयार करना ।
९. विद्यालय विकासकी रूपरेखा हेतु योजना तैयार करना।
१०. विद्यालयों का श्रेणी करण करना ।

बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में नवाचार कार्यक्रम–

कक्षा 5 में उत्तीर्ण बच्चे अधिकांशतः उच्च प्रा०वि० में प्रवेश नही करा पाते है क्योकि धनोपार्जन के लिये किसी कार्य में लग जाते है या कार्यसीखने की ओर उनका संरक्षक भेज देता हे । ऐसे बच्चो के लिये विद्यालय स्तर पर बालक हो या बालिका को फैशनडिजाइनिंग, पेटिंग,विभिन्न प्रकार के मुरब्बा एवं अचार बनाने की कला पापड़ तैयार करने की विधि सैधान्तिक या प्रयोगिक एवं स्टील फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी जैसी कला की प्रवीणता उनकी आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति करेगी । इसके लिये विद्यालयों में सप्ताह मे दो या तीन दिन जैसी व्यवस्था हो सके,संबन्धित विशेषज्ञ को बुलाकर कार्य कराया जाना चाहिये । ध्यान यह रहे कि शिक्षक भी इस कार्यशाला या कक्षा मे उपस्थित रहे । क्योंकि विशेषज्ञ की अनुपस्थिति की दशा में शिक्षक उपरोक्त सभी विधाओ का मार्ग दर्शन करेगा । यह समस्त कार्य योजना बद्ध तथा निर्धारित समय पर संचालित किया जाना चाहिये तभी प्रभावी हो सकेगा इसके लिये कच्ची सामग्रीया बालक बालिकाओको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

उपर्युक्त कार्यके अन्तर्गत विद्यार्थियों का ड्राप आउट कमसे कम हो जायेगा ।क्योकि आगे के काम में उसकी दक्षता एवं ब्यवसायी कला का विकास अवश्य प्रभावी होगा इस लिये संरक्षक भी बालक बालिकाओ का ज्ञान तथा धनोपार्जन को ध्यान मे रखते हुए उसकी शिक्षा जारी रखना पसन्द करेगा ।

विषय विशेषज्ञ को मानदेय की ब्यवस्था होनी चाहिये यदि कोई सामाजिक संस्था इस कार्य के लिये आगे आती है तो उसे अवसर देकर इस कार्य में बृद्धि करा लेनी चाहिये ।

पठारीय/पहाड़ी भौगोलिक परिदृश्य में जनपद सोनभद्र हेतु मे प्रा०एवं उच्च पा० वि० मे शिक्षक हेतु शिक्षण कला का विशेष पैकेज–

वर्तमान मे जनपद सोनभद्र के 937 प्रा० विद्यालयों कुल लगभग 1150शिक्षक कार्यरत है ।इस आकड़े से यह स्पष्ट है कि प्रायः सभी विद्यालय एकल शिक्षक संचालन में है। ऐसी विशेष परिस्थिति मे इस जनपद को शिक्षको बहुकक्षाशिक्षण की दक्षता आवश्यक एवं अनिवार्य है । इसके लिये शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण कला, पाठ्य कम विश्लेषण, कक्षा तीन चार एवं पांच के पाठ्य कमों से तालमेल स्थापित करने की दक्षता जैसे कुशलता की आवश्यकता है अतएव सोनभद्र के प्राथमिक विद्यालयके शिक्षकों को कमसे कम पन्द्रह दिन का विभिन्न आयामों से संबन्धित जिसमें समय सारिणी , समय प्रबन्धन समूह अध्यापन कक्षानायक उपायदेयता जैसे विन्दूओ पर गम्भीरता से विचार विमर्श कर विशिष्ट पैकेज के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाना । इस प्रकार की ब्यवस्था देने के पश्चात् ही गुणवत्ता एवं अधिगम सम्प्राप्ति प्राप्त की जा सकती है ।

चूकि डी०पी०ई०पी० योजना अन्तर्गत कई प्रशिक्षण दिये गये किन्तु एकल शिक्षक वाला विद्यालय अभी भी प्रभावी एवं महत्वपूर्ण स्थान नही पाया है । शिक्षा मित्रो की निरन्तर हो रही नियुक्ति से कुछ अधिक प्रगति की सम्भावना है किन्तु नियुक्त शिक्षा मित्रो को भी उपर्युक्त पन्द्रह दिन का विशिष्ट पैकेज देना प्रा०विद्यालयों के शिक्षक के लिये हितकर है ।

जनपद सोनभद्र में कुल 123 उच्चप्राथमिक विद्यालयो में लगभग 245 शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है इन विद्यालयो में भी एकल शिक्षक जैसी ब्यवस्था ही प्रायः कार्य कर रही है । जबकि मानक केअनुसार कमसे कम चार विभिन्न विषयो में अध्यापक होने चाहिये तथा एक प्रधाना ध्यापक। परन्तु प्रतीत होता है कि यह मानक निकट भविश्य मे भी पूरा नही हो सकेगा । इसका कारण दुर्गम आंचलिक, ग्रामीण क्षेत्र , पहाड़ी इलाके तथा भौगोलिक स्थिति ही कारण बनती है । ऐसी दशा में उच्चप्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों भी विशिष्ट पैकेज से प्रशिक्षित करना होगा । इस प्रशिक्षण में भाषा,गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन मे कमसेकम एक विज्ञान वर्ग का दूसरा कला वर्ग का शिक्षक हो । इन शिक्षकों को अलग अलग दोसप्ताह वाला विशिष्ट प्रशिक्षण पैकेज द्वारा प्रशिक्षित किया जाये इसी दशा मे कक्षा 6,7,8 के छात्रों की गुणवत्तासम्बर्धन विषय ज्ञान तथा अधिगम सम्प्राप्ति के योग को प्राप्त किया जा सकता है । जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर शैक्षिक गुणवत्ता सन्दर्भन हेतु एक शारिक शिक्षक होना अनिवार्य हैं । जिले स्तर पर जिलस व्यायम प्रशिक्षक और विकास खण्ड स्तर पर व्यायम प्रशिक्षक पद सृजित किया जाए ।

अच्छा तो यह होता कि विद्यालय परिसर मे ही प्राथमिक विद्यालय के एकल शिक्षक तथा उच्चप्राथमिक विद्यालय के एकल जैसे शिक्षक को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा दी जाये जिससे विद्यालय का साज सज्जा बागवानी तथा अन्य स्थानीय समस्याये हल करने में शिक्षक का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है ।

जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक ऐसा विद्यालय होना चाहिये जिसमें कक्षा 1से कक्षा 8 तक की पढ़ाई एक साथ हो और उसे केन्द्रीय विद्यालय कहा जाय । उच्चप्राथमिक विद्यालय के बच्चो को मानीटर बनाकर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चो को कक्षा शिक्षण पढ़ने मे मदद कर सके । निश्चित रूप से कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्र कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करेंगे । ड्राप आउट होने की सम्भावना कम रहेगी कम शिक्षक से भी पढ़ाई अच्छी होगी विद्यालय को माड़ल रूप दिया जा सकता है ।

जिला शिक्षाएवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण–

क०स०	विवरण	अनुमानित लागत (रू०लाख मे)
1-	भोजन हेतु डायनिंग हाल का निर्माण (20x30) एंव डायनिंग हाल से संबद्ध रसोई घर(20x15)	5.00
2-	एक सभा कक्ष का निर्माण (40x25)	4.50
3-	कार्यालय भवनके द्वितीय तल का निर्माण (सर्वशिक्षा अभियान कक्ष के लिये 80x50)	10.00
4-	कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (30x20)	2.70
5-	डायट भवन छात्रावास एवं शिक्षकों के आवासों की मरम्मत हेतु (बृहद/लघु मरम्मत)	17.80
6	छात्रावास भवन के द्वितीय तल का निर्माण	10.00
	योग	50.00

नोट –मकान का खर्च रू 450 वर्ग फीट के हिसाब से निकाला गया है ।

जिला शिक्षाएवं प्रशिक्षण संस्थान – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत' डायट फर्नीचर , उपकरण (**A.V. & Computer**) , वाहन ,पी०ओ०एल०, कियात्मक शोध , सेमीनार, पुस्तकालय, वेतन ,आ०व्यय , भ्रमण, एंव टी०ए० इत्यादि पर दस वर्षो में कुल **3491** हजार रू० व्यय करने का प्रावधान किया गया हैं। ताकि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

अध्याय -10

परियोजना कियान्वयन एंव अनुश्रवण – डी०पी०ई०पी II के साथ –साथ जनपद में सवग शिक्षा अभियान की शुरूवात वर्तमान वयवस्था के क्रम में आने की रणनिति के रूप में होनी हैं । वर्ष 2001 से 2010 तक की अवाधि में सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को गुणवक्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। इस अभियान का संचालन एंव प्रबन्धन उ०प्र० सभी के लीये शिक्षा परियोजना द्वारा किया जायेगा। इस अभियान में विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियां एंव संसाधनों को विकसीत करने का लक्ष्य रखा गया हैं ।

इसमें सामुदायिक उत्तरदायित्व के साथ साथ वैयक्तिक कार्य क्षमता को विशेष महत्व दिया जायेगा । कार्यक्रम एंव प्रबन्धन में जन सहभागिता एंव प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव रहेगा। इसके कार्यक्रम निचले स्तर से निर्धारित किये जायेगे एंव उसमें समय–समय पर परिवर्तन करने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक दिवस कार्यो का अनुश्रवण एंव बच्चों तथा शिक्षकों की उपस्थिति एंव शिक्षक कौशल सुधार पर ध्यान दिया जायेगा।

प्रबन्धन– प्रबन्धन में समुदायिक सहभागिता एंव विकेन्द्रीकरण द्वारा शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। और प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजिनिकरण हेतु समय–समय पर कोई भी आवश्यक परिवर्तन किये जायेगे । सामुहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित एंव उच्च कोटि के प्रबन्धन हेतु उ०प्र० सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न प्रबन्धतंत्र विकसित की गया हैं ।

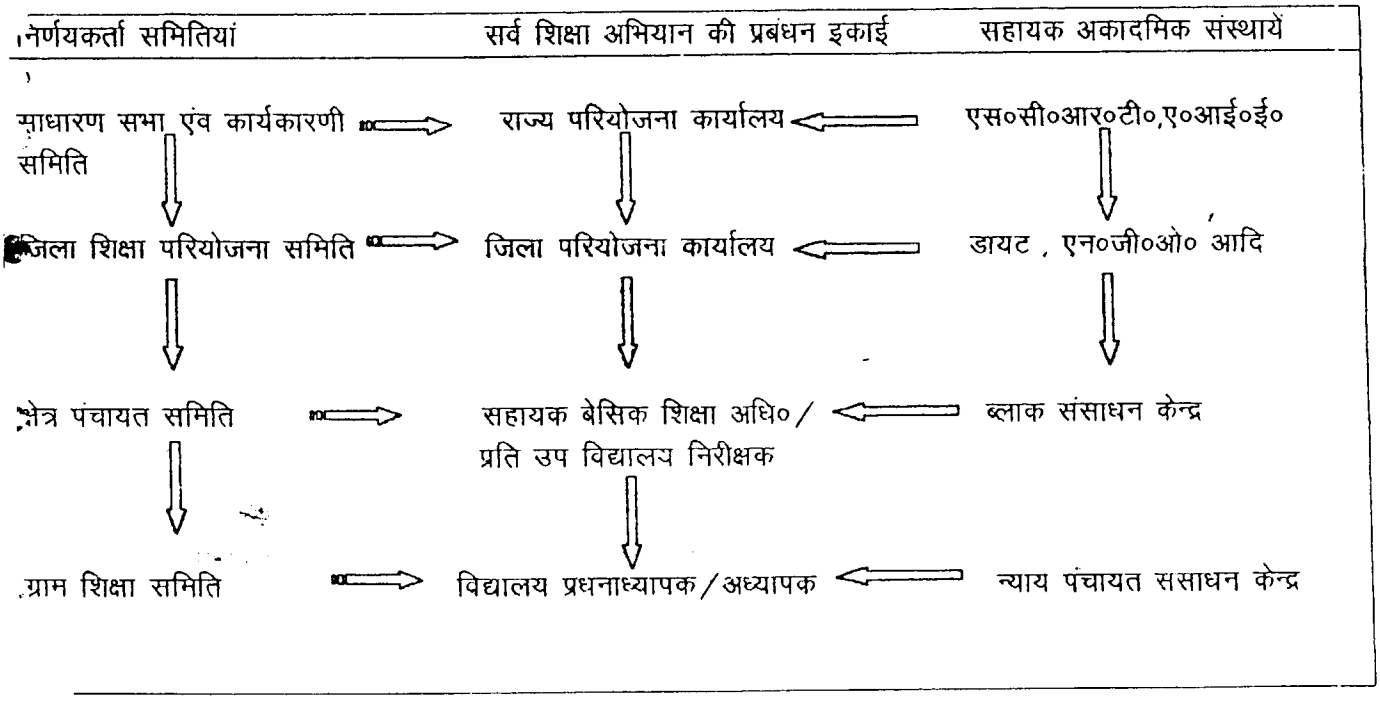

(A) संगठनात्मक ढांचा – निति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति – ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा के सभी अधिकार एंव संगठन का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति पर होता हैं । वर्ष 2000 के बेसिक अधिनियम द्वारा पांच लोगों की समिति बनायी गयी हैं –

ग्राम पंचायत प्रधान	–	अध्यक्ष
प्रधानाध्यपक (अगर एक से अधिक विद्यालय हो तो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक)	–	सचिव
छात्रों के तीन अभिभावक (एक महिला) जिसका चयन स०बे०शि०अ०	–	सदस्य

अधिकार एंव दायित्व –

- ग्राम पंचायत के अधिन बेसिक विद्यालयों का प्रशासन , नियंत्रण एंव प्रबन्धन करना ।
- विद्यालयों के विकास एंव असेवित वस्तियों में नये विद्यालयों के प्रसार की योजना बनाना।
- भवनों , शौचालयों एंव अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण में अनुश्रवण एंव सहयोग उपलब्ध कराना।
- शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना ।
- अध्यापको एंव बच्चों की उपस्थिति एंव क्षमता अभिवृद्धि में विकास हेतु लघु दण्ड की सिपारिस करना ।
- राज्य सरकार द्वारा सौपे जाने वाले अन्य सभी कार्यो को करना।

इन सारें दायित्वों के साथ–साथ समिति निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था भी हैं । क्यों कि प्रधानाध्यापक के साथ समिति के अध्यक्ष का संयुक्त खाता होता हैं । जिससे निर्माण किया जाता है । इसका कर्तव्य शैक्षिक अभिवृद्धि हेतु समाज को जागृत करना एंव न पढने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर उन्हे विद्यालय से जोड़ना भी हैं । असेवित वस्तियों मे नये विद्यालयों , शिक्षा गारण्टी के वैकल्पिक केन्द्रो ए०आई०ए० के अन्तर्गत केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव तथा शिक्षा मित्र का चयन एंव उनके मानदेय का वितरण भी यह समिति करती हैं । छात्रवृत्रि वितरण , पोषाहार , निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण का पर्यवेक्षण भी समिति करती हैं ।

क्षेत्र पंचायत समिति – प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर भी एक समिति कार्य करती हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत समिति विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों का निर्धारण एंव प्रबन्धन करेगी। तथा समय–समय पर अनुश्रवण कर इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करेगी।

ब्लाक प्रमुख	– अध्यक्ष
स०बे०शि०अ० / प्रति उप वि०नि० विकास खण्ड का	– सचिव
एक ग्राम प्रधान विकास खण्ड का	– सदस्य
एक वरि०प्र०अ०	– सदस्य

इस समिति का दायित्व ग्राम पंचायत समिति एंव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच की कड़ी के रूप मे कार्य करना है । जिला परियोजना के द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन कराना तथा क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों का प्रभावी अनुश्रवण कराना है । क्षेत्र विशेष के लिए विशेष कार्यक्रम एवं उसका प्रबन्धन भी करना होगा । यह समिति सुनिश्चित रोजगार योजना / जवाहर रोजगार योजना से प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा हेतु कुछ धनराशि व्यय करेगी । इस समिति की महीने मे एक बैठक आहूत होगी।

जिला शिक्षा परियोजना समिति –यह समिति सर्वशिक्षा अभियान की धूरी है। जनपद स्तर पर सभी कार्यक्रमों एवं उसका प्रबंधन इस समिति द्वारा किये जायेगे । पूरे दस वर्ष में कार्यक्रमों का व्यापक अनुश्रवण आवश्यक परिवर्तन एंव सफलता इस समिति द्वारा सुनिश्चित किये जायेगें ।

जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकार	– उपाध्यक्ष
वि०बे०शि०अधि०	– सदस्य
प्राचार्य डायट	– सदस्य
जिला वि०नि०	– सदस्य
जि०श्र०अधि०	– सदस्य
वि०एंव ले०अ०	– सदस्य
अधिशासीय अभियन्ता (PWD , RES)	– सदस्य
जि०स०क०अ०	– सदस्य
दो शिक्षा विद (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	– सदस्य
दो क्षेत्र पंचायत अ०	– सदस्य
दो शिक्षक (राष्टपती/राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत)	– सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	– सदस्य

अधिकार एंव दायित्व –

- सर्व शिक्षा अभियान के सर्वोच्य नीति नीर्धारक समिति हैं अतः सभी कार्यक्रमों का निर्धारण करना ।
- कार्यक्रमों में आवश्यक परिर्वतन जनपद विशेष के लिये अलग से कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- निर्माण कार्य , गुणवत्ता में सुधार एंव सामुदायिक सहभागिता द्वारा जन जागण करना ।
- प्रवेश धारण एंव गुणवत्ता संवर्धन हेतु आवश्यक निरीक्षण एंव पर्ववेक्षण द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
- तकनीकी पर्वक्षण एंव प्रचार प्रसार करना
- वैकल्पिक केन्द्रों एंव नविन विद्यालयों हेतु प्रस्तावओं का अनुमोदन ।
- सभी कार्यक्रमों का संचालन एंव पूर्ण सफलता का उत्तरदायित्व बहन करना।

जिला बेसिक शिक्षा समिति – सर्व शिक्षा के अन्तर्गत जनपद के नवीन क्षेत्रों के कार्यक्रमों के निर्धारिण हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति कार्य करेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष	– अध्यक्ष
जिला बे०शि०अ०	– सचिव
उपर जिलाधिकारी (नियोजन)	– पदेन सदस्य
जि०वि०नि०	– पदेन सदस्य
उप बे०शि०अ० (महिला)	– पदेन सदस्य
उप बे०शि०अ० (पुरूष)	– पदेन सदस्य
तीन जिला पंचायत सदस्य	– सदस्य

अधिकार एंव कार्य –

- ग्रामिण क्षेत्रों के विद्यालयों का प्रशासन एंव प्रबन्धन।
- नये विद्यालयों की आवश्यकता।
- विद्यालयों के सुधार , शैक्षिक गुणवक्ता संवर्धन एंव धारण के लिये समुचित उपाय करना।

(B) प्रशासनिक तन्त्र –

विद्यालय स्तर – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की व्यवस्था हैं जो–जो विद्यालय का प्रशासन चलायेगा। अध्यापकों एंव छात्रों की उपस्थिति , गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।विद्यालयों के विकास एंव छात्रवृत्रि , पोषाहार एंव निःशुल्क पाठय पुस्तकों के वितरण कराये जायेंगे।

ब्लाक स्तर – प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत वो जो जिला एंव शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को किन्वित करायेगे । खण्ड स्तर पर निरीक्षण पर्ववेक्षण एंव अनुश्रवण द्वारा कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने तथा इसके लिये उत्तरदायि होंगे । ग्राम शिक्षा समिति , ब्लाक संसाधन केन्द्र एंव न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करना । एंव समय से सांख्यिकी प्रपत्र भरवाना इनका कार्य रहेगा। विकास खण्ड स्तर के सभी कार्यक्रमों एंव प्रबन्धनों के लिये ये उत्तरदायी रहेंगे। विकास खण्ड स्तर के अधिकारी के प्रमुख अधिकार एंव कर्तव्यय हैं –

- सर्व शिक्षा अभियान के सभी कार्यक्रमों का उनका क्रियान्वन ।
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक करना एंव आवश्यक निर्णयों का पालन कराना तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
- विद्यालयों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना
- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़े इकठा करना ।
- बड़े पैमाने पर निरीक्षण कर ठहराव एंव गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार करना।
- विद्यालयों , ग्राम शिक्षा समितियों एंव ब्लाक शिक्षा समिति के मध्य समन्वय स्थापित करना ।
- अध्यापको का वेतन समय से भुगतान करने की कार्यवाही करना।
- छात्रवृति , पोषाहार एंव निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना ।
- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों एंव शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रस्ताव करना ।
- वैकल्पिक केन्द्रों का अनुश्रवण एंव मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान में खण्ड परियोजना अधिकारी के रुप में कार्य करेगें पूर्व में बने हुये ब्लाक संसाधन केन्द्र में ही इनका कार्यालय होगा । समय –समय पर शैक्षिक गुणवत्ता साम्वर्धन हेतु खण्ड परियोजना अधिकारी को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसके आधार पर वे विद्यालयों का शैक्षिक अनुश्रवण कर अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव दे सके । इनके प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु एक अतिरिक्त ब्लाक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय – जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । राज्य परियोजना समिति तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एंव नीतियों की सफलता का उत्तरदायित्व जिला परियोजना कार्यालय का होगा। यह कार्यालय जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन में सर्व शिक्षा अभियान के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या प्रबन्धन करेगा। इसमें उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना द्वारा आवश्यक अधिकारीयों / कर्मचारीयों की नियुक्ति की जायेगी–

1-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना अधिकारी ।

2-उपबेसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	पद संख्या एक,	बेतन प्रतिनियुक्ति पर
3- जिला समन्वयक	चार ,	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत बेतन पर
4- सलाहकार	दो,	रू० 10000 नियत बेतन प्रति पद
5- एम०आई०एस०आई० अधिकारी	एक ,	रू० 10000 नियत बेतन प्रति पद
6- कम्प्यूटर आपरेटर / सांख्यिकी सहायक	तीन	रू० 7000 नियम, बेतन प्रति पद
7- लेखा अधिकारी		बेसिक शिक्षा के लेखाअधिकारी प्रतिनियुक्ति पर
8- लिपिक		एक नियत मानदेय के आधार पर
9- परिचारक		एक नियत मान देय के आधार पर

उपर्युक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगे तथा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों केलिये उत्तरदायी होगें।

उक्त के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उपविद्यालय निरिक्षक एवं बेसिक कार्यालयके सभी सहायक सर्व शिक्षा के अभियान के कार्यक्रमो की सफलता एवं क्रियान्वयन हेतु कार्य करेगे ।

<u>राज्य परियोजना कार्यालय–</u> सर्व शिक्षा अभियान की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद है । इसके द्वारा सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों एवं नितियों का निर्धाण तथा प्रबंधन किया जायेगा । इसके अधिन राज्य के सभी प्रशासनिक तन्त्र , संगठनिक तंत्र तथाशैक्षिक संस्थाये कार्य करेगें

(C) <u>अकादमिक संस्थायें–</u>

1- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र – जनपद में डी०पी०ई०पी०।। के अन्तर्गत सभी न्यायपंयतों में एक एक न्याय पंचायत संसाधन की स्थापना की जा चूकी है एवं उसके प्रभारी नियुक्त किये जा चूके है । समय समय पर इन प्रभारियों को प्रशिक्षण एवंशैक्षिक सपोर्ट दिये गयें हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत और प्रशिक्षण कर इन्हे गुणवत्ता सम्बर्धन किये जायेगें ।

कार्य एवं दायित्य –

० न्याय पंचायतों के समस्त अध्यावकों की मासिक बैठक कर उनकी ब्यक्तिगतशैक्षिक समस्याओ पर विचार बिमर्शकरना एवं निराकरण हेतु सुझाव देना ।

० विद्यालयों एकेडमिक निरिक्षण करशैक्षिक सपोर्ट देना ।

० ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देना ।

० न्यायपंचायत के समस्त विद्यालयों कीशैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं अन्वेषण ।

० विद्यालयों को आकर्षक बनाना तथा गुणवत्ता अभिबृद्धि का प्रयास करना ।

<u>2- ब्लाक संसाधन केन्द्र–</u> डी०पी०ई०पी०।। द्वारा सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना हो चकी है । जहां समन्वयक एवं सह समन्वयक भी नियुक्ति किये जा चुके है । ब्लाक संसाधन केन्द्र का भवन पूर्व सुसज्जित है जिसमें खण्ड परियोजना अधिकारी का भी कार्यालय होगा । सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत बी०आर०सी० में एक अतिरिक्त सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना के पर्यवेक्षण , सूचना एकत्री करण सूचना संकलन

सांख्यिकी प्रपत्र के संकलन एवं सभी प्रकार के बैठको के आयोजन तथा कार्यकमों अनुश्रवण में सहायता करेगें ।

कार्य एवं दायित्व–

० ब्लाक के समस्त विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करशैक्षिक सपोर्ट ।

० समस्त न्यायपंचायत प्रभारियों की मासिक बैठक का आयोजन करशैक्षिक समस्याओ पर विचार विमर्श एवं उसके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देना ।

० ब्लाक संसाधन समूह का गठन कर बैठकों की व्यवस्था करना ।

० कशैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु डायट एवं एन०पीआर०सी० के बीच समन्वयन स्थापित करना ।

० ब्लाक स्तर के शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयास करना ।

० बालगणना द्वारा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का बस्ती बार विवरण तैयार कर जन सहभागिता द्वारा उन्हे विद्यालय में प्रवेश दिलाना ।

० विद्यालय साख्यिकी प्रपत्र का समय से संकलन कर कशैम्पल चेकिग एवं अनुश्रवण करना ।

० माइकोप्लानिग द्वारा सभी प्रकार कीशैक्षिक समस्याओं रेखांकित कर उनका समाधान करना ।

० समस्त अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना ।

3- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

_सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ।इसके द्वारा समन्वयको, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिउपविद्यालय निरीक्षक, ब्लाक समन्वयक , सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत प्रभारियो की समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । इसके द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर अध्यापकों के प्रशिक्षण का आयोजन कराया जायेगा जिसका अनुश्रवण भी डायट द्वारा ही किया जायेगा ।शैक्षिक मूल्यांकन हेतु सिर्ड टर्म असेसमेन्ट कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणअभिबृद्धि सम्बधि कार्यकमो एवं नितियों काकियान्वयन तथा प्रबंधन डायट द्वारा किया जायेगा । इसके द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्यायपंचायत संशाधन केन्द्र पर अध्यापको के प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाएगा । जिसका अनुश्रवण भी डायट द्वारा ही किया जायेगा ।शैक्षिक मूल्यांकन हेतु मीडटर्न एससमेन्ट कराया जाएगा । सर्वशिक्षा आयेजन के अन्तर्गत गुणवत्ता अभिबृद्धि सम्बन्धि सभी कार्य कमों एवं नीतियों का कियान्वयन तथा प्रबन्धन डायट द्वारा किया जाएगा ।

एस०सी०ई०आर०टी०– राज्य स्तरीय इस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के प्रशिक्षण कार्यकम का कियान्वयन किया जायेगा। प्रशिक्षण के समस्त कार्यकमों एवं नीतियों के निर्माण की यह सर्वोच्य संस्था है ।इसके द्वारा समया समयपर नवाचार शिक्षा सम्बन्धि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें सभी प्रकार के प्रशिक्षणों का माड्यूल का निर्माण एवं अवलोकन किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गतशैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्य एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनिकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था–सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणत्तासुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रणा सेवा एवं लघु सिचाई विभागअभियंताओं से तकनीकि पर्वेक्षण कराया जायेगा और उनें मारदेय दिया जायेगा।डी०पी०ई०पी०।। द्वारा प्रतिविद्यालय भवन रूपया एक हजार अतिरिक्त कक्षाकक्ष, न्यायपंचायत केन्द्र हेतु रूपया पांच सौ तथा प्रतिशौचालय हेतु रूपया दो सौ तकनीकि पर्वेक्षण के मानदेयके रूप में दिया जाता है यही दर सर्वशिक्षा अभियान में लागू रहेगा ।

एम०आई०एस० –सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालितकार्यकमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक सुदृढ एवं कियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। डी०पी०ई०पी०।।द्वारा कार्यशील ई०एम०आई०एस० के अन्तार्गत वर्ष 1997से 2001 तक के शैक्षिक आकड़े उपलब्ध है । उच्चप्राथमिक स्तर के लिये सफ्टवेयर,डाटाबेस तथा कम्प्यूटर हार्ड को उच्चकृत करने की व्यवस्था की जायेगी। प्राथमिक एव उच्चप्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा की प्रतिवर्षशैक्षिक सांख्यिकी को तथापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराईज एम०आई०एस०के संचालनार्थ एव

एम०आइ०एस०अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक रखे जायेगे । इससे जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आकड़ों का संकलन नियोजन एवं अनुश्रवण कर सकें।

<u>प्रशिक्षण</u>—विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधापाध्यापक, न्यायपंचायत प्रभारी,ब्लाक समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिउप विद्यालय निरीक्षकों को जनपद स्तर प्रशिक्षण आयोजित कर दी जायेगी।

१. ई०एम०आई०एस०का प्रशिक्षण जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी जिला समन्वयक ,कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाधिकारी एवं सभी स्टाप का दो दिवसीय प्रशिक्षण ओजित होगा।

२. एम०आई०एस० का प्रशिक्षण ब्लाक एवं न्यायपंचायत स्तर सायक बेसिकशिक्षा अधिकारी प्रतिउपविद्यालय निरीक्षक ,ब्लाक समिन्वयक सह समन्वयक एन०पी०आर०सी०, बी० आर०सी० प्रभारी एवं सभी प्रधानाध्यापको को दो दिवसीय प्रशिक्षण दी जायेगी ।

३. एम०आई०एस०का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेंजमेन्ट) एस०पी०ओ०/सीमैट द्वारा आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण में सभी कम्प्यूटर आरेटर भाग लेंगे प्रथम तीन दिन एम०आइ०एस० प्रबन्धन एवं अन्तिम तीन दिनों में प्रोजक्ट मैनेजमेंन्ट , इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

४. आकड़ो का एकत्रीकरण शुद्धता की जांच एवं उपयोग – सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष विद्यालयों से 30 सितम्बर को स्थिति के अनुसार सांख्यिकी प्रपत्र भरवाकर एवं उसकाशैम्पल चेकिंग कर ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जाएगी । पुनः कम्प्यूटर प्रिंट को सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के पास प्रपत्र को शुद्धता सुनिश्चित करे लिए भेजी जायेगी और कोई त्रुटी होने पर उसका सुधार किया जायेगा। एम०आई०एस० द्वारा जी०ई०आर० , एन०ई०आर० ड्राप आउट दर रैपिटेशन दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात तथाएकल अध्यापिकीय विद्यालय संबन्धि बहुत से आकड़े प्राप्त होगें । माइकोप्लांनिग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आकड़ों तथा ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आकड़ों का मिलान व विश्लेषण कर वांछित कार्यकमों का क्षमावेश/संशोधन किया जायेगा । इन आकड़ों का प्रयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा ।

- नवीन विद्यालयों एवं बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु जनसंख्या के आधार पर असेवित बस्तियों की पहचान
- छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों का आकलन ।
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या एवं छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वाले विद्यालयों की पहचान
- बालिकाओं के न्यून नामांकन वाले विद्यालयों एवं न्याय पंचायतों का चिन्हिकरण ।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं विकलांग बच्चों के उपकरणों के वितरण हेतु लाभार्थी बच्चों की संख्या का आकलन ।
- कोहार्ट स्टडी –छात्र छात्राओ के ठहराव में बृद्धि की प्रगतिके अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार प्राथमिक एवंउच्च प्राथमिक स्तर पर कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। इस स्टडी हेतु अनुमानीत व्यय दो लाख रूपया रखी गयी है । स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी।

<u>प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफारमेनेशन सिस्टम</u> –

ई०एम०आई०एस० द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यकमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य परियोजना कार्यलय को भेजी जायेगी। जिन कार्यकमों की प्रगति धीमी होगी उनकी ओर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी विशेष ध्यान देकर वांछित प्रगति प्राप्त करने की व्यस्था करेगे ।

<u>निधि का हस्तान्तरण – (फ्लो आफ फण्ड)</u>

प्रत्येक वर्ष जनपद में सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा

उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदनों परांत बजट की धराशि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को दी

जायेगी । निर्माण ,बैकल्पिक शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रमों की धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यलयी संस्थाओ को खातों के माध्यम से दी जायेगी । डायट प्रशिक्षण एवं अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु धनराशि बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० को उपलब्ध करायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के नाम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एव लेखाधिकारी का संयुक्त खाता संचालित होगा। रूपया पांच हजार मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिला अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगीएवं उसके पश्चात् नही धनराशि की निकासी की जायेगी। डायट का खाता भी प्राचार्य एवं सम्बन्धित लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर सें संचालित होगा । ब्लाक स्तर पर पूर्व से ही संयुक्त खता संचालित है पर्चेज एवं प्रोक्योरमेन्ट के नियम डी०पी०ई०पी०।। के समान ही रहेगें ।

समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाप को वित्तीय प्रबन्धक हेतु प्रथम वर्ष मे ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय समय पर रेफ्रिरेसर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें।

राज्य परियोजना कार्यालय को डी०पी०ओ० एवं डायट द्वारा धनराशि की प्राप्ति एवं ब्यय का विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा ।

फन्डफ्लो डॉयग्राम

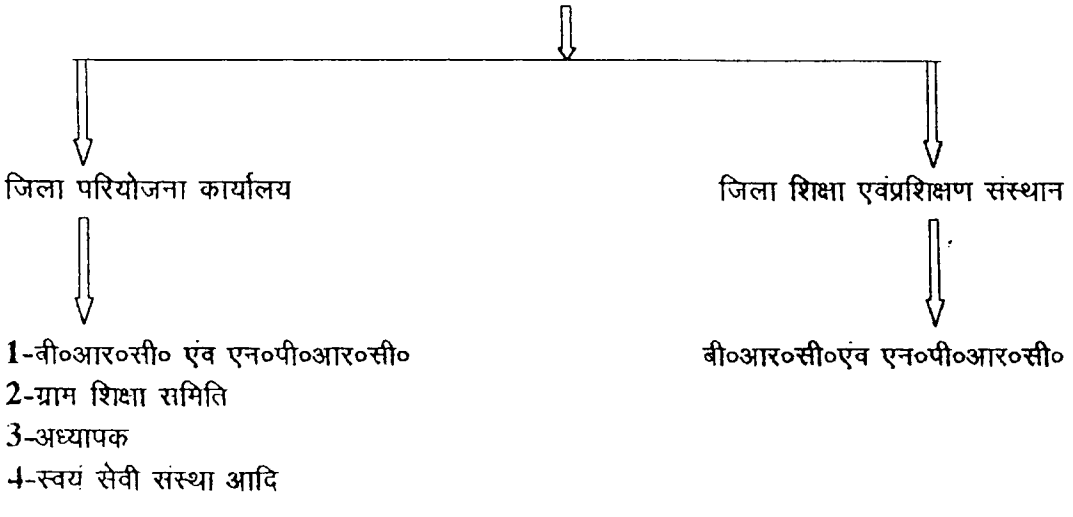

समप्रेक्षण व्यवस्था– उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों मे प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के बाद लेखे जोखों का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण चार्टेड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। चार्टेट एकाउन्टेन्ट का चयन सभी के लीए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के लेखों जोखों का सम्प्रेक्षण महा लेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा किया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भी समय–समय पर जनपदों की आडिट की जाएगी।

मदसत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना– सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एव कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारीयों एंव कर्मचारियों की पाक्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। जिससे कियान्वयन में आने वाले समस्याओं एंव उसके स्थानीय समाधान के आवश्यक प्रयास किये जायेगें । इसी प्राकर डायट प्रचार द्वारा गुणवत्ता सम्बर्न्धन कार्यक्रम मे लगे लोगो की मासिक बैठक आयोजित कर कार्यक्रमो के कियान्वयन की कठिनाईयो पर फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। जनपद स्तर की समस्त परियोजना कार्यालय की बैठक में प्राप्त किये जायेगें ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समय–समय पर पर्यवेक्षण एंव अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यकमों की कठिनाइयों एंव उनके समाधान का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक माह पी०एम०आई०एस० रिर्पोट तैयार कर विश्लेषण द्वारा परियोजना के कियान्वयन एंव अनुश्रवण में आवयश्क संशोधन किया जाएगा। प्रति वर्ष ई०एम०आई०एस० डाटा के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो एंव आवश्यक उपचार प्रयास किये जायेगें। आगामी वर्ष की कार्ययोजनाओं व बजट निर्माण में विगत वर्ष के अनुभवों कठिनाइयों तथा अन्य विन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा [illegible] के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की [illegible] प्रस्तावित है

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Sonbhedra

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	64	16576	0	0	5	1280	0	0	69	17856
A2	New Upper Primary Schools	451	15	6765	130	36400	0	0	5	1400	0	0	150	44565
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	45	4860	45	5400	45	5400	45	5400	45	5400	225	26460
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	64	864	64	1584	69	1707.75	69	1707.75	266	5863.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	64	3456	64	6912	69	7452	69	7452	266	25272
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months),05-06	10	0	0	390	23400	390	46800	405	48600	405	48600	1590	167400
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	64	640	0	0	5	50	0	0	69	690
A8.2	UPS	50	27	1350	130	6500	0	0	5	250	0	0	162	8100
A9	TLE UPS not covered OBB	50	50	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**15475**	0	**93236**	0	**60896**	0	**66339.75**	0	**63359.75**		**299306.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	126	2661.75	150	3168.75	160	3380	160	3380	596	12590.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE Prathmik using all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	90	1901.25	120	2535	140	2957.5	140	2957.5	490	10351.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	40	1440	80	2880	120	4320	120	4320	360	12960
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	25	1500	25	1500	0	0	50	3000
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	2	360	2	360	2	360	2	360	8	1440
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	66	2230.8	30	1014	20	676	10	338	126	4258.8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**15475.00**	0	**101829.80**	0	**72603.75**	0	**79783.25**	0	**74965.25**	**0**	**344657.05**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	3	573	10	1910	12	2292	10	1910	35	6685
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	3	1149	6	2298	5	1915	4	1532	18	6894
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	10	700	200	14000	200	14000	205	14350	615	43050
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	11	770	8	560	100	7000	100	7000	113	7910	332	23240
R4.1	Toilets Upper Primary	10	25	250	7	70	20	200	0	0	0	0	52	520
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	957	4785	1021	5105	1021	5105	1026	5130	4025	20125
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	123	615	148	740	278	1390	278	1390	293	1465	1120	5600
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional Teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1288	31878	1587	39278.25	1628	40293	4503	111449.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	300	28800	342	32832	385	36960	1027	98592
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1288	17388	299	7400.25	41	1014.75	43	1064.25	1671	26867.25
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	977	1954	1041	2082	1046	2092	1046	2092	4110	8220
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	123	246	228	456	304	608	309	618	309	618	1273	2546
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	25	112.5	20	90	15	67.5	60	270
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	11	44	20	80	50	200	81	324
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	25	825	25	625	25	625	75	1875
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	50	250	50	250	50	250	150	750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	250	937.5	300	1125	350	1312.5	900	3375
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	250	375	300	450	350	525	900	1350
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	50	3.5	50	3.5	50	3.5	150	10.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	489	1369.2	489	1369.2	0	0	978	2738.4
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	66	330	68	330	66	330	198	990
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	489	234.72	489	234.72	0	0	0	0	978	469.44
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	5	333.5	5	333.5	5	333.5	15	3212.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	5	300	5	300	5	300	15	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1299	3247.5	1299	3247.5	1299	3247.5	3897	9742.5
	RETENTION Sub Total		0	5031	0	33609.72	0	111290.1	0	116197.1	0	120975.15	0	387103.04
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	164	344.4	299	627.9	46	96.6	43	90.3	552	1159.2
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	81	170.1	0	0	300	630	62	130.2	43	90.3	486	1020.6
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	2600	3640	2434	3407.6	2481	3473.4	2523	3532.2	10038	14053.2
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	300	315	1390	1459.5	1405	1475.25	1405	1475.25	4500	4725
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1610	2254	1656	2318.4	1697	2375.8	4963	6948.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	94	197.4	70	147	0	0	164	344.4
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	24	16.8	24	16.8	24	16.8	72	50.4
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	66	46.2	66	46.2	66	46.2	198	138.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	12	4.2	12	4.2	12	4.2	36	12.6
Q2	IED Provision for disable children	1.2	500	200	724	868.8	1050	1260	1284	1540.8	1683	2019.6	5241	5889.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	2660	1330	4227	2113.5	4320	2160	4406	2203	15613	7806.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	81	40.5	1020	510	1468	734	1483	741.5	1483	741.5	5535	2767.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	121681	6084.05	128060	6403	130659	6532.95	133313	6665.65	513713	25685.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	11930	1789.5	44165	6624.75	17317	2597.55	17669	2650.35	18028	2704.2	109109	16366.35
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1299	194.85	1299	194.85	1299	194.85	3897	584.55
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	150	7.5	160	8	160	8	470	23.5
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1021	15315	1021	15315	1021	15315	3063	45945
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	278	2085	278	2085	278	2085	834	6255
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**2200.1**	0	**19717**	0	**39468.6**	0	**39051**	0	**39682.35**		**140118.95**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	8	1152	8	1152	8	1152	24	3456
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	16	1056	16	1056	16	1056	48	3168
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	8	288	8	288	8	288	24	864
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	8	48	8	48	8	48	8	48	32	192
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	8	16	8	16	8	16	24	48
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	8	80	8	80	8	80	24	240
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	8	40	8	40	8	40	8	40	32	160
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	8	40	8	40	8	40	24	120
C2.11	Contigency	12.5	0	0	8	100	8	100	8	100	8	100	32	400
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	8	28.8	8	28.8	8	28.8	24	86.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	8	40	8	40	8	40	24	120
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	66	9504	66	9504	66	9504	198	28512
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	66	66	66	66	66	66	66	66	264	264
C3.4	Contingency	2.5	0	0	66	165	66	165	66	165	66	165	264	660
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	66	158.4	66	158.4	66	158.4	66	158.4	264	633.6
C4	District Project Office/Management		0	654	0	2690	0	0	0	0	0	0	0	3344
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	12	216	12	216	12	216	36	648
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	8	960	8	960	8	960	24	2880
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	957	1339.8	1021	1429.4	1021	1429.4	1021	1429.4	4020	5628
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	150	210	148	207.2	278	389.2	278	389.2	278	389.2	1132	1584.8
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	864	0	4814.4	0	17696.8	0	17696.8	0	17696.8		58768.8
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	864		5368.4	0	18220.8	0	18220.8	0	18120.8	0	60794.8
	GRAND TOTAL		0	23570.1	0	160524.92	0	241583.12	0	253252.15	0	253743.55	0	932673.84

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Sonbhedra**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	7785.0	56028.0	25408.0	27887.0	25702.0	142810.0
Management	210.0	1547.0	5438.6	5438.6	5338.6	18526.8
Programme	15575.1	102949.9	210736.5	219926.6	222703.0	771337.0
Total	**23570.1**	**160524.9**	**241583.1**	**253252.2**	**253743.6**	**932673.8**
Percentage - Civil	**33.0**	**34.9**	**10.5**	**11.0**	**10.1**	**15.3**
Percentage - Management	**0.9**	**1.0**	**2.3**	**2.1**	**2.1**	**2.0**
Percentage - Programme	**66.1**	**64.1**	**87.2**	**86.8**	**87.8**	**82.7**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**